Friday, 22 February, 1963

लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड १३, १९६३ / १८८४ (शक)

१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३ / २९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
21-5-96
Fumigated
On 8.12.83
Parliament Library

Chamber Fumigated 18.10.73

चौथा सत्र, १९६३/१८८४ (शक)

(खण्ड १३ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

तृतीय माला, खण्ड १३–अंक १ से १०—१८ फरवरी से २ मार्च, १९६३/२९ माघ से ११ फाल्गुन, १८८४ (शक)

अंक १—सोमवार, १८ फरवरी, १९६३/२९ माघ, १८८४ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय बाधा डालना तथा सदन से बाहर चले जाना ... १–३

राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया ... ४–९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... १०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... १०–११

बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना ... १२

संविधान संशोधन विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना ... १२–१३

दैनिक संक्षेपिका ... १४–१६

अंक २—मंगलवार, १९ फरवरी, १९६३ / ३० माघ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ६, और ९ से १२ ... १७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७, ८, १३ से २७ और ३० ... ४२–५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५० ... ५१–७२

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हुई घटना के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ... ७२

जमुना कोयला खान में हुई दुर्घटना ... ७२–७४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ... ७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ७४–७७

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ ... ७७

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०–६१ ... ७७

कार्य मंत्रणा समिति — ७७
बारहवां प्रतिवेदन
प्राक्कलन समिति — ७८
बाईसवां और तेईसवां प्रतिवेदन
केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित — ७८
रेलवे आय-व्ययक, १९६३–६४—उपस्थापित
श्री स्वर्ण सिंह — ७८–१००
राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों द्वारा किये गये
व्यवहार की जांच के लिये समिति — १००–०१
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक — १०१
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव — १०१–०४
खंड २ और १ — १०४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव — १०४
कृषि पुर्नवित्त निगम विधेयक — १०५–११९
विचार करने का प्रस्ताव
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव — ११९–२८
दैनिक संक्षेपिका — १२९–३६

अंक ३—बुधवार, २० फरवरी, १९६३/१ फाल्गुन, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या ३१ से ४२ — १३६–६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५५ — १६२–७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५१ से ८६, ८८, ८९, ९१ और ९२ — १७०–८६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — १८७
कारीगरी और स्वर्णकारों में कथित बेकारी
सभा पटल पर रखे गये पत्र — १८७
प्राक्कलन समिति — १८७–८८
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन
सभापति तालिका — १८८
कार्य मंत्रणा समिति — १८८
बारहवां प्रतिवेदन
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव — १८९–२३४
दैनिक संक्षेपिका — २३५–३८

अंक ४—शुक्रवार २१ फरवरी १९६३ / २ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . २३९—६४
तारांकित प्रश्न संख्या ५६ से ७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८२ . . . २६५—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ९४ से १०० और १०२ से १२४ . २७२—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २८५—८७
अमरीका तथा राष्ट्रमंडल के संयुक्त वायु सेना के शिष्टमंडल का भारत आगमन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ . . . २८७

लोक लेखा समिति २८७
छठा प्रतिवेदन

सोना नियंत्रण सम्बन्धी भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियमों के बारे में याचिका . २८७

संघ राज्य क्षेत्रों का शासन विधेयक—पुरस्थापित . . . २८७

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . २८८—३१५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१६—१९

अंक ५—शुक्रवार २२ फरवरी, १९६३ / ३ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ९४, ९६ से ९९ और १०१ से १०४ . ३२१—५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या ९५ और १०० . . . ३५२—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५ से १२९, १३१, १३३ से १४८ और १५० . ३५३—६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३६४—६५
प्रस्तावित मलयेशिया संघ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३६५—६७

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक
राज्य सभा पटल पर रखी गई ३६८

प्राक्कलन समिति

बारहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन ३६८

सभा का कार्य ३६८

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ३६९—८६

विधेयक पुरस्थापित — . . . . ३८६—८७

(१) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा १३ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का]

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक, (धारा २ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]

(३) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध (संशोधन) विधेयक (नई धारा ७क का रखा जाना) [श्री च० का० भट्टाचार्या का]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, (धारा ४ और ६ का संशोधन) . ३८७—९८
[श्री श्याम लाल सर्राफ का]

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

सिनेमा फिल्मों की (अधिकतम) लम्बाई विधेयक [श्री रामेश्वर टांटिया का] ३९८—४०८

विचार करने का प्रस्ताव

बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) . ४०८
[श्री दी० चं० शर्मा का]

परिचालित करने का प्रस्ताव ४०८

कार्य मंत्रणा समिति ४०८

तेरहवां प्रतिवेदन

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०९—१४

अंक ६—सोमवार २५ फरवरी १९६३ / ६ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०५ से ११४ . . . ४१५—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ११५ से १३२ . . . ४४०—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १७६ और १७८ से १९५ . ४५३—७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ४७१—७२

(१) मिलिटरी लाइन्स, सागर में पानी की एक टंकी का फट जाना

(२) बर्मा में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और वहां के भारतीय बैंकों पर उसके प्रभाव

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४७२
कार्य मंत्रणा समिति
तेरहवां प्रतिवेदन ४७३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ४७३—५३१
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३२—३६

अंक ७—बुधवार २७ फरवरी १९६४ / ८ फाल्गु १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १३४, १४८ और १३५ से १४३ . ५३७—६१
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १४७ और १४९ से १५२ . ५६२—६५
अतारांकित प्रश्न संख्या १९६ से २३३ . . . ५६५—८०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ५८०—८४
(१) १८ फरवरी को गंगा नदी के पानी के भारतीय भाग में पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र पुलिस का कथित अनधिकृत प्रवेश
(२) बर्मा में बैंकों के राष्ट्रीय करण के बारे में वक्तव्य
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ५८४—८५
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
तेरहवां प्रतिवेदन ५८५
निर्यात के लिये भेजे जाने वाले सामान पर भाड़े की रायायत के बारे में वक्तव्य . ५८६
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ५८७—६३४
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ६३५—३९

अंक ८—गुरुवार २८ फरवरी १९६३ / ९ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १५३ से १६६ . . . ६४१—६६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ६६७—६९
प्रश्नों के लिखित उत्तर
तारांकित प्रश्न संख्या १६७ से १७० और १७२ . . ६६९—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २३४ से २३९ और २४१ से २६० . ६७१—८३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६८३—८४

समुद्रीय बीमा विधेयक ६८५

संयुक्त समिकिता प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति ६८५

तेरहवां और बीसवां प्रतिवेदन

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३ . . ६८६—९८

कृषि पुर्दवित निगम विधेयक . . . ६९८—७२४

विचार करने का प्रस्ताव

खंड २ से ४७ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

सामान्य आय-व्ययक, १९६३-६४—उपस्थापित . ७२४—४७

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ७४८—४९

(१) वित्त विधेयक, १९६३

(२) अधिलाभ कर विधेयक, १९६३

(३) अनिवार्या जमा योजना विधेयक, १९६३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ७५०—५४

शुक्रवार, १ मार्च, १९६३/१० फाल्गुन, १८८४ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

डा० राजेन्द्र प्रसाद का निधन . . . ७५५—५९

दैनिक संक्षेपिका ७६०

अंक १०—शनिवार २ मार्च १९६३ / ११ फाल्गुन १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से २०६ और २०९ . . ७६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७३ से १९३, २०७, २०८ और २१० से २२२ ७८७—८०२

अतारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६२, २६४, २६६, २६७, २६९ से ३७० और . ८०२—५९
३७२ से ३९०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मनीपुर के रास्ते भारत में नागा विद्रोहियों का कथित प्रवेश . . ८५९—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ८६१—६३

राष्ट्रपति का संदेश ८६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण की जांच करने वाली समिति ८६४

प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . ८६४

राज्य सभा से संदेश ८६४

सभा का कार्य ८६४–६५

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३—पुरस्थापित . . ८६५–६६

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . ८६६—८६

दैनिक संक्षेपिका .

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—2961 (Ai) LSD—11-5-63—160.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २२ फरवरी, १९६३

३ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इस्पात उत्पादन की लागत

+

†*८३. श्री सुबोध हंसदा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० मो बनर्जी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में इस्पात की उत्पादन लागत कम करने और अन्तिम उत्पादों के परिवहन की गति बढ़ाने के उपायों पर विचार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†मूल अंग्रेजी में

2844 (Ai) LSD—1.

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख) इस्पात की उत्पादन लागत कम करने और अन्तिम उत्पादों के परिवहन की गति बढ़ाने के उपायों पर सरकार सतत ध्यान देती है। उत्पादन लागत को कम करने के लिये उत्पादन की रीतियों तथा कार्यकरण का अभिनवीकरण करने के उपाय किए जाते हैं। इसी प्रकार, अन्तिम उत्पादों के परिवहन में बाधा डालने वाली रूकावटों को जहां, कहीं भी वे पैदा होती हों, कम करने के लिये रेलवे विभाग से परामर्श किया जाता है। हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड के जनरल मैनेजरों और डायरेक्टरों की हाल ही में हुई बैठक में इन बातों पर विचार किया गया था।

†**श्री सुबोध हंसदा** : हमारे देश में इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में इस्पात की उत्पादन लागत क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : जहां तक निर्माण परिव्यय का सम्बन्ध है, वह लगभग एक जैसी ही है। मूल्यों में अन्तर इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार पड़ेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शुरू-शुरू में उत्पादन लागत का कोई निर्धारण किया गया था और सरकार को कब तक उत्पादन लागत उस स्तर तक आ जाने की आशा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जैसा कि मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, हम सरकारी क्षेत्र के स्पात्त संय ों की उत्पादन लागत को कम करने के लिये लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्पादन लागत में कहां-कहां कमी हो सकती है इसका पता लगा कर हम लागत को कम करने के लिये विविध उपाय कर रहे हैं तथा उन क्षेत्रों में कार्यवाही की जा रही है। मैं कोई निश्चित तिथि या काल तो नहीं बता सकता जब कि हम इस में सफलता प्राप्त कर लेंगे।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी उपमंत्री महोदय ने बतलाया कि इस्पात की उत्पादन लागत कम करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन से कदम हैं जिनकी कि वजह से स्टील की कौस्ट कम हो जाएगी और यह मेजर्स किन की सलाह से अखत्यार किये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि उत्पादन लागत कम करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : सबसे पहले तो हम इंधन के प्रयोग में बचत करने का प्रयत्न करते हैं और फिर कठोर धातु तथा इस्पात के उत्पादन की निपुणता सुधारते हैं। इसके बाद, इस्पात ालने में भी मितव्ययता की गुंजाइश है। हम इन सभी बातों की जांच कर रहे हैं। प्रत्येक कारखाने के लिये हमने कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। उसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में लागत में अन्तर है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह संयंत्रों में उत्पादन लागत के सम्बन्ध में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : अभी उपमंत्री महोदय ने बतलाया कि उन्होंने रेलवेज के जनरल मनेजर्स और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के डाइरेक्टर्स की एक मीटिंग बुला कर उन से बातचीत की है। मैं जानना चाहता हूं कि उस बातचीत में कौन सी ऐसी बात सामने आई है जिसके कि अनुसार पता चला कि स्टील का कौस्ट आफ़ प्रोडक्शन कम हो जायगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : जनरल मैनजर्स और डाइरैक्टर्स औफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की एक मीटिंग बुला कर जिन बातों पर विचार किया गया उनके बारे में मंत्री महोदय ने अभी प्रकाश डाला है। सबसे पहले फ्यूल का मामला है और उसके इस्तेमाल में किस तरह से कमी करके एकीनामी की जाय। इसके अलावा हार्ड मैटेल और स्टील के प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लायें और दूसरी ऐसी मदों पर विचार किया गया जिससे स्टील प्रोडक्शन की कोस्ट में कमी आये।

†**श्री दाजी** : क्या दुर्गापुर, भिलाई, रूरकेला और भद्रावती की तुलनात्मक परिव्यय संरचनाओं[1] का हिसाब लगा लिया गया है और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां, हम ने हिसाब लगा लिया है परन्तु मुझे खेद है, मैं तत्काल ही आंकड़े नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्य की रुचि हो तो मैं दे सकता हूं।

श्री बेरवा कोटा : अभी हाल म लोहा इस्पात व्यापारी संघ की सभा में यह विचार रखा था कि इस्पात की उत्पादन-लागत घटाई जानी चाहिये ? अगर हां, तो व्यापारियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या व्यापारियों के साथ कोई सभा हुई थी और यदि हां, तो क्या बातचीत हुई थी।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मध्यम आकार के इस्पात संयंत्र

+

†*८४. श्री रा० गि० दुबे :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "लोहा तथा इस्पात निर्माण में हाल में हुए सुधारों" सबंधी संयुक्त गोष्ठी में भाग लेने वाले ब्रिटिश शिष्टमंडल ने देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मध्यम आकार के एक लाख टन का इस्पात संयंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ख) क्या इस प्रस्ताव की, उसे क्रियान्विति करने की दृष्टि से, जांच की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Cost of Structures,

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी हां। "लोहा तथा इस्पात निर्माण में हाल में हुए सुधारों" संबंधी जमशेदपुर में हुई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में पढ़े गये पत्रों में से एक में यह सुझाव दिया गया था कि इस्पात के और अधिक उत्पादन की योजना बनाने के बारे में निर्णय करने से पहले बड़े तथा छोटे पैमाने (१लाख टन) के संयंत्रों पर ध्यानपूर्वक सोच विचार करना चाहिए।

(ख) सुझाव जिस रूप में दिया गया है उस पर अभी विस्तार से विचार नहीं किया गया है।

†**श्री रा० गि० दुबे** : जब कभी इस सुझाव को क्रियान्वित किया जाएगा, क्या मैं जान सकता हूं कि कच्चे माल तथा अन्य संभरणों की उपलब्धता के साथ-साथ जिन तत्वों पर विचार होगा क्या प्रादेशिक विकास में असंतुलन सम्बन्धी प्रश्न भी उन में से एक होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: हां, उस पर सदा विचार होता है। सच तो यह है कि छोटे पैमाने के संयंत्रों का सुझाव भी इसी पर आधारित है।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या महाराष्ट्र के चन्दा प्रांत में एक मध्यम आकार का संयंत्र स्थापित करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव मिला था ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह इस्पात संयंत्रों के लिये नहीं है यह तो कच्चे लोहे के उत्पादन के बारे में है।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या मैं जान सकता हूं कि जहां पर ये इस्पात संयंत्र स्थापित किये जाने वाले हैं उन क्षेत्रों को चुनने की क्या कसौटी है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : संयंत्रों के स्थान का चयन करते समय कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन की अर्थ-व्यवस्था, इन सारी बातों पर विचार किया जाता है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस गोष्ठी से पहले कुछ भारतीय विशेषज्ञों ने भी ऐसे सुझाव भेजे थे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां, इस गोष्ठी में बहुत से पत्र पढ़े गये थे और बहुत से भारतीय विशेषज्ञों ने भी इस में भाग लिया था।

†**श्री भक्तदर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि ब्रिटिश शिष्टमंडल द्वारा दिये गए सुझाव पर कब तक अन्तिम निर्णय कर लिए जाने की संभावना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : वह तो चौथी योजना के कार्यक्रमों के अनुसार होगा। इसलिए जब हम चौथी योजना में इस्पात उत्पादन कार्यक्रम को अन्तिम रूप देंगे तो इस पर भी विचार किया जाएगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि जमशेदपुर में हुई अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात गोष्टी में ब्रिटिश विशेषज्ञ ने सुझाव दिया था कि जापान की तरह इस्पात संयंत्र तट पर स्थापित किये जायें और यदि हां, तो सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो बिल्कुल ही अलग विषय है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं तट पर बने इस्पात संयंत्रों की ओर संकेत कर रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चि०सुब्रह्मण्यम : ऐसे संयंत्र केवल जापान में ही नहीं हैं परन्तु बहुत से देश तट पर इस्पात संयंत्र बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमें भी इस पर सोचना है तथा यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री यशपाल सिंह : इसी सदन में यह आश्वासन दिलाया गया था कि छोटे प्लांट्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जायगा और नये प्लांट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं जानना चाहता हूं कि उन छोटे प्लांट्स की कैपेसिटी को किस हद तक बढ़ाया गया है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें नये संयंत्रों की स्थापना तथा पुराने संयंत्रों के विस्तार दोनों पर विचार करना है और प्रत्येक मामले के गुण-दोष देख कर हमें निर्णय करना होगा।

उप-चुनाव

†*८५. †
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बृजराज सिंह :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री हेडा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में होने वाले उप-चुनाव सम्बन्धी प्रस्तावों पर कोई विचार किया गया है;

(ख) इन उप-चुनावों को कब तक रोके रखने का विचार है; और

(ग) क्या कुछ ऐसे ज्ञापन मिले हैं जिन में शीघ्र ही इन चुनावों को कराने का अनुरोध किया गया हो ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग ने सम्यक् विचार करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि जो उप-चुनाव विचाराधीन हैं, उन्हें अविलम्ब कराया जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) निर्वाचन आयोग को ऐसा कोई भी ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है जिस में चुनाव शीघ्र कराने का अनुरोध किया गया हो ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समय तक निर्वाचन आयोग ने कोई उप-चुनाव करने के आदेश दिये हैं ?

†**श्री विभुवेन्द्र मिश्र** : निर्वाचन आयोग पहले ही एक प्रैस विज्ञप्ति जारी कर चुका है जिस में कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्रों को चुनाव करने के लिये अधिसूचना मार्च में किसी समय जारी कर दी जाएगी तथा चुनाव अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में किये जायेंगे ।

श्री बड़े उठे ....

†**अध्यक्ष महोदय** : उप-चुनाव अब होने वाले हैं। अगला प्रश्न ।

†**श्री बड़े** : मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है मैं अगले प्रश्न के लिए कह चुका हूं ।

†**श्री बड़े** : जिन सदस्यों ने इस प्रश्न की सूचना दी है उनकी एक लम्बी सूची है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यही कारण है कि मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

†**श्री बड़े** : मैं दो बार उठा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें देखा था । अब अगला प्रश्न ।

अखबारी कागज

*८६. { श्री भक्त दर्शन : +
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज की उपलब्धि की क्या स्थिति है ; और

(ख) कुछ समय पहले अखबारों को अखबारी कागज देने पर जो नियंत्रण लगाये गये थे, उनकी इस समय क्या स्थिति है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : **(क) और (ख)**. सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) देश में अखबारी कागज़ बनाने का इस समय केवल एक कारखाना है जो मध्य प्रदेश में है और जिसका नाम नेपा मिल्स है। इस कारखाने की संस्थापित क्षमता ३०,००० टन प्रति वर्ष है। इसका वार्षिक उत्पादन २५,००० से २६,००० टन तक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चालू आयात नीति के अन्तर्गत अखबारों को अप्रैल, १९६१—मार्च, १९६२ में जितने अखबारी कागज़ की आवश्यकता हुई थी उस में २ १/२ प्रतिशत कटौती कर के कोटा दिया जाता है। १०० टन से अधिक अखबारी कागज़ पाने के हकदारों के मामले में ७५ प्रतिशत तक कोटा आयात करने की अन्तिम रूप से अनुमति दी जाती है तथा शेष की पूर्ति नेपा के कागज़ से की जाती है। १०० टन से कम अखबारी कागज़ के हकदारों के कोटे में कोई कटौती नही की जाती और उन्हें सारा कागज़ आयात करने की अनुमनि है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बिक्री बढ़ जाने के लिये कोई अतिरिक्त कोटा नहीं दिया जाता। बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से अखबारों को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वे जैसे भी चाहें अपने पृष्ठों की व्यवस्था कर सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का जो 'क' खंड है उसका वास्तविक उत्तर नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता था कि विदेशों से मंगा कर और अपने देश के उत्पादन को मिला कर न्यूजप्रिंट की इस देश के अन्दर क्या स्थिति है ?

श्री मनुभाई शाह : १,१२,००० टन की सालाना लागत है, जिस में से २३,००० टन हिन्दुस्तान में बनता है और ८८,००० टन बाहर से आता है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जो बड़े बड़े समाचारपत्र हैं, वे तो किसी प्रकार से अखबारी कागज़ प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन छोटे समाचारपत्रों के लिये एक बहुत बड़ी समस्या है, उन के लिए यह एक जीवन-मरन का प्रश्न हो जाता है ? इसलिए क्या उन के लिए कोई विशेष सुविधायें देने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : जो छोटे समाचारपत्र हैं, जिन की लागत सौ टन से नीचे है, उनको बिल्कुल एग्ज़ेम्प्ट किया गया है, उन को पूरा पूरा दिया जाता है, । जिन के इख़राजात सौ टन से ऊपर हैं, उन के लिए कटौती की गई है।

श्री बड़े : फ़ारेन कंट्रीज़ से जो न्यूज़प्रिंट मंगवाने की व्यवस्था की गई है, उसके वितरण के सम्बन्ध में शासन ने क्या विचार किया है ?

श्री मनुभाई शाह : छः करोड़ रुपए का सालाना फ़ारेन एक्सचेंज इस इंडस्ट्री पर खर्च किया जाता है। आज की हालत में उससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते हैं। जिन का दस हज़ार तक का डिस्ट्रिब्यूशन है, उन को ८.५७ पेजिज़ प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: इस में से कितना अख़बारी कागज स्वीडन से आयात किया जाता है और कितना अन्य देशों से ? इस आयात के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उस थोड़ी सी मात्रा को छोड़ कर जो रुपया-भुगतान देशों से आती है, यह सारी मुक्त विदेशी मुद्रा है। देश वार ब्योरा अलग अलग है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय मल्य पर निर्भर करता है। तथापि, इसकी अधिकतर मात्रा स्वीडन से आती है।

श्री रा० शि० पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि इस बात में कितने वर्ष लगेंगे, जब कि फ़ारेन इम्पोर्ट बिल्कुल बन्द हो जायगा और हम लोग अपने देश की आवश्यकता को लोकली पूरा कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : इस देश में रीडरशिप इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना में जिन तीन और प्लांट्स के लगाने का विचार है, उन के लग जाने के बाद भी न्यूज़प्रिंट की कनज़म्प्शन बढ़ती रहेगी ।

†**श्री कोया** : विवरण से ज्ञात होता है कि बढ़ी हुई ग्राहक-संख्या के लिए अतिरिक्त अभ्यंश नहीं दिया जाता । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या परिशिष्ठों के पृष्ठों को बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त अभ्यंश दिया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं ।

श्री तुलशीदास जाधव : अपने देश में न्यूज़प्रिंट की जो कमी है, उस को पूरा करने के लिए क्या सरकार और कारख़ाने खोलने का विचार कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : तीन और कारख़ाने खोलने के बारे में सोचा जा रहा है ।

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात याद है कि मध्य प्रदेश में जो अख़बारी कागज़ का कारखाना है, उस को बढ़ाने के लिये वह कई बार आश्वासन दे चुके हैं और मध्य प्रदेश में और भी कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर अख़बारी कागज़ बन सकता है ? क्या नेपा के कारख़ाने को बढ़ाने के लिए और नए कारख़ाने स्थापित करने के बारे में विचार किया जा रहा है?

श्री मनुभाई शाह : नेपा की कैपेसिटी डबल की जा रही है । बाकी मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है । नेपा में भी जो तक्लीफ़ है, वह रॉ मैटीरियल की है । और ज्यादा कारख़ाने वहां लगाने की गुंजायश नहीं है । जहां जहां शूगर फ़ैक्ट्रीज़, हैं, वहां पर उन के बगास से न्यूज़प्रिंट बनाने का प्रबन्ध किया जा सकता है ।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : कागज बनाने के लिये लुगदी आवश्यक है और उसके लिये अपेक्षित परिणाम में वनरोपण बहुत आवश्यक है । नेपा मिल के संबंध में सरकार राज्य सरकारों से वनरोपण के लिये कहती आई है । उसमें हमने क्या प्रगति की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वनरोपण वन-महोत्सव के अधीन आता है ।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : मैंने एक एसा ही प्रश्न पहले भी किया था । तब भी वह उत्तर नहीं दे सके थे । अब तो उनके पास जानकारी एकत्रित करने के लिये पर्याप्त समय था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रश्न ऐसा था कि उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता था, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

†**श्री ह० प० चटर्जी** : केन्द्र ने वनरोपण के लिये राज्यों को धन दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने कितना वनरोपण किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक अलग प्रश्न की सूचना दे सकते हैं और उसका उत्तर दे दिया जायेगा ।

†**श्री हेडा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अखबारी अथवा अर्द्ध-अखबारी कागज का निर्माण करने वाले भारतीय संयंत्रों के उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

†श्री हेडा : वितरण पर प्रतिबन्ध ?

†श्री मनुभाई शाह : समस्त वितरण नियंत्रित है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अखबारी कागज में जो ढाई प्रतिशत की कटौती की गई है, देर से देर कब तक उसकी पूर्ति कर दिये जाने की आशा की जाती है ?

श्री मनुभाई शाह : निकट भविष्य में उसको विदड्रा करने का कोई ख्याल नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत से ऐसे अखबार हैं, जिनको कागज दिया जाता है और जो उस कागज को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं ? क्या उन पर किसी प्रकार की रोक लगाई गई है ?

श्री मनुभाई शाह : वह शिकायत सही है, लेकिन हम ने इस बारे में बहुत कोशिश की है। अब आडिटर के सर्टिफिकेट बहुत कड़े कर दिये गये हैं और बार-बार इन्स्पैक्शन किया जाता है। इसीलिये पिछले साल ऐसे बहुत कम केसिज हमारे नोटिस में आये हैं, जहां अखबारी कागज का गलत इस्तेमाल किया जाता हो।

एण्टीबायोटिक्स का उत्पादन

†*८७. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान राष्ट्रीय संकट को देखते हुये सरकारी क्षेत्र में एण्टीबायोटिक्स का उत्पादन बढ़ाने के कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं और क्या भावी उत्पादन के लिये कोई नये तथा पुनर्रक्षित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

संकटकाल को देखते हुये हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटड, पिम्परी, में उत्पादन बढ़ाने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। पेनिसिलिन का उत्पादन, जो पहले ही १९६०–६१ में ४३ एम० एम० यू० से १९६१–६२ में ४५ एम० एम० यू० तक बढ़ाया जा चुका है, और बढ़ाया गया है तथा आशा की जाती है कि १९६२–६३ में यह ५० एम० एम० यू० तक बढ़ जायेगा। दो और फरमेंटर जोड़ दिये जाने पर १९६३–६४ में पेनिसिलिन का उत्पादन ६० एम० एम० यू० तक बढ़ जायेगा।

४५ टन वार्षिक की क्षमता वाला एक स्ट्रैप्टोमाइसिन संयंत्र स्थापित कर दिया गया है तथा प्रयोगात्मक उत्पादन आरम्भ हो चुका है। ९० टन प्रति वर्ष तक इसकी क्षमता बढ़ाने का काम १९६३ के अन्त तक पूर्ण हो जायगा। टैट्रासाइक्लीन्ज जैसे अन्य एण्टीबायोटिक्स के उत्पादन के लिये भी योजनायें हाथ में ली जा रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूसी सहयोग के साथ भारतीय ड्रग्स और फारमेस्यूटिकल्ज के अधीन ऋषिकेश में २१५ टन प्रतिवर्ष अन्य एण्टीबायोटिक्स के साथ १४० एम० एम० यू० प्रतिवर्ष पेनिसिलिन बनाने की क्षमता रखने वाला एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। प्रस्तावित क्षमता को तीसरी योजना काल में प्राप्त कर लेने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** एण्टीबायोटिक्स के लिये देश की कुल आवश्यकता कितनी है तथा उसमें से कितने प्रतिशत देश में ही उत्पादन होता है ?

†**श्री कानूनगो :** कुल अनुमानित मांग ९०० लाख मेगा यूनिट है जिसमें से वर्तमान संस्थापित उत्पादन लगभग ६५० लाख मेगा यूनिट है विस्तार किया जा रहा है और, जैसा कि विवरण में बताया गया है, जब ऋषिकेश संयंत्र में उत्पादन आरम्भ हो जायगा तो उत्पादन मांग से अधिक हो जायेगा।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** १९६१–६२ में भारत को विदेशों से उपहार के रूप में मिले एण्टी-बायोटिक भेषजों की कुल मात्रा कितनी है ?

†**श्री कानूनगो :** उसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो स्टेटमेंट सभा पटल पर रखा गया है, उसमें लिखा है, "दि प्रोडक्शन इज एक्पेक्टिड टु रीच फिफ्टी एम० एम० यू० ड्यूरिंग १९६२–६३"। चूंकि १९६२–६३ बीत चुका है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि प्राडक्शन की कैपेसिटी १९६३–६४ में ५० एम० एम० यू० तक पहुंचेगी या वह १९६२–६३ में वहां तक पहुंच चुकी है। इस समय क्या स्थिति है ?

श्री कानूनगो : हमारी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी ५० मेगा यूनिट्स है और करीब करीब उतनी ही प्रोडक्शन हो रही है।

†**श्री दाजी :** क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि नया संयंत्र कब काम करना शुरू कर देगा और क्या यह एकपक्षीय संयंत्र है अथवा पूर्ण, सामासिक एकक है ?

†**श्री कानूनगो :** मैं समझता हूं कि प्रश्न ऋषिकेश संयंत्र के संबंध में है। उसमें अभी लगभग और तीन वर्ष लग जायेंगे।

†**श्री दाजी :** मेरे प्रश्न के एक भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह केवल कुछेक विशष भेषजों में ही विशेषीकरण करेगा।

†**श्री कानूनगो :** संयंत्र केवल सभी स्पैक्ट्रम्स[1] से संबंधित एण्टीबायोटिक्स के उत्पादन के लिये बनाया गया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि प्रधान मंत्री ने अपनी गत वर्ष की कोलम्बो यात्रा के दौरान कोलम्बो में आयुर्वेदिक संस्था के उद्घाटन-समारोह में कहा था कि एण्टीबायोटिक्स के साथ उनका अनुभव बड़ा दुखद रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तव में कई बार इलाज बीमारी से भी अधिक बुरा होता है। क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि "एंटीबायोटिक्स" शब्द का अर्थ ही जीवन-घातक होता है, मनुष्य के जीवन तथा बेसिली[2] दोनों के लिये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह सीधा प्रश्न पूछने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Spectrums.

[2] Bacilli.

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि हां, तो क्या सरकार एंटीबायोटिक्स के बारे में प्रधान मंत्री की राय को देखते हुये इस मामले के पुनरीक्षण अथवा पुर्नविलोकन पर विचार कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : कोई पुनरीक्षण किये जाने का विचार नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्यों नहीं ? कारण क्या है ? प्रधान मंत्री सरकार के प्रमुख संचालिक हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, उनको अवसर मिल चुका है।

†**श्री कछवाय** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकेश में जो कारखाना खुला है, उसकी कितनी प्रगति हुई है और उसमें रूस का कितना सहयोग है ?

श्री कानूनगो : यह कारखाना पूरे रूस के सहयोग से बन रहा है। उसकी कुछ मशीनें आ गई हैं और मकानात तैयार हो रहे हैं।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

*८८. †{ **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : **श्री मोहन स्वरूप** : **श्री बड़े** : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के लिये १९६१-६२ के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख). जी, हां। १९६१-६२ में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इक्वपमेंट फैक्टरी, भोपाल में १.७७ करोड़ रुपया का उत्पादन हुआ जबकि मैनेजमेंट ने २.६ करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था। उत्पादन में इस कमी के प्रमुख कारण थे बाहर से आने वाले कच्चे माल और संघटक भागों के आने में देरी तथा कारखाने में फरवरी-मार्च, १९६२ में मजदूरों की हड़ताल।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं है कि बार बार होने वाली हड़तालों का संचालन कुछ ऐसे संगठनों द्वारा किया गया था जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा प्रस्वीकृत नहीं थे ? क्या इस समय वहां कोई प्रस्वीकृत संघ काम कर रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: प्रस्वीकृत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। मेरी यही जानकारी है कि अभी हाल ही में इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस संघ को मान्यता दी गई है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने ५५ करोड़ रुपये की अनुमानित आय तक का एक नया कार्यक्रम भेजा है और यदि हां, तो क्या सरकार के विचार में गत अनुभव को देखते हुये यह न्यायसंगत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ५५ करोड़ रुपये का लक्ष्य १९७०-७१ में प्राप्त किया जाना है। गत अनुभव से तो हमें पूरा विश्वास है कि १९७०-७१ तक इस लक्ष्य तक पहुंचना संभव होना चाहिये ।

†श्री बड़े : क्या यह सही है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्ज भोपाल में कर्मचारियों और अफसरों दोनों में ही डिससैटिसफैकशन है और बहुत सा माल चोरी हो कर बाजार में बिक जाता है और यह भी एक कारण है कि कम प्रोडक्शन हुआ है ? क्या इसकी शिकायत मध्य प्रदेश शासन ने सैंटर के पास की है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह तो एक सामान्य सा प्रश्न है कि क्या असन्तोष है या प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच कुछ कठिनाइयां हैं। कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं और उनकी जांच की जा रही है और उन्हें तय किया जा रहा है तथा स्थिति अब बहुत कुछ सुधर गई है।

†डा० गोविन्द दास : लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि वहां के व्यवस्थापकों और मजदूरों के आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं और वहां का मजदूर वर्ग इस तरह से काम नहीं करता है जिस तरह से कि उनको करना चाहिये ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि मैंने अभी संकेत किया है, कुछ कठिनाइयां सामने आई थीं ; स्थिति में अब बहुत सुधार हो गया है।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या यह मालूम करने के लिये कि पुर्जों के सम्भरण में विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी था कोई जांच समिति नियुक्त की गई है ? क्या इसके लिए विदेशी सार्थ उत्तरदायी थे अथवा क्रयादेश बहुत विलम्ब से दिए गए थे ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उपलब्ध जानकारी के अनुसार, क्रयादेश तो समय पर ही दिए गए थे परन्तु इन पुर्जों को विदेशों से प्राप्त करने में कुछ विलम्ब हुआ था।

†श्री वाजी : क्या पुर्जों के सम्भरण के सम्बन्ध में स्थिति अब सुधर गई है ? क्या अब यह कार्यक्रम से पीछे रह गई है अथवा कार्यक्रम के अनुसार ही चल रही है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह अब बहुत सुधर गई है।

†श्री प्रिय गुप्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स्, भोपाल के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में स्थायी आदेश निकाल दिए गए हैं और वे कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई कि यह उपलब्ध नहीं हैं।

†श्री प्रिय गुप्त : क्या य उपलब्ध हैं अथवा नहीं ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वे उपलब्ध हैं :

†श्री रा० शि० पाण्डेय : पिछले महीने हैवी इलैक्ट्रीकल्ज में आग लग गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि उस आग से हमारे उत्पादन पर क्या असर पड़ा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह एक मामूली सी दुर्घटना थी और इसका उत्पादन पर किसी भी रूप में प्रभाव नहीं पड़ा ।

शक्ति चालित करघा उद्योग

†*८६. { +श्री बी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शक्तिचालित करघा उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिये श्री अशोक मेहता के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) समिति के निर्देशपद क्या हैं ; और

(ग) समिति ने अपने कार्य में अभी तक क्या प्रगति की है और क्या उसके प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ।

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां :

(ख) समिति के निर्देश-पद निम्नलिखित हैं :—

(१) शक्तिचालित करघा उद्योग के ढांचे तथा उत्पत्ति की जांच करना जिसमें उसकी किस्में, अधिकृत पूंजी, स्वामित्व, उपकरणों, कच्चे माल का सम्भरण, उत्पन्न किए गए वस्त्रों की किस्में, वस्त्र परिष्करण, विपणन, वित्तपोषीकरण तथा उससे सम्बन्धित अन्य बातों का विशेष निर्देश होगा ;

(२) उत्पादन की लागत, कार्य की दक्षता और कर्मकारों की दशाओं को ध्यान में रखते हुए शक्तिचालित करघा उद्योग की लाभकारिता की जांच करना ;

(३) शक्तिचालित करघा उद्योग द्वारा लिए जाने वाले आपेक्षिक भाग का हथ-करघा उद्योग तथा मिल उद्योग द्वारा लिए जाने वाले भाग के संमुखीन विचार करना और उत्पादन के लक्ष्यों की सिफारिश करना ।

(४) गत वर्षों में जो अनधिकृत शक्तिचालित करघों की प्रत्यक्ष वृद्धि हुई है उनके कारणों की जांच करना तथा उनके भविष्य में होने वाले अधिकृत विस्तार को रोकने के लिए उपायों की खोज करना ;

(५) हथकरघा सहकारी संस्थाओं को शक्तिचालित करघा संस्थाओं के रूप में बदलने की वांछनीयता तथा उसके क्षेत्र की जांच करना ;

(६) शक्तिचालित करघा उद्योग को उनको सौंपे जाने वाले कार्य क्षेत्र के अन्दर अन्दर ही दृढ़ आधारों पर स्थापित करने के सुझाव देना ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) समिति ने छः महीनों के अन्दर अन्दर अपना प्रतिवेदन सरकार को देने के लिए कहा है।

(ग) समिति की पहिली बैठक ४ फरवरी, १९६३ को हुई थी जिसमें सदस्यों ने समिति का भविष्य का कार्यक्रम बनाया और राज्य सरकारों के शक्तिचालित करघा उद्योग तथा अन्य उद्योगों को भेजे जाने के लिए प्रश्नावली को भी अन्तिम रूप दिया। प्रतिवेदन की तिलिपि तथा साथ ही उस पर लिए गए सरकार के निर्णय यथासमय सभा-पटल पर रख दिए जायेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: किन विशिष्ट कारणों से सरकार को इस समय यह समिति नियुक्त करनी पड़ी।

†**श्री मनुभाई शाह**: इसके लिए उन विभिन्न राज्यों से प्रार्थनायें प्राप्त हुईं थीं जो कि अधिक संख्या में शक्तिचालित करघों को चलाना चाहते थे। इसके विरुद्ध कुछ ऐसे भी राज्य थे जो यह अनुभव करते थे कि देश में कोई नये शक्तिचालित करघे स्थापित न किए जायें। शक्तिचालित करघा क्षेत्र स्वयं भी भविष्य की नीति को जानने के लिए उत्सुक था। इन सबके कारण सरकार को यह अनुभव करना पड़ा कि सब नीति सम्बन्धी मामलों का निर्णय करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जाय।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: विवरण में यह कहा क्या है कि हथकरघों, शक्तिचालित करघों तथा मिलों के कार्य-क्षेत्र निर्धारित कर दिए जायेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारित किये जायेंगे अथवा निर्धारित किये जा चुके हैं और आगे उनमें संशोधन किया जा सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: अन्य दो उद्योग क्षेत्रों का तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो वस्त्र उद्योग के वर्तमान ढांचे में शक्तिचालित करघों की स्थिति के सम्बन्ध में है कि क्या इनका कुछ भी विस्तार किया जाना चाहिये और यदि हां, तो किस ढंग से ?

†**श्री दी० चं० शर्मा**: मेरा विचार है कि माननीय मंत्री ने समिति के निर्देश-पदों का अध्ययन ही नहीं किया है। यहां यह कहा गया है :—

"हथकरघा सहकारी संस्थाओं को शक्तिचालित करघा संस्थाओं के रूप में बदलने की वांछनीयता तथा उसके क्षेत्र पर विचार करना ; और शक्तिचालित करघा उद्योग द्वारा लिए जाने वाले आपेक्षिक नाम का हथकरघा उद्योग तथा मिल उद्योग द्वारा लिए जाने वाले भाग के संमुखीन विचार करना और उत्पादन के लक्ष्यों की सिफारिश करना।"

†**श्री मनुभाई शाह**: विभिन्न हितों की परस्पर विरोधी मांगों को देखते हुए, मूलभूत प्रश्न यह हैं कि क्या शक्तिचालित करघों के उत्पादन के वर्तमान लक्ष्य में कोई संशोधन करने की आवश्यकता है अथवा वर्तमान नीति ही जारी रहनी चाहिए।

†**श्रीमती साबित्री निगम**: विवरण के पद (४) में इसका उल्लेख ऐसे किया गया है "अनधिकृत शक्तिचालित करघों की प्रत्यक्ष वृद्धि के कारणों की जांच करना ...." आदि।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या सरकार उन शक्तिचालित करघों को जो पहिले ही से कार्यरत हैं विनियमित करने का विचार कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : अनेक वर्षों में हमने ६०,००० से अधिक शक्तिचालित करघों को विनयमित कर दिया है। परन्तु दो वर्ष पूर्व हमने यह चेतावनी दे दी है कि अब कोई विनियमन नहीं किया जायेगा। वस्तुतः इसी कारण हमने अनविकृत शक्तिचालित करघों की वृद्धि को रोकने के लिए कहा है।

†श्री बड़े : क्या यह ३०,००० हैं अथवा ६०,००० ?

†श्री मनभाई शाह : कुल मिला कर ६०,०००।

†श्री श्याम लाल सर्राफ़ : क्या यह समिति शुद्ध रेशम के शक्चिालित करघों की वर्तमान दशाओं की भी जांच करेगी।

†श्री मनुभाई शाह : समिति अधिकतर सूती तथा कृत्रिम रेशमी वस्त्र उद्योगों और ऊनी वस्त्र उद्योगों की जांच करेगी। यदि कुछ अन्य करघा उद्योग भी हैं तो समिति पर उनकी जांच करने के लिए भी कोई रोक नहीं लगाई गई है।

†श्री तुलशीदास जाधव : कई लोग पावर लूम्ज ले कर बैठे हैं। उनको टैक्समार्क न मिलने से बहुत नुक्सान उठाना पड़ रहा है। क्या इसके बारे में भी सरकार ने कुछ सोचा है ?

†श्री मनुभाई शाह : यही तो झगड़ा है। लोग अनआथोराइज्ड तरीके से लगा लेते हैं। दस साल से टैक्समार्क देना बन्द कर दिया है। फिर भी लोग लगा लेते हैं। इसी वास्ते तो यह कमेटी बनाई गई है।

†श्री रंगा : क्या मैं यह समझ लूं कि सरकार शक्तिचालित करघों को हथकरघा बुनकरों तथा हथकरघा बुनाई के कार्य-क्षेत्र में टांग न अड़ाने देने की नीति से दूर नहीं रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : अनधिकार हस्तक्षेप अथवा टांग अड़ाने का प्रश्न नहीं है। देश की अर्थ-व्यवस्था तथा मांगें निरन्तर बढ़ रही हैं। इस बढ़ी हुई मांग की अवस्था में, वस्तुतः यह निर्धारित करना है कि किसी भी क्षेत्र में अनधिकार हस्तक्षेप हुए बगैर, शक्तिचालित करघा उद्योग को क्या भाग लेना होगा।

†श्री शंकरय्या : क्या सहकारी समितियों के प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

†श्री मनुभाई शाह : बहुत से राज्यों वाले इतने बड़े देश में विभागीय प्रतिनिधित्व रखने का प्रश्न ही नहीं होता। हमने अनुभवी व्यक्तियों को जिनकी मन्त्रणायें तथा सिफारिशें सरकार के लिए मूल्यवान होंगी लेने के प्रयत्न किये हैं ?

†श्री सरजू पाण्डेय : क्या मन्त्री जी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश से पावर लूम्ज़ लगाने की बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं ? अगर यह बात सही है और डिमांड बहुत है तो सरकार इस सिलसिले में क्या कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : बहुत सी स्टेटों से बड़ी डिमांड है । कई स्टेटों से कुछ ऐसी भी डिमांड है कि जो चलती हैं, वे भी बन्द कर दी जायें । सारे कंफिल्कट को, सारे संघर्ष को किस तरह से हल किया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

†*९०. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी उर्वरक कारखाने में अमोनिया सल्फेट का उत्पादन, संयंत्र की निर्धारित क्षमता से बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन बढ़ने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सिन्दरी उर्वरक कारखाने में अमोनिया सल्फेट का निम्नलिखित उत्पादन हुआ है :—

	यूनिट टन
१९६१–६२	२,८४,३२६
१९६२–६३ (जनवरी, १९६३ तक)	२,६८,७४६

उत्पादन की वर्तमान दर पर, कुल ३ लाख २० हजार टन अमोनिया सल्फेट का उत्पादन होगा जबकि होने वाली वार्षिक उत्पादन क्षमता ३ लाख ३५ हजार २८० टन है ।

१९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में मुख्य रूप से उचित किस्म का कोयला उपलब्ध न होने, खड़िया मिट्टी की किस्म में गिरावट होने तथा यन्त्रों में हुई टूट-फूट के कारण उत्पादन बहुत कम हुआ था । कारखाने को अब उचित प्रकार का कोयला प्राप्त हो रहा है तथा अन्य दोषों का भी सुधार किया जा रहा है ।

†श्री दीनेन भट्टाचार्य : १९५९ से जो कम उत्पादन हुआ हैं क्या सरकार ने उसका मूल्यांकन किया हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : जो हानि हमें हुई है उसका ।

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : रुपयों में मूल्य निकालने के लिए, हमें जो कमी हुई है उस को मूल्य से गुणा करना होगा । मेरे पास निश्चित आंकड़े नहीं हैं ।

†डा० रानेन सेन : दो अथवा तीन वर्ष पहिले सरकार ने सिन्दरी उर्वरक कारखाने के कार्य-संचालन की जांच करने के लिए डा० हुसैन ज़हीर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी और उस समिति द्वारा सरकार से कुछ सिफारिशें भी की गई थीं । क्या मैं जान सकता हूं कि उनका क्या हुआ अथवा उन सिफारिशों का क्या भाग्य रहा ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन सिफारिशों में से अनेक सिफारिशें लागू कर दी गई हैं और कुछ लागू की जा रही हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १० से कुछ अधिक वर्ष पूर्व इस कारखाने की उत्पादन क्षमता का अनुमान ३ लाख ६५ हजार टन लगाया गया था—उन्होंने बताया था कि प्रति-दिन १ हजार टन का उत्पादन होगा—इसका क्या कारण है कि कारखाने द्वारा अभी तक वह उत्पादन नहीं किया गया जिसका अनुमान १० वर्ष पहिले लगाया गया था ? उन्होंने यह भी बताया था कि बहुत सी मशीनरी खराब हो गई है तथा उनमें मरम्मत करने की आवश्यकता है और समय पर उन्हें पुनः चालू करने योग्य नहीं बनाया गया। क्या उन्होंने समय पर इन मरम्मतों को करवाने के लिए पर्याप्त कदम उठाये हैं तथा मशीन का नवीकरण हो गया है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सब ३६५ दिनों में कार्य किये जाने पर उत्पादन क्षमता ३ लाख ५५ हजार ५०० टन बताई गई थी। परन्तु सब ३६५ दिनों में कार्य करना सम्भव नहीं है क्योंकि मशीन का* संधारण भी आवश्यक है। वास्तव में चार या पांच साल तक बराबर पूरा पूरा उत्पादन हुआ, परन्तु बाद में मशीन बिगड़ गई। इसलिए अब केवल ३३० दिन ही कार्य किया जाता है तथा उत्पादन क्षमता ३ लाख २५ हजार टन है। इतना उत्पादन हो चुका है, मेरा यह विचार नहीं है कि हम और अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करें और परिणामस्वरूप मशीन को बिगाड़ दें।

†श्री न्द्रजीत लाल मल्होत्रा : देश में अमोनिया सल्फेट की कुल कितनी आवश्यकता है तथा उत्पादन की वर्तमान दर से यह कहां तक पूरी की जाती है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जो प्रश्न किया जा रहा है वह सिदरी के सम्बन्ध में एक विशिष्ट प्रश्न है।

†श्री अ० प्र० जैन : यह कारखाना दूसरे किन उर्वरकों का उत्पादन कर रहा है और इन उर्वरकों का वास्तविक उत्पादन लक्ष्य-उत्पादन की तुलना में कितना है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यहां डबल साल्ट अमोनिया सल्फेट-नाइट्रेट तथा यूरिया नाम के दो अन्य उर्वरकों का उत्पादन किया जा रहा है। जहां तक इन दो उर्वरकों का सम्बन्ध है हम नई लगाई गई मशीन में आये कुछ दोषों के कारण उत्पादन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं और हमें कम उत्पादन पर ही सन्तोष करना पड़ रहा है।

बोकारो इस्पात संयंत्र

†*९१. { +श्री वासप्पा :
श्री प्र० ० चक्रवर्ती :
श्री मुरारका :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात सन्यन्त्र सम्बन्धी अमरीकी विशेषज्ञ दल ने अपने निर्णय सरकार को बता दिये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो वे अपने निर्णय कब तक बतायेंगे ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) मार्च, अप्रैल, १९६३ तक

---

†मूल अंग्रेजी में

*Maintenance

†श्री बासप्पा : इस्पात सन्यन्त्र की अनुमानित क्षमता कितनी है तथा इस सन्यन्त्र पर कुल कितना अनुमानित व्यय किया जायेगा ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर ही यह सब कुछ स्पष्ट हो सकेगा ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार इमरजेंसी में लोहे की हालत को देखते हुए बुकारो प्लांट को बनाने में कोई उत्सुकता दिखाएगी ताकि वह जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कुछ निर्णय कर ने से पूर्व हमें प्रतिवेदन प्राप्त करना है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही वह निर्णय लिया जायेगा ।

†श्री प्र० र० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि कुछ ब्रिटिश उद्योगों ने यह उपक्रम अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बोकारो को नहीं ।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि अमरीकन विशेषज्ञों को अपनी रिपोर्ट देने में इतनी देर लगने का क्या कारण है । पिछली बार भी यही कहा गया था और इस बार भी यही कहा जा रहा है । इसका क्या कारण है ?

श्री प्र० चं० सेठी : पिछली बार जो समय बताया गया था वही इस बार भी बताया गया है । उस समय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है ।

भारत-इण्डोनेशिया व्यापार करार

+

†*९२. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेमराज :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कजरोलकर :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इण्डोनेशिया के व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों के बीच प्रारम्भिक बातचीत में दोनों देशों में दीर्घकालीन व्यापार करार हो गया है ;

(ख) इण्डोनेशिया को सामान, मशीन और प्रौद्योगिक जानकारी देने में भारत कहां तक सहायता देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ग) क्या करार की शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिये एक पृथक् व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के दिल्ली आने की आशा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). प्रविविक विशेषज्ञों तथा व्यापार प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मण्डल की इण्डोनेशिया से भारत में शीघ्र ही पहुंचने की सम्भावना है। इस प्रतिनिधि मण्डल द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की सूची आदि की विस्तृत खोजबीन किए जाने के पश्चात्, दोनों देशों के बीच करार करने के लिए इण्डोनेशिया के एक मन्त्री के नेतृत्व में एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल भारत आयेगा।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : भारत तथा इण्डोनेशिया के बीच व्यापार की वर्तमान प्रमात्रा[1] क्या है ?

†मनुभाई शाह : लगभग ५ करोड़ रुपये।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या हमने इण्डोनेशिया को निर्यात के अन्य मार्गों की खोजबीन की है ?

†श्री मनुभाई शाह : इसी कारण तो हमने व्यापार प्रतिनिधि मण्डल को आमन्त्रित किया था और इण्डोनेशिया के वैदेशिक कार्य मन्त्री डा० सुबान्द्रियो, की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमण्डल भारत आया भी था। इस विषय पर हमने उनसे चर्चा की थी। आरम्भिक करार पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। क्रय की जाने वाली वस्तुओं की सूचियों के विवरण तैयार किये जा रहे हैं।

श्री गु० सिंह० मुसाफिर : क्या सरकार को इस बात का पता है कि इण्डोनेशिया से बहुत से हिन्दुस्तानियों को अपना कारोबार बन्द कर के यहां आने के लिए मजबूर होना पड़ा है ? अगर हां, तो क्या इण्डोनेशिया की गवर्नमेंट से बात होते वक्त इन लोगों के ग्रीवांसेज का ख्याल रखा जाएगा ?

श्री मनुभाई शाह : वैसे कई लोग तो वहां जा भी रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को किसी ऐसे व्यक्ति का पता हो तो वह हमको सूचना दें, हम उसके लिए इंटरसीड करेंगे।

श्री द्वारकादास मन्त्री : इण्डोनेशिया से हमारा जो करार होने वाला है, क्या उसमें यह प्रतिबन्ध भी रखा जाएगा कि जो माल हम उसको सप्लाई करें उसको चीन को न रवाना करे ?

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

+
†*९३. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने विदेशों के साथ मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये कोई दीर्घकालीन प्रबन्ध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम ने कई सौदों के प्रबन्ध किये हैं जिनके अन्तर्गत ९९६ लाख रुपये के मूल्य का मैंगनीज अयस्क निर्यात किया जाना है और इसके बदले में आवश्यक वस्तुओं जैसे इस्पात, उर्वरकों तथा वस्त्र उद्योग की मशीनों का आयात किया जाना है। इसी प्रकार के और भी सौदों के प्रबन्धों की बातचीत चल रही है जिनके अन्तर्गत प्रचुर मात्रा में मैंगनीज अयस्क भेजा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त राज्य व्यापार निगम चालू सौदों के आधार पर पूर्वी यूरोपीय देशों तथा अन्य देशों को भी मैंगनीज अयस्क का निर्यात करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Quantum.

[2]Protocol.

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि मैंगनीज अयस्क का हमारे देश से निर्यात उस समय से कम है जिस समय कि वह अधिकतम था और यदि हां, तो और अधिक आयात करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सच है कि गत पांच वर्षों से हमारा मैंगनीज अयस्क का निर्यात लगातार गिर रहा है क्योंकि गाबो, ब्राजील तथा सोवियत संघ में नई खान निकल आई हैं। सबसे अधिक आयात १९५७ में किया गया था। गत पांच वर्षों में यह स्थिर सा हो गया है और आयात को अधिकतम करने के लिए, शायद, कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि खानों से बन्दरगाहों तक अधिक रेलभाड़ा दिए जाने के कारण हमारे मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर प्रभाव पड़ा है; और यदि हां तो क्या सरकार रेल भाड़े का इस ढंग से समायोजन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे कि हम अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता कर सकें ?

†श्री मनुभाई शाह : सभा को यह ज्ञात है कि ५० प्रतिशत छूट तो पहिले ही दे दी गई हैं और यह हमारी हार्दिक इच्छा है कि यह रियायत अब भी जारी रहे चाहे वह कुछ परिवर्तित रूप में हो।

†श्री ब० कु० दास : क्या इस दीर्घकालीन प्रबन्ध से हमको मूल्य अथवा अन्य बातों सम्बन्धी कोई सुविधा प्राप्त हुई है ?

†श्री मनुभाई शाह : मूल्य स्थिर हो जायेंगे, खानों से उनकी अधिकतम क्षमता का अयस्क निकल जायेगा और यह सम्भव हो सकता है कि परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि के कारण मूल्य एक अथवा दो रुपये प्रति टन के हिसाब से कम हो जायें।

†श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने बताया है कि किये गये करार के अधीन उर्वरक विदेशों से मंगवाये जायेंगे। यह आयात कितनी देर तक होता रहेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : हम लगभग २००००० टन का आयात करेंगे।

†श्री दे० जी० नायक : क्या इन निर्यात करारों से विविध खानों की सहायता होगी, अपने खनन कार्य को पुनः चालू करने में, जिन्होंने अपना काम बन्द कर दिया है ?

†श्री मनुभाई शाह : बहुत कम बन्द हुए हैं ? यदि हम चल रही खानों को चालू रख सकें तो वह भी इस संबंध में बड़ा काम होगा।

†श्री रा० शि० पांडे : क्या फेरो मैंगनीज निर्यात के लिये किसी विदेशी सार्थ के साथ कोई करार किया गया है, जो मैंगनीज अयस्क का तैयार माल है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह पृथक बात है। वस्तु विनिमय के सौदे के संबंध में बातचीत की जा रही है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये जिस किसी विदेशी के साथ यह दीर्घ-कालीन व्यवस्था की गई है, क्या उस देश ने पत्तनों तक मैंगनीज अयस्क के परिवहन में हमारी सहायता करने का कोई प्रस्ताव पेश किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : मैंगनीज अयस्क के बारे में यह सवाल पैदा नहीं होगा, जैसा कि सभा मानेगी, क्योंकि केवल १० लाख से १५ लाख टन तक की मात्रा का मामला है। परन्तु ठीक यही हालत लोह अयस्क के बारे में हैं और हमारी सभी द्विपक्षी संविदाओं में हम परिवहन सुविधाओं का विकास शामिल करते हैं क्योंकि मात्रा २५० लाख से ३०० लाख टन है जिस का हमने लक्ष्य रखा है।

†डा० रानेन सेन : चूंकि घाना भी मैंगनीज उत्पादन करता है और अन्य देशों को मैंगनीज का निर्यात कर रहा है, क्या इस मामले में उसके साथ प्रतियोगिता के संबंध में कोई कठिनाई है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी हां, गाबो, घाना तथा कांगो के साथ बड़ी प्रतियोगिता है जहां कि खानें आधुनिक ढंग की हैं और पूर्णतया मशीनों से चलती हैं तथा हाल ही में आरंभ हुई हैं। और इसी कारण वे मूल्य को बहुत घटाने में सफल रही हैं।

मोटर गाड़ियों के मूल्य

†*९४. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) मोटर गाड़ियों के मूल्य कम करने और सहायक उद्योग की ठीक व्यवस्था करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ में कितने मूल्य के पुर्जे (१) आयात किये गये, तथा (२) सहायक उद्योग को दिये गये ; और

(ग) वर्ष १९६३-६४ के लिए उद्योग का क्या कार्यक्रम है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० ८४७/६३]

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : २९ जनवरी को माननीय मंत्री ने कहा था कि मोटर गाड़ी उद्योग को मूल्य कम करने चाहियें और विशेषकर सहायक पुर्जों के संबंध में। उच्च लागत के यह विश्लेषण क्या है और माननीय मंत्री मूल्य गिराने के लिये क्या निश्चित कार्रवाई करने का विचार करते हैं ? मैं आशा करता हूं कि वह केवल वक्तव्य देने मात्र से संतुष्ट नहीं होंगे।

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : विश्लेषण इन पुर्जों की आयात लागत तथा देशी बने पुर्जों के मूल्य के संबंध में किया गया था जो काफी अधिक है। इसीलिये मैंने सुझाव दिया था कि लागत कम की जानी चाहिये और उत्पादन की दर बढ़ा कर लागत को घटाने के लिये कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकार लागत को कम किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि अब भी लागत को कम करने के संकेत हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा था उससे अब बिल्कुल भिन्न बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था और मैं देश के सहायक उद्योगों का विशेष रूप से उल्लेख करता हूं कि वे उद्योग अनुशासन पूर्ण नहीं थे और अधिक कुशलता लाने के लिये कुछ कार्रवाई की जानी थी। इसके क्या कारण हैं कि सहायक उद्योग उचित लागत पर पुर्जे तैयार नहीं कर सकते ? क्या उनको उचित सस्ते दामों पर कच्चा माल दिया जा रहा है ? सरकार ने इसके लिये क्या कदम उठाये हैं कि सहायक उद्योग इकाइयां अच्छी तरह चल सकें ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लागत का मुख्य रूप से संबंध उत्पादन दर से है। यदि उनको कम संख्या में पुर्जे बनाने को कहा जाता है तो निश्चय ही लागत बढ़ती है। अब हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि अतिरिक्त इकाइयों को लाइसेंस देने के बजाए वर्तमान इकाइयों में अधिक उत्पादन किया जाए ताकि वे लागत कम कर सकें।

†श्री दी० चं० शर्मा : विवरण में कहा है :

"उत्पादन की मात्रा में वृद्धि से मितव्ययता तथा उत्पादन लागत में कमी की अपेक्षा की जा सकती है।" यह अस्पष्ट साधारणीकरण है। इस अस्पष्ट साधारणीकरण, में, मूल्य में कमी लाने के लिये अनुकूलतम उत्पादन क्या होना चाहिये ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह पुर्जों के स्वरूप पर निर्भर है। कुछ पुर्जों में जब तक २०,००० या ३०,००० न बनाये जाएं, हम सब प्रकार की मितव्ययता प्राप्त नहीं कर सकते, जो इन पुर्जों के निर्माण में संभव हो सकती है। कुछ मामलों में ५००० पर्याप्त होंगे। अतः सब पुर्जों के संबंध में संख्या नियत करना संभव नहीं। इसी कारण साधारण वक्तव्य दिया गया है।

†श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय मंत्री ने वक्तव्य में कहा है कि अन्य बातों के साथ सरकार की नीति मूल्यों को नियंत्रण में रखना है। सरकार की उस नीति के बावजूद क्यों बाजार में अधिक दाम पर बिक रही हैं। इसका कारण क्या है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुख्य कारण यह है कि मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त संख्या नहीं है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री ने बताया है कि यदि किसी इकाई विशेष द्वारा अधिक उत्पादन होता है, तो लागत गिर जाएगी। क्या सरकार ने छोटी इकाइयों को मंजूरी देने में सरकार ने गलती की है और भविष्य में उनकी नीति यह है कि अल्प स्तर के उद्योगों को हिस्सा न दिया जाए, अपितु बड़ी इकाइयों को मंजूरी दी जाए कि वे अधिक मात्रा में उत्पादन करें ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, इस के पश्चात यही नीति होगी। नवीन इकाइयों को प्रोत्साहन देने या नये लाइसेंस देने के स्थान पर वर्तमान इकाइयों के उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाएगा। लागत कम करने का यही तक मार्ग है। जैसा माननीय सदस्यों को पता है चूंकि देश में मोटर गाड़ियों का कुल उत्पादन इतना कम है उत्पादन की मात्रा बढ़ाना कठिन हो जाता है। चूंकि हम उत्पादन बढ़ाते जाते हैं, हमें देखना चाहिये कि हम छोटी संख्या में पुर्जे बनाने वाले नवीन एककों को लाइसेंस नहीं देते।

†श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि इस व्यापार के ऊपर चूंकि एक ही फर्म की मोनोपली चली आ रही है इसलिए वह फर्म इन क़ीमतों को घटने नहीं देती है ? सरकार इस बारे में क्या क़दम उठा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० सेठी : बहुत सी सहायक सार्थ हैं। संभव है कि माननीय सदस्य कारों का उल्लेख कर रहे हैं न कि सहायकों का।

†श्री हरिविष्णु कामत : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया है कि सरकार ने देश में पुर्जों का निर्माण बढ़ाने के लिये सहायक उद्योगों में उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिये प्रमुख निर्माताओं को सुविधाएं दी हैं। उन सुविधाओं के विवरण की कसौटी या आधार क्या है? क्या उद्योगपतियों में परस्पर सुविधाओं के वितरण के मामले में अत्यधिक कृपा और अधिक कृपा तथा कम कृपा है?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें ६०,००० की क्षमता प्राप्त करनी है। अतः निर्माताओं की वर्तमान क्षमता के देखते हुए विस्तार कार्यक्रम बनाया गया है। इस मामले में अत्यधिक अधिक या कम कृपा का प्रश्न नहीं है।

†डा० सरोजिनी महिषी : आजकल कुल मांग से कितने प्रतिशत मांग पूरी की जाती है?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं ने इस का अनुमान नहीं लगाया है।

डा० गोविन्द दास : जो अभी यहां मोटरें तैयार होती हैं उन का कितना प्रतिशत हिस्सा बाहर से आता है और कितना यहां बनता है और क्या उनके मंहगा होने का यह भी कारण एक है कि अभी भी बाहर से बहुत से हिस्से मंगाये जाते हैं और तब कहीं जाकर मोटर तैयार हो पाती है?

†श्री प्र० चं० सेठी : जो इस समय यहां मोटरें बन रही हैं उन में टाटा मर्सीडीज़ बेंज ७० प्रतिशत यहां बनती हैं। बैडफोर्ड ५३.५५ परसेंट, डौज ७६.२४ परसेंट लेलैंड कौमेट ५१.८८ परसेंट, जीप्स ५६ परसेंट, एमबैसेडर ७४.४६ परसेंट, फियेट ४६.०१ परसेंट और स्टैन्डर्ड हेराल्ड ४३.८१ परसेंट यहां बनती हैं।

†श्री अ० प्र० जैन : सरकार के मत से क्या यह सच नहीं है कि मोटर गाड़ी निर्माण करने वाले एकक बहुत हैं और प्रत्येक एकक का उत्पादन बहुत कम है? उदाहरण के लिये, मोटर कारों के लिये ३००० एकक हैं। क्या सरकार ने इन एककों को इकट्ठा करने के प्रश्न पर ध्यान दिया है ताकि प्रति यूनिट उत्पादन बढ़े और लागत गिरे?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यात्री कारों के लिये मा० सदस्य की बात सच्ची है। किन्तु उनमें से एक कलकत्ता में, एक बंबई में एक मद्रास में है। अतः इन तीन इकाइयों को जो तीन भिन्न-भिन्न स्थानों पर हैं, इकट्ठा करना कठिन है?

†श्री हाथी : मा० मंत्री, तथा अन्य मंत्री श्री कृष्णमाचारी द्वारा बारबार दुहराये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, क्या यह सच नहीं है, मोटर गाड़ी उद्योग की अर्थव्यवस्था में निहित त्रुटि के प्रश्न को छोड़कर, उद्योग ने स्वयं नियंत्रण तथा अनुशासन अधिक नहीं दिखाया और यह ऊँचे दामों का एक कारण है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : स्वयं नियंत्रण या अनुशासन से मा० सदस्य का क्या अभिप्राय है ?

†श्री दाजी : आपने उद्योग के सामने इन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया था।

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : क्या यह व्यवस्था के संबंध में है या श्रमिकों के बारे में ?

†श्री दाजी : व्यवस्था के बारे में। उद्योगपतियों को अभिमुख करके मा० मंत्री ने ये शब्द प्रयुक्त किये थे।

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, किसी ने हो सकता है ऐसा वक्तव्य दिया हो, किंतु यह सामान्य वक्तव्य है। साधारणतया इस का अर्थ उत्पादन में कुशलता से है और कुशलता बढ़ने के साथ उत्पादन लागत नीचे गिरती है ?

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मा० मंत्री ने स्वयं कहा था।

†श्री दाजी : समाचारपत्रों में यही छपा था।

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसीलिये मैं कह रहा हूं कि औद्योगिक अनुशासन से अधिक कुशलता का तात्पर्य है। यह श्रमिकों और व्यवस्थापकों दोनों के बारे में है।

†श्री रेणुका राय : मा० मंत्री ने पुर्जों के मूल्य और आयात किये गये पुर्जों की प्रतिशतता के बारे में कहा है। क्या कोई महत्वपूर्ण पुर्जों अर्थात् कारब्यूरेटर और मोटर कारों तथा अन्य गाड़ियों के अत्यावश्यक पुर्जे अभी भी आयात किये जा रहे हैं और उनमें से अब किसी का निर्माण देश में किया जाता है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब कुछ अत्यावश्यक पुर्ज विदेश से मंगवाये जा रहे हैं, किंतु सभी पुर्जों को देश में बनाने के लिये एक कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। उनमें कारब्यूरेटर भी शामिल हैं।

†श्री त्यागी : क्या सरकार ने आम उपयोग के लिये सस्ती कार बनाने की योजना समाप्त कर दी है ? जो विचाराधीन थी ? उसकी अब क्या स्थिति है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसे अभी पुनर्जीवित नहीं किया गया।

इस्पात की बिक्री पर समानीकरण अधिभार

†*९६. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात की बिक्री पर समानीकरण अधिभार हटाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि कभी कभी कारखानों ने इस समानीकरण अधिभार, जिसकी गणना प्रतिधारण मूल्य में की गई थी, का भुगतान नहीं किया; और

(ग) कितनी रकम बकाया है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). अधिभार संधारण मूल्य में शामिल नहीं। मुख्य निर्माण साधारणतया अपना अधिकार नियमित रूप से देते हैं। तथापि कभी-कभी, भुगतान रोका रहता है यदि वे ऐसा अनुभव करते हैं कि उनके अपने दावों से वह राशि पूरी हो जाएगी। ३१-१-६३ को उनसे २१.३६ करोड़ बकाया थे, जिसमें, अभी बिल करने वाली ५.६६ करोड़ रुपये की अनुमानित राशि शामिल है। इसके विपरीत, लोहा और इस्पात नियंत्रक ने अनुमान लगाया है कि लगभग इतनी ही राशि उनको संधारण मूल्य, भाड़ा तथा अन्य संकीर्ण दावों के समायोजन से मिलने वाली है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सरकार ने २१ करोड़ रुपये की इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्रवाई की है?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मा० सदस्य ने उत्तर नहीं सुना। सरकार की ओर से उनको कुछ मिलना है, विशेषकर इसलिये कि हमने १ अप्रैल १९६० से संधारण मूल्यों में परिवर्तन किया है। यदि इसे ध्यान में रखा जाए तो यह राशि न्यूनाधिक रूप से बराबर हो जाएगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह विशिष्ट मद, समानीकरण अधिभार संधारण मूल्य में, अवधि में छोड़ दिया जाएगा और क्या संधानीकरण राशि नहीं रहेगी?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया।

श्री बाजी : यह विशेष मामला हो सकता है। इसके अतिरिक्त क्या सरकार को बकाया राशि पर कोई ब्याज मिलता है?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी नहीं।

पाक-नेपाल व्यापार करार

+

*९७. { **श्री बेरवा कोटा** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान और नेपाल के बीच हाल में हुए व्यापार करार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारत-नेपाल व्यापार संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) जी हां।

(ख) भारत-नेपाल व्यापार सम्बन्धों पर इसका कुछ असर पड़ेगा भी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रेरजा कोटा : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत नेपाल को कौन-कौन सा सामान देता है और नेपाल से भारत को कौन सा सामान आयात किया जाता है।

श्री मनुभाई शाह : हमारे यहां से ज्यादातर कपड़े, इंजीनियरिंग गुड्स और लोहा वहां जाते हैं और उनके यहां से लाइमस्टोन, कुछ किस्म के टिम्बर और थोड़ी सी और चीजें आती हैं।

श्री ब्रेरजा कोटा : क्या मंत्री महोदय को यह सूचना मिली है कि नेपाल और पाकिस्तान में व्यापार-करार में कौन-कौन सी वस्तुओं के लेनदेन का प्रबन्ध किया गया है?

श्री मनुभाई शाह : शापिंग लिस्ट तो मैंने अभी बताई है, लेकिन कोई बहुत बड़ी ट्रेड नहीं है। नेपाल का पाकिस्तान से जो समझौता हुआ है, उस से हमारे ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला है।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान से जो चीजें नेपाल में जाती है, वे तिब्बत में चली जाती हैं? यदि हां, तो उस पर रोक लगाने के लिए शासन ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री मनुभाई शाह : अव्वल तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं जाती हैं। बहुत थोड़ा सा सामान जाता है। इसलिए उसके बारे में कोई खास चिन्ता करने का सवाल नहीं है। अगर बड़े पैमाने पर सामान जाए, तो यह प्रश्न उठ सकता है।

श्री कछवाय : क्या यह सच है कि भारत से नेपाल जाने वाला कुछ माल चोरी-छिपे तिब्बत भेज दिया जाता है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या नेपाल सरकार से कुछ पत्र-व्यवहार किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है।

श्री कछवाय : मैंने पत्र-व्यवहार के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : वह बता दिया गया है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान से भारत क्या-क्या सामान मंगाता है और भारत से पाकिस्तान को कौन, क्या-क्या सामान दिया जा रहा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पिछले एक वर्ष में भारत-नेपाल व्यापार में कितनी वृद्धि हुई? क्या काफी वृद्धि हुई है?

श्री मनुभाई शाह : बहुत कम, एक करोड़ रुपये से कम। वास्तव में हम भारत-नेपाल व्यापार को बढ़ाने के लिये उत्सुक हैं और यहां से तिब्बत को माल जाने का प्रश्न व्यापार के विस्तार का विचार करने में बाधक नहीं होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी संबंधी विशेषज्ञ समिति

+
†*९८. {श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेमराज :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार खादी को और अधिक मितव्ययी तथा सस्ती बनाने के लिये, खादी पर छूट देने की वर्तमान पद्धति में संशोधन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो छूट देने की पद्धति का अध्ययन करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति की क्या सिफारिशें हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रघुनाथ सिंह : खादी पर जो रिबेट दिया जाता है, क्या गवर्नमेंट उस के सम्बन्ध में कोई संशोधन करने जा रही है कि रिबेट दिया जाये या नहीं, उस को चालू रखा जाये या नहीं ?

श्री कानूनगो : कोई संशोधन का खयाल नहीं है ।

श्री हेमराज : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने गवर्नमेंट को यह सिफारिश की है कि इस रिबेट को उड़ा दिया जाये ?

श्री कानूनगो : नहीं, ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है ।

पंजाब में कच्चे लोहे का कारखाना

+
†*९९. {श्री प्र० ना० विद्यालंकार :
श्री हेडा :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के महेन्द्रगढ़ जिले में अनुमानतः ३० लाख टन लोहे के निक्षेप होने का पता लगा है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद यह मालूम हुआ कि यह अयस्क कच्चा लोहा बनाने के लिये उपयुक्त है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने का है अथवा राज्य सरकार या गैर-सरकारी मालिकों को इन निक्षेपों का पूर्णतया उपयोग करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति देने का है ; और

(घ) क्या सरकार को इस के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो किस से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी हां। अयस्क में फासफोरस अधिक होने के कारण, इस से तैयार होने वाला कच्चा लोहा, इसे कुछ किस्मों के ढलवे लोहे के लिये उचित बना देता है।

(ग) और (घ). पंजाब सरकार ने सरकारी क्षेत्र में कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है अभी योजना ब्योरा राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री प्र० ना० विद्यालंकार : इसका तमाम फैसला कब तक हो जायेगा ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : राज्य सरकार से विस्तार पूर्वक प्रस्तावों के आने के शीघ्र पश्चात् इस पर वहां विचार करने में विलम्ब नहीं होगा।

†श्री शिवजीराव शं० देशमुख : क्या पंजाब में लोह अयस्क ३० लाख टन से अधिक है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां। यह अनुमान है।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या प्रस्तावित कच्चा लोहा संयंत्र देश की उस क्षेत्र की मांग को पूरा कर सकेगा ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उस क्षेत्र की आवश्यकता १००,००० टन से कहीं अधिक है।

मोटर ट्रकों का उत्पादन

\+
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
†*१०१. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मोटर ट्रकों का उ पादन बढ़ाने के लिये भारत को अमरीका से बड़ी धनराशि ऋण के रूप में मिल जाने का प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण कितना है ; और

(ग) यह ऋण किन शर्तों पर मिलेगा ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

देश के निम्न मोटरगाड़ी निर्माताओं को अमरीका से सीधे ऋण मिले हैं। अपनी गाड़ियों के लिये पुर्जों के निर्माण के लिये मशीनरी आयात करने और लगाने तथा संबंधित उपकरण जुटाने के

†मूल अंग्रेजी में

लिये तथा अपनी संयंत्र क्षमता और उत्पादन को बढ़ाने के लिये प्रत्येक के सामने दिखाई गई राशियों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण :

निर्माता का नाम	ऋण की राशि	ऋण करार किया गया	टिप्पण
१. मैसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल लि० बंबई।	$३० लाख	२८-६-६२	उन्होंने $ ७२ लाख का सीधा ऋण १६६१ में भी लिया था ।
२. मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एंड लोको मोटिव कं० लि० बंबई	$१३७ लाख	२५-६-६२	
३. मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लि० कलकत्ता	$१५८ लाख	८-११-६२	

पहले मामले में ऋण २७ अर्ध वार्षिक किश्तों में लौटाना है, बाद के मामले में १७ अर्ध-वार्षिक किश्तों में लौटाना है। १ % के ¾ का ऋण शुल्क और ५ % वार्षिक विशेष प्रभार ऋणों के न लौटी बकाया राशि पर दिया जायेगा। ये भुगतान भारत सरकार को भारत में रुपयों में दिया जायेगा, जो अन्तर्राष्ट्रीय विभाग अभिकरण को, इस अभिकरण तथा भारत सरकार के बीच किये गये पृथक विशेष ऋण भुगतान प्रक्रिया करारों के अनुसार किया जायेगा।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या इन तीनों फर्मों ने इस ऋण का पूर्ण उपयोग किया है ? इन फर्मों द्वारा बनाई गई गाड़ियों में देशी पुर्जों में कितनी वृद्धि होने की अपेक्षा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : देशी उत्पादन का ६० प्रतिशत सामान्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या इस ऋण का उपयोग केवल सैनिक ढंग की गाड़ियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये किया जायेगा या सब प्रकार की गाड़ियों के लिये ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह वाणिज्यक ढंग की गाड़ियों के लिये है। इसका सैनिक उद्देश्य के लिये भी उपयोग किया जा सकता है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : विवरण के अनुसार अमरीकी अधिकरण ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये $३२५ लाख का ऋण मंजूर किया है। क्या यह ऋण की पूरी राशि है, और यदि हां तो भारत सरकार द्वारा अमरीका को, विशेष ऋण भुगतान प्रक्रिया करार के अनुसार भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह पहली किश्त के दस वर्ष पश्चात् से प्रारम्भ होकर ६० या ६१ किश्तों में लौटाना है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या और इससे अधिक ऋण दिया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : वर्तमान ऋण इतना ही है और ऋण की बाद में आवश्यकता हो सकती है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह ऋण भारत सरकार द्वारा योजनाओं की छानबीन किये जाने के बाद प्राप्त हुआ था और क्या सरकार ने इस विस्तार की स्वीकृति दे दी थी और क्या वे आगे बढ़ रहे हैं ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां ।

चांदी का वायदा व्यापार

†*१०२. श्री बी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चांदी के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने का क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप चांदी के मूल्य कितने कम हो गये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : वर्तमान संकट काल में जब वस्तुओं के मल्य पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखनी है, सरकार ने ऐसी वस्तुओं में वायदा बाजार रखना उपयोगी नहीं समझा, जहां कोई भारी देशी उत्पादन का प्राविधिक उत्पादकों का मुख्य सम्बन्ध है । अतः चांदी में वायदा व्यापार रोक दिया गया है । इस पाबन्दी का अच्छा प्रभाव है कि चांदी, बुलियन और सोना जैसी कीमती धातुओं का कुछ मात्रा तक आपस में सम्बन्ध है और अर्थ-व्यवस्था के व्यापक हित की दृष्टि से स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी किया गया है ।

†श्री बी० चं० शर्मा : इस के क्या विशिष्ट अच्छे परिणाम निकले हैं

†श्री मनुभाई शाह : विशिष्ट परिणाम यह है कि एक धातु से इसकी धातु पर जो वृद्धि होती थी वह रुक गई है, क्योंकि चांदी के वायदा व्यापार का कोई आयोजित बाजार नहीं है ।

†श्री बी० चं० शर्मा : इस पाबंदी से अन्य वस्तुओं के मल्य में वृद्धि पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा ।

†श्री मनुभाई शाह : अब चांदी की अदला बदली नहीं होती ? अतः, एक धातु से जो स्वाभाविक वृद्धि होती है वह रुक गई है ।

श्री बड़े : फार्वर्ड मार्केट कमीशन से अभी व्यापारियों के रिप्रेजेंन्टेटिव मिले थे और उन्होंने यह कहा था कि ऐसा बैन करने के बाद भी अब सिल्वर का भाव २५० रुपये हो गया है । क्या शासन का ध्यान इस बात की ओर है कि बैन करने के बाद भी भाव बढ़ रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह सही है कि भाव बढ़ा है, लेकिन सवाल खाली स्पाट प्राइस बढ़ने का नहीं है । फार्वर्ड ट्रेडिंग में जो बहुत ज्यादा सौदे और माल का क्रय-विक्रय होता है, वह रुक जाने से सोने पर उस का जो असर होने वाला है, वह कम हो जाता है ।

†श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सरकार चांदी पर भी नियंत्रण करने का विचार करती है ?

†श्री मनुभाई शाह : इसके वायदा व्यापार पर पाबन्दी लगाई जा चुकी है, चांदी पर नियंत्रण करने का अब इसका प्रश्न नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लोहे का कारखाना

+

†*१०३. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकारी क्षेत्र में लोहे का एक कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके स्थान के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) प्रारम्भिक कार्य कब से आरम्भ हो जाने की आशा है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग). जी हां। कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिए सलाहकार इंजीनियरों के एक फार्म से कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये गोआ अथवा हास्पेट में एक ब्लास्ट फर्नेस कम्पलेक्स स्थापित करने की संभावना के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा गया है। प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और वह विचाराधीनन है ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इसका निर्णय बाद में किया जायेगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी प्राइवेट मैनुफैक्चरर से इस मामले में बातचीत की गई है या फ़ारेन कोलैबोरेशन प्राप्त किया जायेगा ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नहीं वह सरकारी क्षेत्र में होगा ।

औजारों तथा धातुमिश्रित इस्पात कारखाना रूरकेला

+

†*१०४. { श्री बी० चं० शर्मा :
श्री मुरारका :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने रूरकेला में औजारी और धातुमिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने में रुचि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या शर्तें रखी हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

†श्री दी० चं० शर्मा : औज़ारी और धातुमिश्रित इस्पात कारखानों की संख्या बढ़ाने के लिए — यदि पश्चिम जर्मनी के सहयोग से नहीं तो कम से कम अन्य देशों के सहयोग अथवा अपने साधनों से ही क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : प्रश्न यह था कि क्या रूरकेला में जर्मनी की सहायता से एक औजारी और धातुमिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित किया जायेगा ? इसका उत्तर 'नहीं' दिया जा चुका है । परन्तु कुछ अन्य विशेष इस्पात तथा मिश्रित धातु परियोजनायें चल रही हैं, एक दुर्गापुर में और एक भद्रावती में । इन चीजों के उत्पादन के लिए कुछ गैर-सरकारी साथों को लाईसेंस दिये गये हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इन गैर-सरकारी साथों को लाईसेंस किन शर्तों पर दिये जाते हैं ? इन कारखानों की स्थापना में कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सामान्यतः इस क्षेत्र में प्रार्थी के अनुभव का विचार किया जाता है और कच्चे माल, बिजली आदि की उपलब्धता का भी । अन्य ब्यौरा मैं बिना देखे नहीं बता सकता हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पटसन की वस्तुओं के लिये समिति

†*९५. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन की वस्तुओं के निर्यात के बिक्री ठेकों के पंजीयन के लिए नियुक्त समिति को अब तक बहुत थोड़े से आवेदन पत्र मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना कम बीजक बनाये जाने को रोकने में अप्रभावोत्पादक सिद्ध हुई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार योजना को वैकल्पिक के बजाय अनिवार्य बनाने का है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी नहीं । १ जनवरी, १९६३ से, जब से कि रजिस्ट्रेशन योजना लागू हुई है, २५ तारीख तक ११२४ बिक्री ठेके रजिस्ट्रेशन के लिये पेश किये गए और ९६४ ठेकों के संबंध में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किये गए । शेष की छानबीन की जा रही है । इन ठेकों में से किसी में भी अधिक बीजक नहीं दिखाये गए हैं ।

(ग) योजना को अनिवार्य बनाने का कोई विचार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक संयंत्र

†*१००. **श्री हेडा :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापानी सार्थों ने भारत उर्वरक निगम (फर्टीलाइज़र्स कारपोरेशन आफ़ इंडिया) को उर्वरक का एक संयंत्र देने का संयुक्त रूप से निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की ज़रूरत होगी तथा समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) जी हां। एक जापानी सार्थ संघ ने गोरखपुर उर्वरक परियोजना के लिये मुख्य संयंत्र देना स्वीकार कर लिया है।

(ख) इस में १,०४४ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा ख़र्च होगी। करार की शर्तों के संबंध में अभी बातचीत चल रही है।

इलायची उद्योग

†१२५. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के इलायची उत्पादकों से इलायची उद्योग के वर्तमान संकट के निवारण के लियें कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी, हां।

(ख) समिति की नियुक्ति संबंधी सरकारी संकल्प की प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ८४९/६३।]**

हाथ की घड़ियां

†१२६. **श्री मरंडी :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की हाथ की घड़ियां न मिलने के संबंध में सितम्बर, १९६२ से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को, सितम्बर, १९६२ से अब तक १०३ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) घड़ियां तैयार करने की गति बढ़ाई जा रही है और कम्पनी के बंगलौर, कलकत्ता, बम्बई, चण्डीगढ़, दिल्ली और मद्रास स्थित प्रदर्शनकक्षों को जनता को बेचने के लिये स्टाक का संभरण किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्वाचन याचिकायें

†१२७. { श्री मरंडी :
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दलजीत सिंह :
श्री धर्मलिंगम :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ निर्वाचन याचिकायें अभी भी अनिर्णीत पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्य क्या है ;

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) उनके कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) २०३ ।

(ग) संक्षेप में, निर्वाचित याचिकाओं के निपटारे में विलम्ब के कारण ये हैं :

(१) बहुत से गवाहों की जांच की जाना ;

(२) पहले नियुक्त किये गए न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप निर्वाचन न्यायाधिकरणों के सदस्यों का बदला जाना ;

(३) अन्वीक्षा के दौरान उच्च न्यायालयों द्वारा रोक आदेश जारी किया जाना ; और

(४) न्यायाधिकरणों के सदस्यों के रूप में नियुक्त सेवारत न्यायाधीकणों के समक्ष सेशन्स के मामलों के कार्य की अधिकता ।

(घ) यह बताना संभव नहीं है कि समस्त याचिकाओं का निपटारा कब तक हो सकेगा ।

हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी, रूपनारायणपुर

†१२८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान केबल फ़ैक्टरी, रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) में १९६१–६२ में तांबे के तार की बहुत कमी पड़ गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो वह कमी किस प्रकार की थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या वह कमी अभी भी बनी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उस कमी को पूरा करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, हां। को-एक्सियल केबिल्स के लिये सेन्ट्रल कॉपर वायर की कमी पड़ गयी थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों पर कर लगाया जाना

†१२९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उद्योगों, जो अपने उत्पादन का कुछ भाग निर्यात नहीं कर पाते हैं, पर कुछ कर लगाने के प्रस्ताव के संबंध में सरकार द्वारा इस बीच में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का निर्दिष्ट निर्णय क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). वह प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

बिजली के डिनोटेटर

श्री सुबोध हंसदा :
†१३१. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री ब० कु० दास :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली के डिनोटेटर बनाने के लिये कितने सार्थों को लाइसेंस दिये गये हैं और कब;

(ख) क्या वे उन का उत्पादन कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उन के कब तक उत्पादन किये जाने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत दो सार्थों को बिजली के डिनोटेटर बनाने के कारखाने स्थापित करने के लाइसेंस दिये गये हैं—एक को ७ जनवरी, १९६१ को और दूसरे को ४ मई, १९६२ को उन में १९६४ के उत्तरार्द्ध में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

जापान से इस्पात की खरीद

†१३३. **श्री वी० चं० शर्मा** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमारतों के लिये विशेष इस्पात की जापान से खरीद करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और वह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लघु उद्योग निगम

†१३४. **श्री बासप्पा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लघु उद्योग निगम की योजनाओं को प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुसार रूप देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को कुछ योजनाओं का प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं ।

सरकारी खरीद योजना :

४०० वस्तुओं, जिन की आवश्यकता सामान्यतः संभरण तथा निपटान महानिदेशालय को पड़ती है, की एक सूची राज्यों के उद्योग संचालकों तथा लघु उद्योग सेवा संस्थाओं को, लघु औद्योगिक एककों द्वारा अपने क्षेत्रों में उन चीजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, परिचालित की गई है।

आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला, नई दिल्ली :

केन्द्र ने अपने सामान्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त बड़े प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किये हैं । फिटर, लुहारगीरी, ढलाई शीट-मैटल, वैल्डिंग और लकड़ी के काम जैसे व्यवसायों में २०० प्रशिक्षणार्थी बड़े पाठ्यक्रम के अन्तर्गत काम सीख रहे हैं ।

हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल में आग लगना

†१३५. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बड़े :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हिम्मतसिंहका : }

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि २ फरवरी, १९६३ को हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल के ट्रांसफार्मर आयल टैंकर में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस अग्नि कांड में कितने जन तथा सम्पत्ति की हानि हुई; और

(ग) आग लगने का कारण क्या था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). २ फरवरी, १९६३ को हैवी इलेक्ट्रीकल्स फैक्टरी, भोपाल में एक ट्रान्सफार्मर आयल टेंकर में, फ्लेम कटिंग वर्क से हाट स्लैग के आयल टेस्ट बेड के पेमेंट के फर्श पर रखी रुई पर गिरे जाने से आग लग गई जो ट्रान्सफार्मर टैंकर में रखे लाइट डीजल आयल में फैल गई। तीन घंटे के बाद आग पर नियंत्रण किया जा सका। उस में कोई व्यक्ति मरा तो नहीं परन्तु कुछ मजदूर, जिन्होंने आग बुझाने के काम में सहायता की थी, उस आग में झुलस गए थे। उन को अस्पताल ले जाया गया और प्राथमोपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। सारे घाव साधारण थे। ट्रान्सफार्मर टैंक में रखा हुआ तेल और दुर्घटना स्थल के ऊपर लगी हुई कुछ अलुमिनीयम की चादरें क्षतिग्रस्त हो गईं। सम्पत्ति की क्षति का प्रारम्भिक अनुमान लगभग ३०,००० रुपये लगाया गया है। परन्तु उसका संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से गठित एक जांच समिति द्वारा सही निर्धारण किया जा रहा है।

भारत-रूस व्यापार करार

†१३६. { **श्री द० चं० शर्मा :**
श्री हेमराज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ के बीच कोई नया व्यापार करार करने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : चूंकि वर्तमान करार १९६३ के अन्त में खत्म हो जायेगा। इसलिए सोवियत संघ के साथ एक नया पांच वर्षीय व्यापार तथा भुगतान करार करने का विचार है। नये करार का ब्यौरा तय करने के लये रूसी अधिकारियों का एक दल शीघ्र ही भारत आने वाला है।

लघु उद्योग

†१३७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग की व्याख्या में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि १०,००,००० रुपये तक की पूंजी आस्तियों वाले औद्योगिक एकक भी उस में आ जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). लघु उद्योगों की व्याख्या को संशोधित करने का एक प्रस्ताव था ताकि १० लाख रुपये की पूंजी आस्तियों वाले औद्योगिक एकक भी उस में आ जायें। परन्तु राष्ट्रीय संकट को देखते हुए फिल हाल उस प्रस्ताव को ठप्प कर देने का निर्णय किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात तथा निर्यात

†१३८. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा १९६२ में कितने मूल्य के आयात तथा निर्यात किए गए ; और

(ख) उन का वस्तुवार तथा देशवार ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

इंजीनियरिंग उद्योग

†१३९. { श्री हेम बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के इंजीनियरिंग उद्योगों की ५० प्रतिशत संस्थापित क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस खाई को पाटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि देश में समस्त इंजीनियरिंग उद्योग की ५० प्रतिशत संस्थापित क्षमता को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है । क्षमता के प्रयोग का प्रतिशत प्रत्येक उद्योग और एकक में भिन्न भिन्न है जिस के लिये अनेक बातें जिम्मेदार हैं ।

(ख) सरकार उपलब्ध विदेशी मुद्रा संसाधनों के अन्तर्गत सुस्थापित उद्योगों की आयात किये गए कच्चे माल, संघटकों आदि की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है । विदेशी मुद्रा और देशीय कच्चे माल के लिये आवण्टन करते समय संधारण संबंधी आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता दी जाती है ।

राज्यों को आवंटित सीमेंट का कोटा

†१४०. श्री हेमराज : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ के लिए विभिन्न कारखानों से विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कितना सीमेंट का कोटा आवंटित किया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य में सीमेंट की भारी कमी है, तथा इसी कारण बहुत से विकासकार्य रुक गए हैं ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीमेंट का कोटा तिमाही आधार पर तय होता है । राज्य सरकार अथवा

†मूल अंग्रेजी में

उन के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा पहुंचने के स्थान के लगभग अलग अलग आंकड़े मिलने पर कारखाने अपनी सुविधानुसार कोटे का वितरण करते हैं तथा इस का ध्यान रखते हैं कि सभी कारखानों को पर्याप्त आर्डर मिल जायें, उपलब्ध परिवहन क्षमता का ठीक उपयोग हो तथा सीमेंट का लदान ठीक तरह से हो ।

(ख) देश में सीमेंट की बहुत कमी है तथा राज्यों को किया गया आवंटन उन की मांग से कम है । इसलिए राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि आवश्यकता तथा प्राथमिकता देखते हुए उन की विभिन्न मांगों को पूरा करें । सीमेंट की कमी के कारण विकास कार्यों के रुक जाने की रिपोर्ट पंजाब सरकार से नहीं मिली है ।

अखिल भारतीय विधि जीवी परिषद्

†१४१. **श्री हेमराज** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विधि जीवी परिषद् का गठन कर लिया गया है तथा क्या उसने अपने नियम बना लिये हैं;

(ख) क्या राज्य विधि जीवी परिषदों ने अपने नियम बना लिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या नियमों की प्रतियां सभा पटल पर रख दी जायेंगी ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) भारत विधि जीवी परिषद् का गठन १८ अगस्त, १९६२ को किया गया था । इस ने अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ की धारा १५ के अधीन नियम बनाये हैं जो भारत के गजट भाग ३, धारा ४, दिनांक २९ दिसम्बर, १९६२ में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) निम्नलिखित राज्य विधि जीवी परिषदों द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ की धारा २८ के अधीन नियम बना लिये हैं :—

१. विधि-जीवी परिषद्, मद्रास
२. विधि-जीवी परिषद्, गुजरात
३. विधि-जीवी परिषद्, महाराष्ट्र
४. विधि-जीवी परिषद्, आसाम
५. विधि-जीवी परिषद्, पंजाब
६. विधि-जीवी परिषद्, उड़ीसा
७. विधि-जीवी परिषद्, बिहार
८. विधि-जीवी परिषद्, मैसूर
९. विधि-जीवी परिषद्, राजस्थान
१०. विधि-जीवी परिषद्, केरल

अन्य राज्य विधि-जीवी परिषदों के प्रारूप नियम भारत की विधि-जीवी परिषद् को स्वीकृति के लिए लम्बित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) भारत की विधि-जांच परिषद् द्वारा बनाये गये नियमों की प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। राज्य विधि-जांच परिषदों के नियमों की प्रति उपलब्ध नहीं है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ८४८/६३]

बिहार में औद्योगिक बस्तियां

†१४२. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्णिया जिला (बिहार) के कटिहार में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : जी हां। कटिहार में ग्राम्य औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की योजना प्रारम्भिक रूप से स्वीकार कर ली गई है।

विदेशों में निर्माण कारखानों की स्थापना

†१४३. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय इंजीनियरिंग सार्थ विदेशों में निर्माण कारखाने स्थापित करने का विदेशी संस्थाओं से सहयोग कर रही हैं तथा उन देशों को प्रविधिक जानकारी देने की व्यवस्था कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इंजीनियरिंग उद्योग की किस शाखा ने यह प्रशंसायोग्य कार्य किया है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सिलाई की मशीनों के निर्माण के लिए लंका तथा बर्मा में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति एक भारतीय इंजीनियरिंग फर्म को दी गई है। कुछ अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं जैसे एक ईरान में अलौह धातुओं तथा धातु की वस्तुओं के निर्माण के लिए, एक पाकिस्तान में साइकिल की गद्दियां बनाने के लिए तथा एक इथोपिया में रेजर ब्लेड बनाने के लिए। इन प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है।

छोटे पैमाने के उद्योग निगम

†१४४. **श्री गो० महन्ती** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योग निगम को १९६१–६२ में विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई है; और

(ख) किन उद्योगों को अनुदान मिला है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). १९६१–६२ में निम्न विकास कार्यों के लिए १९६१–६२ में राष्ट्रीय छोटे पैमाने के उद्योग निगम को ४८.०८ लाख रुपया दिया गया था :

(एक) आद्यरूप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र ओखला को चलाना;

(दो) आद्यरूप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र राजकोट को चलाना;

(तीन) अन्य विकास कार्य जैसे सरकारी क्रय डिवीजन पर प्रस्थापना व्यय, इलाहबाद के निकट नैनी में औद्योगिक बस्ती का प्रशासन, भारतीय उद्योग मेला, १९६१ में भाग लेना।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्वास उद्योग निगम

†१४५. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास उद्योग निगम का प्रशासन नियंत्रण सितम्बर, १९६० में उनके मंत्रालय को दे दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक निगम ने कैसे काम किया है;

(ग) स्वयं निगम ने कितने उद्योग स्थापित किये हैं और कितने उद्योग गैर सरकारी उपक्रमों के साथ मिलकर स्थापित किये गये हैं;

(घ) इससे पूर्वी पाकिस्तान के कितने विस्थापित व्यक्ति अद्यतन काम पर लगाये जाते हैं; और

(ङ) निगम ने विस्थापित व्यक्तियों को और क्या सहायता दी ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी।

हंगरी से ट्रक के टायरों का आयात

†१४६. श्री त्यागी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने हंगरी से मोटर ट्रक के जिन टायरों का आयात किया था वे बेकार सिद्ध हुए और अन्त में वापस भेज दिये गये;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय हुआ;

(ग) यह सौदा किसने किया था; और

(घ) इन टायरों के स्थान पर अन्य टायर कब आयेंगे ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) यह सच है कि कुछ टायरों का हंगरी से आयात किया गया था परन्तु यह स्थिति नहीं है कि वे प्रयोग न हो सकते थे और अन्त में लौटा दिये गये। ये टायर उस समय आयात किये गये थे जब देश में उस प्रकार के टायरों की अत्यधिक कमी थी और फलस्वरूप चोर-बाजार का बोल बाला था। इन टायरों के आयात से स्थिति में शीघ्र परिवर्तन हो गया। स्वदेशीय टायर उचित मूल्य पर बिना किसी दिक्कत के मिलने लगे और खरीददारों ने स्वदेशीय टायर को लेना पसन्द किया। अतः कुल ३६,८५० टायरों में से १३,००० टायरों का पुनः हंगरी को निर्यात कर दिया गया।

(ख) इन टायरों (आकार—८२५ × २० × १२) का भारतीय बन्दरगाह तक बीमा व भाड़ा सहित आयात मूल्य २१० रु० प्रति सेट और ७५० × २० × १० के आकार के टायरों का भारतीय बन्दरगाह तक बीमा व भाड़ा सहित आयात मूल्य १७२ रु० प्रति सेट था। ८२५ × २० × १२ के आकार के टायर हंगरी के बन्दरगाह तक बीमा व भाड़ा सहित १८० रु० प्रति सेट पर पुनः निर्यात किये गये। यह निर्यात-मूल्य पुनः निर्यात किये गये टायरों पर लौटाई गई सीमा शुल्क के अतिरिक्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अत्यन्त अभाव की पूर्ति के लिए सरकार ने हंगरी से टायरों का आयात करने का निश्चय किया था ।

(घ) आवश्यकता की पूर्ण पूर्ति होने के कारण टायरों को स्थानापन्न नहीं किया जायेगा ।

पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग

†१४७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों में कितने उद्योग खोले गये हैं या खोले जायेंगे तथा अब तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उद्योग कहां खोले जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). राज्य क्षेत्र

(१) सीमेन्ट कारखाना, कांगड़ा जिला ।

(२) अखबारी कागज का कारखाना, पठानकोट ।

पंजाब के पिछड़े पहाड़ी इलाकों (कांगड़ा घाटी में गैर-सरकारी क्षेत्र में इन कारखानों की स्थापना में राज्य के अंश के रूप में पंजाब को तीसरी पंच वर्षीय योजना में २.५ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । इन दोनों योजनाओं में निम्न प्रगति हुई है :

अखबारी कागज कारखाना—श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड को पंजाब में कांगड़ा में अखबारी कागज का कारखाना खोलने के लिए इस आधार पर कि हिमालय-क्षेत्र में मुलायम लकड़ी उपलब्ध है, लाइसेंस दिया गया है । संयंत्र की क्षमता ३०,००० टन प्रति वर्ष होगी । पंजाब सरकार ने श्री गोपाल के लिए और उन के लिए स्थान का चुनाव करने की पहल गैर-सरकारी उपक्रमों को, सरकार की अनुमति से, लेनी होती है, इस कारण इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पंजाब में उद्योग

†१४८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब राज्य में कौन से नये उद्योग स्थापित हुए और अब तक उन में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उनके लिए सरकार ने कुल कितना धन दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख).

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र

भारी मशीनरी औजार कारखाना, पिंजोर (चण्डीगढ़ के पास) कारखाने की स्थापना पर ८ करोड़ रु० व्यय होगा और १००० मशीनी औजारों के उत्पादन की उसकी वार्षिक क्षमता होगी । भूमि अर्जन, स्थान का चौरस बनाना, सन्यन्त्र तथा मशीन, आदि के आयात की व्यवस्था सम्बन्धी आरम्भिक कार्य हो रहा है ।

राज्य क्षेत्र

(१) **अखबारी कागज कारखाना, कांगड़ा जिला ।**

---

† मूल अंग्रेजी में

(२) सीमेन्ट कारखाना, पठानकोट ।

(३) नंगल कारखानें का पुनर्गठन :

पंजाब के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र में उपरोक्त (१) और (२) पर उल्लिखित कारखानों की स्थापना में राज्य के अंश के लिए और नंगल कारखाने के पुनर्गठन के लिए पंजाब राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३२२.१ लाख रु० की व्यवस्था है । अखबारी कागज और सीमेंट कारखानों की स्थापना में अब तक निम्न प्रगति हुई है :—

अखबारी कागज कारखाना

श्री गोपालन पेपर मिल्स को हिमालय क्षेत्र में उपलब्ध मुलायम लकड़ी के आधार पर पंजाब में कांगड़ा में अखबारी कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेन्स दिया है । सन्यन्त्र की वार्षिक क्षमता ३०,००० टन होगी । पंजाब सरकार ने श्री गोपाल पेपर मिल्स से परियोजना की कार्यान्विति के लिए अधिमान्य अंशों के रूप में २ करोड़ रु० देने के लिए अस्थायी समझौता किया है । समवाय ने कनाडा की एक फर्म से सहयोग प्राप्त करने का प्रबन्ध किया है, परन्तु अभी तक सन्यन्त्र तथा सामग्री के आयात का कोई अन्तिम प्रबन्ध नहीं किया गया है ।

सीमेन्ट कारखाना

पठानकोट में ३०० टन प्रति दिन की क्षमता का एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज़ लिमिटेड को इस आशय का पत्र लिखा गया है । फर्म में हाल में कारखाने का स्थान बदलने की प्रार्थना की है । अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, पंजाब राज्य सरकार ने हाल में तीसरी योजना में सम्मिलित करने के लिए निम्न तीन योजनाओं का सुझाव दिया है :—

(१) मैसर्स ऊषा स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० की अंश पूंजी में अंश लेना (वर्ष १९६१-६२ में १.१९ लाख रु० और वर्ष १९६२–६३ में १.१९ लाख रु०) ।

(२) मैसर्स ओरियन्ट स्पन पाइप कम्पनी लिमिटेड की अंश पूंजी में अंश लेना (वर्ष १९६२-६३ में १० लाख रु०) ।

(३) मैसर्स इण्डस्ट्रियल केबल इण्डिया लि० के अधिनियम अंशों का (वर्ष १९६२–६३ में ७ लाख रु०) बीमा करना ।

पेपर मिल्स से परियोजना की कार्यान्विति के लिए अधिमान्य अंशों के रूप में २ करोड़ रु० देने के लिए अस्थायी समझौता किया है । समवाय ने कनाडा की एक फर्म से सहयोग प्राप्त करने का प्रबन्ध किया है परन्तु अभी तक सन्यन्त्र तथा सामग्री के आयात का कोई अन्तिम प्रबन्ध नहीं किया गया है ।

सीमेन्ट कारखाना:—पठान कोट में ३०० टन प्रति दिन की क्षमता का एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिए मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीज लिमिटेड को इस आशय का पत्र लिखा गया है । फर्म ने हाल में कारखाने का स्थान बदलने की प्रार्थना की थी । अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र

इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना उपरोक्त योजनायें अस्थायी आधार पर स्वीकार कर ली गई हैं। राज्य सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में लगभग १८ लाख रु० लगाये हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र

इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए और उनके लिए स्थान का चुनाव करने की पहल गैर-सरकारी उपक्रमों को, सरकार की अनुमति से लेनी होती है, इस कारण इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पंजाब में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग

†१५०. श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६२–६३ में पंजाब राज्य में छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के विकास की कोई योजनायें स्वीकृत हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) योजनायें क्या हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष १९६२–६३ के व्यय की राशि २४३.२० लाख रु० है।

(ग) (१) छोटे पैमाने के उद्योग।

(२) औद्योगिक बस्तियां।

(३) हथकरघा।

(४) हस्त शिल्प।

(५) रेशम कीट पालन।

(६) खादी तथा ग्रामोद्योग।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

प्रस्तावित मलयेशिया संघ

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वे इसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य देवें।

प्रस्तावित मलयेशिया संघ और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : एक मलयेशिया संघ बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें मलाया, ब्रूनेई, सरावाक और उत्तर बोर्नियो शामिल होंगे। इस विषय पर सितम्बर, १९६२ में हुए राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में जिक्र हुआ था। हमने उन परतंत्र देशों के स्वतंत्र होने तथा प्रभुसत्ता पर विचार करने के विचार का स्वागत किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी हाल ब्रूनेई में कुछ झगड़े हुए हैं और 'मलयेशिया संघ' बनाने और इसके विरोध में सख्त विचार व्यक्त किये गये हैं ।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस क्षेत्र का अभी हाल दौरा किया है । तथा ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित ढंग से और शान्ति से सत्ता हस्तांतरित किये जाने की समस्या के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने काफी रुचि ली है । हमें आशा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रयत्न सफल होंगे और वर्तमान तनाव दूर हो जायेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मलाया सरकार ने इस कार्य के लिये भारत सरकार से सहायता तथा सहानुभूति की प्रार्थना की है ? क्या इस सम्बन्ध में हिंदेशिया सरकार के रवैये से दक्षिण पूर्वी एशिया की शान्ति को खतरा नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस प्रश्न के सम्बन्ध में दो मत हैं तथापि मैं बता चुका हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं वे इस सम्बन्ध में तनाव दूर करने में सहायक होंगे । मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मलाया की सरकार ने इस प्रश्न पर भारत सरकार की सहायता तथा सहानुभूति के लिये प्रार्थना की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं । इस सम्बन्ध में अभी हाल कोई अनुरोध नहीं किया गया है । यह मामला काफी दिनों से निलम्बित पड़ा हुआ है । तथा दोनों देशों यथा मलाया और हिंदेशिया नें इस पर अपनी अपनी राय जाहिर की है । अब फिलिपाइन्स भी इस क्षेत्र पर कूद गया है । उसने अपना दावा रखा है तथा ऐसे फैडरेशन का विरोध किया है । जब यह विषय राष्ट्र-मण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में रखा गया था तो हमने इस आधार पर इसका स्वागत किया था कि इन स्थानों से इंग्लैण्ड का नियन्त्रण हट रहा है । वे उपनिवेश नहीं रहेंगे तथा उनका मलयेशिया संघ बनने जा रहा है । मुख्य बात उनका उपनिवेश न रहना था अन्य बातें वे स्वयं तय कर सकते हैं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)**: मैं विभिन्न सत्रों में, जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या २ . .	. तीसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४. .	. दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ७	. पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १८ .	. तेरहवां सत्र, १९६१ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिए क्रमशः संख्या एल० टी० ८१८/६३ से ८२१/६३ ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल जटा उद्योग (पंजीयन तथा लायसेंस देना) संशोधन विधेयक

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २५५ में प्रकाशित नारियल जटा उद्योग (पंजीयन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—८२२/६३ ।]

(दो) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९६२ तक की अवधि के लिये नारियल जटा बोर्ड की गतिविधियों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ के संचालन के बारे में छमाही प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—८२२/६३ ।]

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन, १९६२

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) कांच की चादरों के उचित बिक्री मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९६२) ।

(ख) दिनांक ८ फरवरी, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या १३(७)/६२—केम० २ (हिन्दी रूपान्तर सहित) ।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित दस्तावेज उक्त उपधारा में निर्धारित अवधि के भीतर टेबल पर क्यों नहीं रखे जा सके । इसके कारण बताने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ८२४/६३ ।]

(४) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) बाइसिकिल, सिलाई की मशीन और उपकरणों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ख) मशीन निर्माण उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ग) भेषज तथा औषधियों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) चीनी सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ङ) अकार्बनिक रसायन उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(च) अलौह धातुओं तथा मिश्रित धातुओं सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(छ) कागज, लुगदी तथा सम्बन्धित उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ज) मशीनी औजारों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(झ) हल्के बिजली के सामान के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ञ) चमड़ा, चमड़े के सामान तथा पिक्करों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ट) मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ियों के पुर्जे और परिवहन, गाड़ीं उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ठ) ऊनी उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ड) कृत्रिम रेशम उद्योग सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ढ) तैल, साबुन और रंग रोगनों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ण) खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(त) बिजली के भारी सामान के उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(थ) औषध रसायन उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(द) कांच और चीनी मिट्टी सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ध) अन्तर्दाह इंजन, विद्युत् चालित पम्प, एयर कम्प्रेसर तथा ब्लोअर सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ८२५/६३ से ८४४/६३।]

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक

राय सभा पटल पर रखी गई

†श्री जे० ब० सिं० विष्ट (अल्मोड़ा) : मैं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, जो सभा के निदेशानुसार २२ जून, १९६२ को राय जानने के लिये परिचालित किया गया था, पत्र संख्या १ सभा-पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति

बारहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(१) वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) के एक-सौ-अड़तीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी बारहवां प्रतिवेदन।

(२) योजना के अतिरिक्त अन्य असैनिक व्यय की वृद्धि के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के बानवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी सत्रहवां प्रतिवेदन।

सभा का कार्य

†संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण) : मुझे यह बताना है कि सोमवार, २५ फरवरी, १९६३ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(१) श्री रा० शि० पांडेय द्वारा प्रस्तुत किये गये और डा० क० ल० राव द्वारा अनुमोदित राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव—अग्रेतर विचार।

(२) वर्ष १९६२–६३ के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(३) कृषि पुनर्वास पुनर्वित्त निगम विधेयक, १९६२—आगे विचार तथा पास करना।

(४) केन्द्रीय बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६३—विचार तथा पास करना।

(५) संघ राज्य-क्षेत्रों का शासन विधेयक, १९६३—संयुक्त समिति को सौंपना।

(६) वर्ष १९६३-६४ के रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे यह भी बताना है कि वर्ष १९६३-६४ का सामान्य बजट गुरुवार, २८ फरवरी, १९६३ को ५ म० प० बजे प्रस्तुत किया जायेगा। उस दिन सभा ४ म० प० बजे स्थगित हो जायेगी और ५ म० प० बजे पुनः समवेत होगी ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब २० फरवरी, १९६३ को श्री रा० शि० पांडे द्वारा प्रस्तुत तथा डा० क० ल० राव द्वारा अनुमोदित किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी :—

> "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—
>
> 'कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिये राष्ट्रपति महोदय के अत्यन्त आभारी हैं, जो उन्होंने १८ फरवरी, १९६३ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभा के समक्ष देने की कृपा की है।' "

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत अनुप्रेरक है, क्योंकि यह हमें जागृत होने के लिए, कार्य करने के लिए और जब तक हम अपने ध्येय को प्राप्त न कर लें, तब तक बढ़ते रहने का आह्वान करता है। इस समय देश को चीनी आक्रमण के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प करना है। विश्व की नजरों में इस समय भारत का जितना अपमान अब हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ।

हमारे लिए कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लेना ठीक नहीं था और समय गुजरने के साथ साथ यह गलती और भी अनुभव होती है। हमारे लिए कोलम्बो प्रस्तावों को मान लेना पराजय की निशानी है। कहा गया है कि यदि चीन कोलम्बो प्रस्तावों को नहीं मानेगा, तो वह विश्व के जनमत से कट जायेगा, किन्तु ऐसा होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। क्या हमें यह भूल जाना चाहिये कि कोलम्बो में इकट्ठा होने वाले ६ राष्ट्रों में से चार राष्ट्रों की सहानुभूति चीन के साथ है। यदि लद्दाख और नेफा में चीन के अवैध कब्ज़े के बारे में कोई विवाद हो, तो कोलम्बो प्रस्तावों के देश हमारा नहीं चीन का साथ देंगे।

मोशी सम्मेलन में क्या हुआ ? हमारे प्रतिनिधिमंडल ने वहां क्या काम किया। उस सम्मेलन में अफ़ेशियाई राष्ट्रों ने ठोस तौर पर चीन का समर्थन किया और भारत अकेला रह गया था। हमारी ओर से कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार करने से चीन को हमारे विरुद्ध प्रचार करने की सामग्री मिल गई है। यह झूठा प्रचार नेपाल और पाकिस्तान में विशेष रूप से किया जा रहा है। नेपाली विदेश मंत्री ने चीनी नेताओं से मिलने के बाद कहा है कि यदि चीन पूरे तौर पर कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर ले, तो इस का अर्थ यह होगा कि चीन तृतीय पक्ष के मध्यस्थ निर्णय को स्वीकार करता है। चीन कोलम्बो शक्तियों को तृतीय पक्ष समझता है, जब चीन ने प्रस्ताव रद्द कर दिये हैं, तो हम क्यों उन से आशा लगाये रखें ? हमें यह कहना चाहिये कि ये प्रस्ताव हमारे लिये समाप्त हो चुके हैं।

चीन ने हमें आदेश दिया है कि हम अपनी सेनायें नेफ़ा में न भेजें और हम ने उन आदेशों को मान लिया है नेफ़ा का क्षेत्रफल ३१,३४८ वर्ग मील है और उस में से सारे पर चीनियों ने कब्ज़ा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

नहीं किया था। क्या हम अपने सैनिक उन क्षेत्रों में नहीं भेज सकते जिन पर चीनियों का कब्जा नहीं हुआ था? क्या यह तथ्य नहीं है कि हम वहां के लोगों को चीनियों की दया पर छोड़ रहे हैं। यदि चीन नेफ़ा में वापिस आना चाहें तो उन्हें रोकने के लिए क्या है? हमारे पास शस्त्र और उन से लड़ने के लिए सैनिक कहां हैं?

यह सच है कि चीन ने अपनी सेनायें नेफ़ा से हटा ली हैं, किन्तु वापस हटने में चीनियों ने सैकड़ों गोरिला, जासूस और तोड़ फोड़ करने वाले असैनिक पोशाक में वहां छोड़ दिये हैं। यदि वे अपनी तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां या विद्रोह फिर शुरू कर दें, तो उन्हें कौन रोक सकता है?

हमारी आज़ादी आज खतरे में है। यह सरकार की लड़खड़ाने वाली अनिश्चित नीति के कारण ही है कि आज यह स्थिति पैदा हो गई है। मैं यह भी समझता हूं कि हमें चीन और रूस के तथाकथित भेदों को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए।

मुझे हर्ष है कि राष्ट्रपति ने उन सब मित्र देशों को धन्यवाद दे दिया है जिन्होंने समय पर शस्त्रों से हमारी सहायता की थी। मैं इस के लिए राष्ट्रपति का आभारी हूं कि उन्होंने इस तरह धन्यवाद प्रकट कर दिया है।

जहां तक हवाई संरक्षण का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है किन्तु प्रश्न यह है कि क्या हमें मित्र देशों से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शस्त्रास्त्र स्वीकार नहीं करने चाहियें? क्या स्वयं रूस ने चीन को हथियार नहीं दिये? रूस ने चीन को जो मिग दिये हैं, वह तिब्बत में लगाये गये हैं और समय आने पर दिल्ली और अन्य नगरों के विरुद्ध प्रयोग किये जा सकते हैं। हमें हवाई अड्डे स्थापित करने ही होंगे। कुछ भी हो, हम ने अपने बल को बढ़ाना है। हमारी प्रतिरक्षा स्थिति इस समय बहुत कमज़ोर है। हमें अपनी सैनिक शक्ति उस हद तक बढ़ानी होगी कि पाकिस्तान और चीन दोनों का मुकाबला किया जा सके।

हमारी योजना डगमगा रही है। उद्योग डावांडोल हैं। कृषि उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, बिजली का संकट बना हुआ है और प्रशासन में पहले की तरह शिथिलता है। इस समय स्थिति बहुत गम्भीर है।

मैं एक बात और कहूंगा। प्रशासन में मितव्ययता होनी चाहिये और यह मितव्ययता मंत्रियों के वेतनों और भत्तों से शुरू होनी चाहिये। मंत्रियों की संख्या हर जगह घटानी चाहिए और सामुदायिक विकास, सहकार और चायती राज के मंत्रालय को तुरन्त बन्द कर देना चाहिये।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (कुर्नूल): मैं चीन के झगड़े के बारे में अधिक नहीं कहना चाहती किन्तु इस से एक लाभ अवश्य हुआ है और वह यह कि इस से लोगों के विभिन्न वर्गों के सब भेद दूर हो गये हैं और भारत अब एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में चल रहा है।

मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि सरकार बिल्कुल आत्म-संतुष्ट है और आपात के बारे में उसका रवैया ठीक नहीं है। तथापि यह सच है कि आपात की भावना उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिये। एक बार हम सोये हुए पकड़े गये हैं। अब फिर ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री हेम बरुआ से सहमत नहीं हूं कि आज हम दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। हमें अपना आत्म-विश्वास नहीं खोना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश के सभी लोग काश्मीर की समस्या का कुछ न कुछ हल चाहते हैं किन्तु देश में यह भावना है कि यह समय उचित नहीं है । यह भावना है कि इस संकट के समय में पाकिस्तान ने एक प्रकार की राजनीतिक चाल चली है ।

हमारे जैसे कम-विकसित देश को वर्तमान पूंजी संसाधनों का पूरा लाभ उठाना चाहिये । सभी उपलब्ध संसाधन और सामग्री, औद्योगिक क्षमता, जन शक्ति, परिवहन, सिंचाई, और भूमि का पूरा पूरा प्रयोग किया जाना चाहिये । हमारी औद्योगिक क्षमता का १/५ भाग बेकार पड़ा रहता है, जिस से भारत को प्रति वर्ष ५०० करोड़ रुपये का नुकसान होता है । यह भी अनुमान लगाया गया है कि सिंचाई का २० प्रतिशत क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता ।

जहां तक भ्रष्टाचार के आरोपों का सम्बन्ध है, हमें इस के बारे में किसी जांच से घबराना नहीं चाहिये । यदि कोई यह चाहता है कि राजनीतिज्ञ व्यक्तियों के बारे में जांच हो हमें इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

आज सरकार को विश्वविद्यालयों और उन में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । हमारे ३४ या ३५ विश्वविद्यालयों में लगभग ९,००,००० विद्यार्थी हैं । अध्यापक-विद्यार्थी संख्या अनुपात १ : ७० से लेकर १ : ५०० तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत अधिक है । क्या हम इस प्रकार अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे? अधिकतर संस्थाओं में उनके खेलकूद के लिए व्यवस्था नहीं है । उन्हें अध्ययन के अतिरिक्त अन्य कार्य-कलाप करने की सुविधायें नहीं मिलतीं । अध्यापकों की दशा और भी शोचनीय है । वे अपना आत्म-सम्मान भी खो बै हैं । जनता और प्राधिकारियों की गलतियों और साम्प्रदायिक और राजनीति दल बन्दियों ने विश्व-विद्यालयों का वातावरण खराब कर रखा है ।

राष्ट्रपति ने लोगों की आयु में वृद्धि के बारे में कहा है । मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगी कि सरकार चेचक जैसे रोग को, जिस के कारण बड़ी संख्या में मौतें होती हैं, नियंत्रित नहीं कर सकी । सरकार ने बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या किया है । हम परिवार आयोजन पर कुछ रुपया अवश्य खर्च कर रहे हैं, किन्तु हम इसे नीचे स्तरों तक नहीं ले जाते ।

हमारा राज्य केवल शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए नहीं है । अब हमारा उद्देश्य आर्थिक विकास और समाज कल्याण है । इस समय सब से बड़ी त्रुटि यह है कि हमारी आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं भारत के विकास की मांगों को पूरा करने में कुछ हद तक असमर्थ हैं । हमारे मंत्रिमंडल की एक उपसमिति होनी चाहिये, जो हो रहे काम पर कड़ी नजर रखे और व्यय की जांच के अलावा इस बात को निश्चित करे कि वास्तविक लक्ष्य पूरे किये जाते हैं या नहीं, क्योंकि विकास की प्रगति बहुत धीमी है ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हो रही बहस में बोलने का मौका दिया है ।

इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हमारा मुल्क काफी कठिन समय से गुजर रहा है। ऐसे अवसर पर हम सभी लोगों को चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों, किसी भी विचारधारा को मानने वाले क्यों न हों, लाज़िमी तौर पर दो चीज़ों पर गौर करना चाहिये । जैसा कि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हमारे देश में सबसे बड़ा संकट चीन के हमले से पैदा हुआ है, इसलिए किस तरह से चीनी हमलावरों को मुल्क के बाहर निकाला जाए और दूसरा सब से अहम मसला यह है कि हमारे देश में किस तरह से आर्थिक प्रगति हो ।

जो विचार इस सदन में व्यक्त किए गए हैं उनको हम गौर से देखें तो हमको दो तीन बातें देखने को मिलेंगी। कुछ लोग इस सदन में इस बात के लिए जोर लगाते हैं कि हम अपनी उन तमाम मान्यताओं को जिन्हें हम ने पिछले १५ वर्षों में प्राप्त किया है छोड़ दें। मिसाल के लिए हमारे देश ने मुख्य रूप से चार पांच मान्यताएं तै की हैं जैसे (१) शान्ति, (२) प्रजातन्त्र (३) योजना और (४) तटस्थता। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ लोगों को चीनी हमलावरों को देश से निकालने से पहले यह चिन्ता है कि हमारी बुनियादी नीतियां बदल जाएं। इसलिये वह ज्यादा परेशान नजर आते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वे वही विचार इस सदन में व्यक्त करते हैं।

शान्ति हम इसलिये नहीं चाहते कि हम किसी से कमजोर हैं बल्कि हम शान्ति को इसलिए चाहते हैं कि हम तीसरे युद्ध को निमंत्रण नहीं देना चाहते। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी से कमजोर हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो भी हम देश में श्मशान की शान्ति बनाये रखेंगे। लेकिन जैसा कि श्री ख्रुश्चेव ने बर्लिन कानफरेंस में कहा था, हम धरती पर स्वर्ग बनाना चाहते हैं, स्वर्ग नहीं जाना चाहते। मगर हम देखते हैं कि आज भी कुछ लोग युद्ध की बात करते हैं। हम भी ऐसी शान्ति के पक्षपाती नहीं हैं कि इज्जत देकर भी किसी कीमत पर शान्ति चाहें। मगर यह तो आज हर ईमानदार और समझदार आदमी सोचता है कि आज युद्ध का क्या अर्थ है। आज युद्ध का अर्थ है मानवता का पूरा विनाश। इसलिए हमारे देश ने शान्ति अपनाना पसन्द किया है।

दूसरी तरफ ये लोग बताते हैं कि चीन को मुल्क से निकालने का रास्ता क्या है। इनकी नजर में केवल एक रास्ता है। इनका कहना है जब तक हिन्दुस्तान के कम्युनिस्टों को फांसी नहीं दे दी जाती तब तक चीन देश की जमीन से नहीं जा सकता। खास तौर से जनसंघ के भाई और स्वतंत्र पार्टी के लोग ऐसा कहते हैं जिनका देश में कोई इतिहास नहीं रहा, जिन्होंने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जिनका देश में कोई अस्तित्व आज नहीं है। ये लोग आज इस बात की सब से ज्यादा मांगकरते हैं कि हिन्दुस्तान के कम्युनिस्टों को समाप्त कर दिया जाए तो चीन चला जाएगा।

एक माननीय सदस्य : क्या राजगोपालाचारी का भी कोई देश में स्थान नहीं है।

श्री सरजू पाण्डेय : दूसरी तरफ ये लोग गांव गांव में जाकर अपने भाषणों में सभाओं में लोगों से कहते हैं कि सरकार ने शान्ति शान्ति कह के देश को मुर्दा बना दिया है। सब से ज्यादा ये लोग गालियां बकते हैं। जब कभी हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं तो इन लोगों को चिन्ता होती है कि कम्युनिस्ट क्यों पंडित जी का नाम ले रहे हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के माननीय नेता श्री अशोक मेहता ने अपने एक भाषण में कहा था कि हम जवाहरलाल नेहरु के मानस पुत्र हैं और यह चीज अखबारों में भी छपी थी लेकिन अगर हम ने लखनऊ में पंडित जी का नाम ले लिया तो हमारे प्रजा सोशलिस्ट भाईयों को तकलीफ होती है। दूसरे भाईयों को भी तकलीफ होती है लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है।

दूसरे ये लोग यह कहते हैं कि योजना का त्याग करो, योजना नहीं चल सकती। इन के भाषण होते हैं सभाओं में कि सरकार मुल्क को बचा नहीं सकती इसलिए कि डिफेंस का कोई रास्ता नहीं है। इनके डिफेंस के कारखानों में श्रीदान बनते हैं। रोजाना इनके इस प्रकार के स्टेटमेंट अखबारों में छपते हैं। इन लोगों की तरफ से कहा गया कि तीस हजार कम्बल जो कि फौजियों को दिये गये उनमें से १८ हजार फटे हुए थे। ये बातें अखबारों में निकलती हैं। मैं कहता हूं कि कहां गया है आपका डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट जो इनके खिलाफ काम में नहीं लाया जाता। आचार्य कृपलानी ने लखनऊ

में हजारों लोगों की सभा में कहा कि सरकार को सोना दोगे या पैसा दोगे वह पानी में जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक नेतृत्व को नहीं बदला जाता तब तक मुल्क को नहीं बचाया जा सकता। तो इन लोगों को इतनी चीनी हमलावरों को देश से निकालने की चिन्ता नहीं है जितनी चिन्ता इनकी देश से प्रजातांत्रिक शासन को बदल कर उसके स्थान पर फौजी शासन लाने की है। ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, यह इस मुल्क में नहीं चल सकता। यहां तो किसी मजबूत मिलिटरी अफसर की जरूरत है जो कि मुल्क को चलाए। ये लोग इस प्रकार की बातों का प्रचार जनता में करते हैं।

मैं समझता हूं कि हमें आज चीन से लड़ना है तो इसके लिए यह जरूरी है कि जिन चीजों को हमने पिछले १५ वर्षों में प्राप्त किया है उनको कायम रखें और बढ़ाएं और साथ ही साथ दुनियां को यह बताएं कि हम गलत रास्ते पर नहीं हैं।

अभी हेम बरुआ साहब ने कहा कि रूस और चीन का कोई झगड़ा नहीं है। बहस इस बात की नहीं है कि रूस और चीन का झगड़ा है या नहीं। बहस इस बात की है कि हमारी मुल्क को बचाने के लिए जो भी हमको सहायता देना चाहे हम उसका स्वागत करें या नहीं। क्या यह कह कर कि चीन और रूस का झगड़ा नहीं है इसलिये हम रूस से सहायता न लें। अगर दुनियां के कुछ समाजवादी देश या पूंजीवादी देश हमारी मदद के लिए आते हैं तो हमको उनकी मदद का स्वागत करना चाहिए था। उनको इस बात से डर है कि हम रूस का नाम क्यों लेते हैं। हम तो समझते हैं कि होशियारी इसी में है कि इस समय जो भी मुल्क हमको सहायता देना चाहता है उसकी सहायता लेकर हम मुल्क को बचाएं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम यह कहते हैं कि हम अपने प्रधान मंत्री की नीतियों का समर्थन करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की जाती नीति का समर्थन करते हैं। उसका अर्थ यह है कि देश के बहुमत ने जो नीति निर्धारित की है हम उसका समर्थन करते हैं और हम समझते हैं कि मुल्क को बचाने का यही सही रास्ता है।

दो तीन बातें मैं और कहना चाहता हूं। इमरजेंसी की जाती है। और बहुत से लोगों का मत है कि इस सम्बंध में सब से पहला काम यह है कि कम्युनिस्टों को जेल में डाल दो। मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी जो कि देश की सुरक्षा को बाधा पहुंचाता हो तो उसको लाजिमी तौर पर जेल में डाला जाना चाहिए। उसको इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह बाहर रहे और कोई गलत कार्य करे। लेकिन मुख्य रूप से किसी एक दल को ही निशाना बना लेना उचित नहीं। मैं आपको बताऊं कि इमरजेंसी के नाम पर क्या होता है। इसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। मैं आप को एक मिसाल देता हूं। मेरे यहां एक लोहार था जो कि लोहे का छोटा मोटा काम करता था उससे कहा गया कि तुम चन्दे में २५ रुपये दो। उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता तो उसको पकड़ कर जल में बन्द कर दिया गया और १५ दिन तक जेल में रखा गया। मैंने अधिकारियों से पूछा कि इसका कारण क्या है तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं मालूम। मैं कहता हूं कि इमरजेंसी का इस प्रकार का इस्तेमाल करना गलत है और सरकार को इसका रोकना चाहिए। बजाय इसके कि चीन से लड़ा जाए किसी एक दल को निशाना नहीं बना लेना चाहिए। इस सम्बंध में मुझे एक देहाती कहावत याद आती है :

लाली को पावें न टिमली ब कोटें

चीन से लड़ने के स्थान पर हमें मारने का इरादा करते हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह का इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल न किया जाना चाहिए।

बहुत से लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट बड़े गद्दार हैं, इनको निकाल बाहर करना चाहिए। मैं कहता हूं कि गद्दारों की लिस्ट कम्युनिस्टों में ही नहीं है। मुल्क में सब जगह गद्दार बैठे हैं। ये लोग

कांग्रेस में भी हैं और प्राजा शोसलिस्ट में भी हैं । इसके लिए तो हर आदमी को जाती तौर पर देखा जाना चाहिए । आपको एसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दमन में किया, जिन्होंने देश भक्तों पर गोलियां चलायीं । ऐसे न जाने कितने राजा और जमींदार जिन्होंने कांग्रेस जनों पर गोलियां चलायीं वे आज कांग्रेस बेंचेज पर बैठे हैं । क्या वे गद्दार नहीं हैं । क्या उन का इतिहास किसी से छिपा है । लेकिन बात यह है कि अगर कांग्रेस में हो गए तो गद्दार नहीं हैं, जनसंघ में चले गए तो गद्दार नहीं हैं । स्वतंत्र पार्टी में चले जाएं तब तो पूरे महादेव ही बन जाते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि इमरजेंसी पावर्स के इस्तेमाल की ओर सरकार को लाजिमी तौर पर देखना चाहिए ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मुल्क को बिड़ला और टाटा नहीं बचा सकते जिनके पास पूंजी है और शक्ति है । जब भी मुल्क पर मुसीबतें आयी हैं, आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी है तो इस काम के लिए कभी राजे, दवाब और बड़े बड़े पूंजीपति सामने नहीं आए । इस काम के लिए तो गावों के छोटे छोटे आदमी वालंटियर के रूप में सामने आए हैं । इन लोगों ने कांग्रेस के आन्दोलनों में भाग लिया है । मैं आपके सामन खड़ा हूं मैंने सन् १९४२ के आन्दोलन में भाग लिया था । मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं । जिन गरीब लोगों ने जब भी मुल्क पर मौका आया उसकी लड़ाई में हिस्सा लिया आज वही गरीब लोग सब से ज्यादा परेशान हैं और तबाह हैं । अगर अपने देश को बचाना है और इसकी आज़ादी को बरक़रार रखना है तो हमें अपनी ताक़त बढ़ानी होगी, अपने बाजुओं में ताक़त पैदा करनी होगी । अपनी बाजुओं में तो ज़ोर न हो और हम दूसरों के भरोसे रहना चाहे तो इस तरह से कोई भी मुल्क अपनी आज़ादी, इज्ज़त और बक़ार क़ायम नहीं रख सकता है । आज यहां जो बातें सुनने में आती हैं कि आक्रमण होने पर अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए अमरीकन फौजें बुला लें या फलां जगह ये जहाज़ ले लें तो इस तरह से यह कभी सम्भव नहीं होगा कि हम अपनी आज़ादी को बचा सकें । जिस देश में अपनी ताक़त न हो, जो मुल्क अपने से नहीं उठ सकता लाज़िमी तौर पर दूसरों की ताक़त के भरोसे रहता है वह अपनी रक्षा के उद्देश्य में कामयाब नहीं होता है और वह अपनी आज़ादी गवां बैठता है । इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कि मुल्क की सुरक्षा हो, हमलावरों को मुल्क से बाहर निकाला जाय तो लाज़िमी तौर पर इस देश के ७५ फीसदी बसने वाले लोगों को इसकी चिन्ता करनी पड़ेगी और उसके लिए अपने को कमर कस कर तैयार करना पड़ेगा ।

मैं अभी पिछले दिनों पंजाब गया था । मुझे यह देख कर बड़ा दुख हुआ कि वहां ग़रीब कुली, मज़दूर और रिक्शे वाले यहां नहीं जानते कि आजादी का क्या मतलब होता है वह नहीं समझते कि हमारे मुल्क में कौन कौन सी आफ़त आई है । अगर वे आज भी उसी गरीबी और बेकसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं जैसे कि आजादी से पहले करते थे । इसलिए अगर आप चाहते हैं कि उस गरीब जनता के दिल में आजादी से प्यार और मुहब्बत पैदा हो और उसके लिए मर मिटने का जोश उनमें पैदा हो तो फिर आपको उन लोगों को पस्ती की हालत में से निकलना होगा । समाज के उस दबे हिस्से को ऊपर उठाना होगा । उस दुखी और प्रताड़ित जनता को आपको रहता पहुंचानी होगी । इस इमरजेंसी की आड़ लेकर आप कांग्रेस को शक्तिशाली न बनायें और उसकी मैम्बरशिप न बढ़ायें बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि आप देश को सही मायने में आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार करें । आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस इमरजेंसी के बहाने मिलमालिक मज़दूरों पर और ज़मींदार और पूंजीपति लोगों गांव में गरीब हरिजनों पर ज़ुल्म ढा रहे हैं । जेल में बन्द करने के लिए शहादत और दूसरी कार्यवाहियों की भी ज़रूरत नहीं है' खाली कलक्टर के पास लिख कर भेज दिया कि यह कम्युनिस्ट है और यह वार एफ़ैंड में गड़बड़ी पैदा कर रहा है, लोगों को डिफेंड फंड में चंदा न देने

के लिए भड़का रहा है, बस इतने से ही उन बेचारों को गिरफ्तार कर के जेल में भेज दिया जाता है । ऐसा करने से देश की एकता नहीं बढ़ेगी और न ग़रीब जनता में देश के लिए मर मिटने का उत्साह जागेगा ।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वहां के ग़रीब निवासियों की कैसी ख़राब हालत है और वह कैसी पस्ती का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । लेकिन इससे मेरी यह मुराद नहीं है कि कांग्रेस राज्य में कुछ हुआ ही नहीं । मैं यह नहीं कहता कि यहां सब कुछ ख़राब हो रहा है । लेकिन यह मैं ज़रूर कहूंगा कि अभी भी बहुत कुछ करने को बाक़ी है । गरीबों का शोषण अभी तक चल रहा है और अगर आप वाकई देश को मज़बूत करना चाहते हैं और देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना चाहते हैं तो आपको इन ७५ फ़ीसदी लोगों को ऊपर उठाना होगा और उनकी हालत को बेहतर बनाना होगा । मौक़ा पड़ने पर ये ही लोग आपके काम आने वाले हैं और आजादी की लड़ाई में अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले हैं । जहां आदमी शीरा पीकर जिंदा रहते हों, जहां आदमी के रहने के वास्ते मकान न हो, और वह सड़क पर नंगा सोता हो, ऐसे भूखे और नंगे आदमियों से यह उम्मीद रखना कि वह तलवार उठा कर देश की आजादी के ख़ातिर लड़ेगा, बेकार है और वह लड़ नहीं सकेगा । हमारे यहां कहा भी गया है :--

"बिभुक्षतम किम न करोति पापम् "

इसलिए पहला काम हमारा यह होना चाहिए कि जो दरिद्र और भूखा हो उसको सुखी बनायें ।

सरकार द्वारा सोने के ऊपर नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश को लेकर कुछ लोगों द्वारा बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि लोगों से सरकार सोना ले रही है । लेकिन हम तो कहते हैं कि सब ले लीजिये । जिसके पास भी सोना हो वह देश की रक्षा के काम बाहर आना ही चाहिए । कुछ लोगों द्वारा धर्म का नाम लेकर सरकार के इस सोना नियन्त्रण कानून के विरुद्ध प्रचार किया जाता है और श्री राजगोपालाचार्य ने तो फ़रमाया कि यह तो बिल्कुल हमारे धर्म को लूटा जा रहा है और ऐसा करके तो स्त्रियों का सुहाग ही लूटा जा रहा है . . .

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, जो साहब यहां सदन में डिफेंड करने के मौजूद न हों क्या उन को इस तरह से नाम लेकर कहा जा सकता है ?

श्री सरजू पाण्डेय : यहां डांगे कहां मौजूद हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अगर्चे उन्होंने पार्टी के लीडर का नाम लिया है, उनका पार्टी के प्रोग्राम से मतलब है ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस देश के गरीब लोगों के पास सोना नहीं है । वे बचारे कहां सोना पहनते हैं ? यह ज़रूर है कि सरकार के इस सोना नियन्त्रण क़ानून के फलस्वरूप जो सुनार बेकार हुए हैं उनको काम दिया जाये । लेकिन मेरा कहना है कि यह स्वतंत्र पार्टी और प्रजासमाजवादी लोग इसके विरुद्ध जो शोर मचा रहे हैं सरकार उन के उस बहकावे में कदापि न आये । यह लोग मांग करते हैं कि मिनिस्टरों की तादाद घटाई जाय लेकिन यही लोग इस बात की मांग नहीं करते हैं कि राजाओं के प्रीवी पर्सेज़ ज़ब्त कर ली जायें । करोड़ों रुपये जिन पूंजीपतियों और राजे महाराजाओं की जेबों में जाते हैं उनसे यह सोना और पैसा लेना नहीं चाहते हैं । मिनिस्टरों की तादाद घटाने की यह मांग करते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि उनकी तादाद घटाने के बजाये उनकी फैसेलिटीज़ में कमी कीजिये, उन के ऊपर रुपया कम खर्च कीजिये । मिनिस्टरों की तादाद घटा कर एक सुपर मिनिस्टर बना दिया जाय मैं इसके पक्ष में नहीं हूं । लोकतांत्रिक प्रणाली के बजाय पलटन का राज्य

[श्री सरजू पाण्डेय]

बन जाय क्या यह देश के हित में होगा ? हमारे स्वतंत्री पार्टी और उनके अन्य साथी इसके लिए नहीं कहते कि सरकार मुनाफाखोरों के मुनाफ़े ले ले, राजाओं की प्रिवी पर्सेज़ जब्त कर ले और तमाम सोने का स्टाक अपन कब्ज़े में ले लें ।

सोने का जहां तक सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि सोना नियन्त्रण क़ानून एक मज़ाक सा है । आप ने तमाम गहनों को बाहर छोड़ दिया है । गहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे आप जितने भी ले लें । इसके रहते मेरा कहना है कि आप सोना निकालेंगे कैसे ? अपील करने के अलावा आप के पास दूसरी बात नहीं है । आप उस के लिए ऐसे लोगों से अपील करते हैं जो देश के करोड़ों गरीब किसान, मज़दूरों की कमाई पर रात दिन डाका डालते हैं । जिन के पास पैसा है भला वह आपकी अपील सुनेंगे ? करोड़ों रुपया नकदी और सोने के रूप में वह अपने घरों में दबाये हुए हैं । अगर सही मायनों में मुल्क को डिफेंड करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि जो सोना उनके घरों में दबा पड़ा है उसको बाहर निकालिये और सोने के गहनों पर प्रतिबंध लगाइये । ज़रूरत से ज्यादा सोने के गहने किसी को अपने पास रखने की इज़ाज़त नहीं होनी चाहिए ।

जहां तक इस मुल्क की ग़रीबी की बात है मैं समझता हूं इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि अभी भी देश में ग़रीबी और भुखमरी मौजूद है । देश में भ्रष्टाचार भी पनप रहा है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है और कांग्रेसी भाई भी इस बात को तसलीम करते हैं कि देश में भ्रष्टाचार मौजूद है । जहां तक योजना का सम्बन्ध है मेरी पार्टी ने योजना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है और हम उसको सफल होते देखना चाहते हैं । लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूंगा कि योजना के नाम पर जो भारी फिज़ूलखर्ची हो रही है उसे अवश्य रोका जाय । राष्ट्र के धन का इस तरह से अपव्यय नितांत अनुचित है ।

योजना के मामले में किस तरह से पैसा बर्बाद किया जाता है इसकी मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । जब उत्तर प्रदेश में श्री सम्पूर्णानन्द चीफ़ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के बुड्ढों को पढ़ाना चाहिए । अब बुड्ढों को पढ़ाया कैसे जाय ? इसके लिए श्री सम्पूर्णानन्द के निजी सलाहकारों ने, जिनकी कि कोई कमी नहीं, उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर को यह सलाह दी कि बुड्ढे तब पढ़ेंगे जब गांवों में ढोल और झाल लेकर गीत गाये जायेंगे । इसके लिए ८ लाख रुपये के झाल और ढोल खरीदे गये ताकि गांवों में बांट दिये जायें । उनको यह मशविरा दिया गया था कि जब गांव में ढोल और झाल लेकर गीत गाये जायेंगे और बुड्ढे आयेंगे तो गाने के साथ धीरे धीरे उनको पढ़ायेंगे भी । आप ताज्जुब करेंगे कि ८ लाख रुपये के ढोल और झाल ख़रीदे गये । ४ लाख के झाल ढोल स्टेशन पर ही रह गये और ४ लाख के गांवों में बांट दिये गये । लेकिन एक भी बुड्ढा पढ़ने के लिए नहीं आया । अब यह क्या योजना है ? उस के बाद यह योजना वापिस ले ली गई । मेरा कहना है कि इस तरह की स्कीमें चलाना और उनमें राष्ट्र का पैसा लगाना अनुचित है और यह योजना का दुरुपयोग है ।

गांवों में रोशनी का इंतज़ाम करने की बात की जाती है । उस के वास्ते करोड़ों रुपये की लालटैनें ख़रीदी जाती हैं । इस का अगर तमाशा देखना हो तो हमारे उत्तर प्रदेश की योजना का तमाशा देखें । गांवों में रोशनी के लिए लालटैनें ख़रीद ली गई । थोड़े दिन ही बाद लालटैनें तो टूट गईं, ख़ाली बांस खड़े रह गये । इस तरह से लाखों, करोड़ों रुपया इस योजना के नाम पर बेकार खर्च हो रहा है ।

स्वतंत्र पार्टी के भाई कहते हैं कि योजनाओं को बिलकुल समाप्त कर दो । मैं समझता हूं कि यह रास्ता तानाशाहों का रास्ता है, यह रास्ता देश के हित और तरक्की का नहीं है और हमको इस बारे में सावधान रहना चाहिए । लेकिन उसके साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि यह रोशनी और पढ़ाने के नाम पर जो धन का अपव्यय होता है वह बन्द होना चाहिए ।

सहकारी समितियों के बारे में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि वे बहुत प्रगति कर रही हैं और कामयाबी के साथ चल रही हैं । मैं खुद उन का मेम्बर भी हूं और एक, दो सहकारी समितियों का मैं डाइरैक्टर भी हूं । दरअसल यह कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बिलकुल एक मायाजाल हैं और ग़रीबों को इन से कुछ नहीं मिलता है । सहकारी समिति में एक घर के नौ, नौ आदमी उसके मेम्बर बने होते हैं । फरज़ी सोसाइटियां बनी हुई हैं । गरीबों को पैसा उनसे नहीं मिलता है ।

एक माननीय सदस्य : ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के आप डाइरैक्टर हैं ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं फरज़ी सोसाइटीज का डाइरैक्टर नहीं हूं वह तो मौका फरजी सोसाइटी का मैम्बर बनने का आप लोगों को ही मिलता है । हमें उसका मौक़ा नहीं मिलता है । फरज़ी सहकारी समितियां बनी हुई हैं इस चीज़ को अकेले में आप भी स्वीकार कीजियेगा भले ही सदन में न करें । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सहकारिता आन्दोलन को और कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के काम को एक सही लाइंस पर आर्गेनाइज़ करके चलाइये । उनकी वर्किंग में क़ानूनी परिवर्त्तन करिये ताकि वहां ठीक से काम हो और उनका उद्देश्य सफल हो । अगर सही लाइंस पर उनको चलाया जाय तो देश का काफी लाभ हो सकता है । मुल्क का इस तरह से आज जो काफ़ी पैसा अपव्यय हो रहा है उसे बचाया जाय ।

[उपाध्यक्ष महोदय पी ासीन हुए ।]

बस, एक दो, बातें कह कर मैं खत्म करूंगा । मैं समझता हूं कि आज जैसी स्थिति हमारे देश के सामने है उसमें यह बहुत जरूरी है कि जनता का सहयोग लिया जाय । सब पार्टीज चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी हो, स्वतंत्र पार्टी हो, जनसंघ हो सबका सहयोग देश को मजबूत करने के लिए लिया जाय । कम्युनिस्ट पार्टी वालों को आज किसी के कहने भर से कि वे वार ऐफर्ट में बाधा बहुंचा रहे हैं, पकड़ कर जेल में बंद किया जा रहा है । इसके लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है । मेरा कहना यह है कि इस इमरजैंसी की आड़ लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के आदमियों को बिना बात गिरफतार करना कदापि उचित नहीं है । किसान सभाएं और ट्रेड यूनियन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन है, उन्होंने देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा पैसा दिया है । इसके बरखिलाफ धनी मानो लोग और जोकि सबसे ज्यादा देशभक्त आज बने फिरते हैं, इन्होंने कभी एक पैसा भो नहीं दिया है । इस बात को सब मानते हैं । इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब तक हिन्दुस्तान की धरती पर एक भी आदमी जिंदा है तब तक किसी भी बाहरी मुल्क का इस देश पर कब्जा नहीं हो सकता । देशभक्ति का किसी ने ठेका नहीं ले रक्खा है । इसलिए हम किसी पर यह चार्ज नहीं लगाना चाहते कि अमुक अमुक गद्दार हैं । अब गद्दारों की लिस्ट अगर बनाई जाने लगेगी तो यहां देशभक्त तो कोई है ही नहीं । कम्युनिस्ट गद्दार, जनसंघी गद्दार, स्वतंत्र पार्टी वाले गद्दार और कांग्रेसी गद्दार । इसलिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिएं । आज जरूरत इस बात की है कि जो बुनियादी पालिसी हमने निर्धारित की है और जो हमला उनके

[श्री सरजू पाण्डेय]

ऊपर हो रहा है, उसके प्रति सावधान रहें और उसको हम नाकाम कर दें। आज मुल्क को जहां बाहर से खतरा है वहां देश के भीतर से भी खतरा पैदा हो रहा है। मुल्क में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि देश में पूंजीवाद का प्रश्रय चाहते हैं और उसका एकाधिकार इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, और मित्र देशों की बात करते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें चीनी हमलावारों को आगे बढ़ने से रोकना है और उनको वापिस भेजना है लेकिन आज की परिस्थिति में जबकि कोलम्बो प्रस्ताव सामने हैं। तटस्थ एशियाई राष्ट्रों को अपने साथ लेकर चीन से अगर आवश्यक हो तो बातचीत करके इस झगड़े का शांतिपूर्ण लेकिन सम्मानजनक हल निकालने का प्रयत्न करें। लेकिन शांतिमय उपायों के लिए जो मैं कह रहा हूं उसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनके आक्रमण को मान लें और चुपचाप बैठ जायें। लेकिन यह भी कोई बुद्धिमानी नहीं होगी कि बेकार में जलते भाड़ में अपना सिर झोंक दिया जाय। जोश के साथ होश जरूरी है। जोश और होश अगर साथ साथ नहीं चलेगा तो हमको नुकसान हो जाने का डर है और हमको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए मुझे यही निवेदन करना है कि जो बुनियादी सिद्धान्त हमने अपने लिए रक्खे हैं उन पर हमें अटल रहना है और देश के ऐसे तत्वों से सावधान रहना है जो कि इन बुनियादी नीतियों पर हमला करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार को उन इलाकों की तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए, जो कि पिछड़े हुए हैं, जहां दरिद्रता है। उन तबकों और उन इलाकों को खास तौर से उठाने की जरूरत है, जो कि हमेशा से अंग्रेजी साम्राज्यवादी से लड़ते आए हैं और आज भी लड़ रहे हैं। हमारे यहां गाजीपुर जिले में खाली एक गांव से २५० आदमी पल्टन में गए हैं। अगर सरकार उनको सुखी नहीं बना सकती है, अगर वह उनके आंसू नहीं पोंछ सकती है, अगर यह उनको कुछ राहत नहीं पहुंचा सकती है, तो सिर्फ बातों से मुल्क के लिए दर्द और प्रेम पैदा करना बहुत मुश्किल है। जो लोग आज दुखी, परेशान और गरीब हैं, उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। ये जो थोड़े से धोती-पगड़ी वाले हैं, सरकार को उनकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। वे पार्लियामेंट में चाहे कितनी ही बातें करें, लेकिन मुल्क में उन की कोई आवाज नहीं है, मुल्क में उनके पीछे कोई नहीं है। देश में जो प्रजातांत्रिक शक्तियां हैं, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

†**श्री कृ० चं० पंत** (नैनीताल): मेरे माननीय मित्र श्री पाण्डे द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किये गये धन्यवाद प्रस्ताव का मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

हम एक ऐसी दुनियां में रह रहे हैं जिसमें आपस के सम्पर्क तेजी से निकट आते जा रहे हैं और जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानवीय ज्ञान और कल्याण को अविभाज्य कर दिया है। इस दुनियां में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये ऐसे चरित्रबल की आवश्यकता है जो अपने व्यक्तित्व को पृथक बनाये रहने के साथ ही परिवर्तन के अनुसार अपने को ढालने के लिये मन के लचीलेपन से भी सज्जित हो। हमारे राष्ट्रपति के मस्तिष्क ने इन दोनों गुणों को संतुलित सामंजस्य प्राप्त किया है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में गत वर्ष संसार में हुई विभिन्न घटनाओं, विशेषतया क्यबा की घटाना के सम्बन्ध में हुये अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार का उल्लेख किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी महत्वपूर्ण बात फ्रांस की नीति के बारे में है। जनरल डिगाल अमरीका की सैनिक सहायता के बिना यूरोप को सशस्त्र बनाने की बात न करते यदि उन्हें रूस की शांतिपूण सहअस्तित्व के सिद्धांत पर विश्वास न होता।

पश्चिमी राष्ट्र द्वितीय युद्ध के बाद प्रथम बार भविष्य के प्रति आशाजनक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। किंतु खेद का विषय है कि शीतयुद्ध के तनाव में कमी होने के फलस्वरूप उत्पन्न अनुतोष में एशिया के राष्ट्र भाग नहीं ले रहे।

सशस्त्र बल से सज्जित प्रसारवादी चीन आज विश्वशांति के लिये सबसे बड़ा संकट उत्पन्न कर रहा है। एशिया के लिये आज चीन का वही अर्थ है जो पिछले विश्व युद्ध के पूर्व यूरोप के लिये नाजी जर्मनी का था। चीन के पास एशिया की सबसे बड़ी सेना तो है ही यह अपने इस विश्वास को व्यक्त करने में भी नहीं संकुचाता कि युद्ध अपरिहार्य है।

चीन का राजनीतिक ध्येयों को प्राप्त करने के लिये सैनिक शक्ति पर निर्भर रहने का अंतिम उदाहरण उसके द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण से मिलता है। सैनिक दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि चीन को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। किन्तु सब बातों को देखते हुये यह विचारणीय प्रतीत होता है कि चीन को लाभ से अधिक हानि ही हुई है। उसकी सबसे बड़ी हानि तो यह हुई है कि उसने अपने एक शांतिप्रिय और मित्र पड़ौसी का विश्वास खो दिया है। और उसे मिला क्या है? सम्भवतः चीन शक्तिप्रदर्शन के द्वारा भारतीयों को भयभीत करना चाहता हो। किन्तु भारतीयों ने भयभीत होने के स्थान पर साहस, शौर्य और शेष के साथ इसका उत्तर दिया है। संभवतः चीन भारत और स्थान पर साहस, शौर्य और रोष के साथ इसका उत्तर दिया है। सभवतः चीन भारत और रूस के बीच दरार पैदा करना चाहता हो। किंतु इसमें भी इसे सफलता नहीं मिली। वस्तुतः यदि इसे कुछ प्राप्त हुआ होगा तो यह कि एशिया के कुछ छोटे राष्ट्र इससे भयभीत हो गये हों।

मोशी में एशिया और अफ्रीका से आये हुये प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ था। एक वर्ग के रूप में न तो इनके पास सैनिक शक्ति है न आर्थिक। यदि उन्होंने दुनिया के रंगमंच पर कोई सफल कार्य किया है तो केवल इसीलिये कि उन्होंने समस्याओं पर शांतिपूर्वक और इनके गुणदोष देखते हुये विचार किया है। उन्होंने साम्राज्यवाद और उपनिवेश वाद का दृढ़ता से विरोध किया है और आक्रमण होने पर, जैसा स्वेज पर हुआ था, आक्रामक की निन्दा की है और आक्राम्य का नैतिक समर्थन किया है। यही उनकी मुख्य शक्ति है।

दुर्भाग्य से मोशी में इन आदर्शों को त्याग दिया गया है। इसके स्थान पर, अफ्रीकाई-एशियाई एकता के नाम पर, चीन के आक्रमण और साम्राज्यवाद को अन देखा कर दिया, गया है। उनके इस कार्य ने अप्रिय भावनाओं को जन्म दिया है।

चीन के भारत पर आक्रमण से सारी दुनिया के सामने महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो गई है। उदाहरणार्थ एक ऐसे राष्ट्र द्वारा आक्रमण की स्थिति में, जो किसी एक गुट में सम्मिलित है, आक्राम्य राष्ट्र अपनी तटस्थता की नीति की रक्षा किस प्रकार करेगा? रूस के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। किन्तु चीन के साथ हम तटस्थता का व्यवहार नहीं कर सकते और न ही हम शत्रुता पूर्ण चीनियों के एशिया और अफ्रीका में अपना प्रभाव फैलाने के कार्यों के प्रति उदासीन रह सकते हैं। किन्तु यदि हमें इसका प्रतिरोध करना है तो हमें एशिया के छोटे राष्ट्रों को चीन की तुलना में अपनी सैनिक शक्ति का विश्वास

[श्री कृ० च० पंत]

दिलाना होगा। और इस उद्देश्य के लिये हमें सब स्थानों से सैनिक सहायता स्वीकार करनी होगी।

किन्तु इस प्रकार सैनिक सहायता स्वीकार करने से एक और समस्या उत्पन्न हो जायेगी। कोई भी विकासोन्मुख राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को संकट में डाले बिना सैनिक सहायता स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिये हमें स्वयं अधिकाधिक प्रयत्न करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

मैं काश्मीर के विषय में चल रही भारत-पाक वार्ता का भी उल्लेख करूंगा। अगर यह वार्ता असफल हो जाये तो हमें विदेशी सैनिक सहायता पर अधिक निर्भर होना पड़ेगा। इस वार्ता में सफल होना भारत और पाक दोनों की सद्भावनाओं पर निर्भर करता है। यदि कार्यावलि में काश्मीर प्रश्न के साथ साथ एक दो विषय और भी जोड़ लिये जाते तो सफलता की अधिक सम्भावनायें हो सकती थीं। काश्मीर के विषय में दृढ़ता का भाव अन्य विषयों में अधिक नम्रता से दूर हो सकता था।

हमने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लिये हैं। अब दूसरा पग चीन को उठाना है। हमारे प्रधान मंत्री ने इस पात को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है और अब विदेशी प्रचार के अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि चीनी प्रचार स्पष्ट बातों को उलझा न दे।

उत्तर प्रदेश में सैनिकों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सुदूर-स्थित मैदानों से वस्तुयें भेजी जाती हैं। इससे संभरण पथ पर दबाव पड़ता है और अग्रिम क्षेत्रों में उतने दस्ते भी नहीं भेजे जा सकते। इसलिये मैं प्रतिरक्षा, सामुदायिक विकास और कृषि मंत्रियों और राज्य सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह सेना को आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये कम से कम सब्जी, फल, अंडे चारा आदि के उत्पादन के लिये स्थानीय संसाधनों का विकास करने का सम्मिलित प्रयत्न करें।

सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण कार्य भी संतोषजनक रूप से नहीं चल रहा। इस प्रकार के विलम्ब आपातकाल की अविलम्बनीयता की भावना के सूचक नहीं है

मैंने एक ऐसी सड़क को देखा था जो १९५७ में जीप चलाने योग्य और १९५८ में मोटर चलाने योग्य बनाई गई थी और अब पांच वर्ष के बाद भी पूर्ण नहीं हुई क्योंकि अभी दो पुल बनाने शेष हैं। मैंने वहां के लोक निर्माण विभाग के व्यक्तियों से बातचीत की थी। उन्होंने इसका कारण सामग्री और कभी कभी कर्मचारियों का अभाव बतलाया। मैं इसका खंडन नहीं करता। किन्तु इस आपातकाल में सामिरक महत्व की सड़कों का निर्माण तो कम से कम निर्धारित समय में कर ही देना चाहिये। डाक और तार विभाग द्वारा युद्ध के क्षेत्रों तक टेलीफून लाइन्स का विस्तार कर दिया है। मैं उनके इस कार्य की सराहना करता हूं। मैंने मोर्चे पर सैनिकों से बात की थी। उनका विचार है कि चीनी सैनिक भारतीयों की तुलना में अच्छे लड़ाके नहीं हैं। मेरा विश्वास है कि यदि सैनिकों और जनता में ऐसी भावना बनी रही तो कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकेगा।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मम) : उपाध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ? अर्विद आश्रम से प्राप्त एक संदेश में माताजी ने कहा है कि इस समय हमें शक्ति का संचय करना है, उसे व्यर्थ और निरर्थक बातों में व्यय नहीं करना। महारानी गायत्री देवी द्वारा श्रीमती इंदिरा

†मूल अंग्रेजी में

गांधी की आलोचना किया जाना जो इस समय आरोपों का उत्तर देने के लिये यहां उपस्थिति नहीं है, उचित नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी एक मौन-कार्यकर्त्ता हैं ; उन्होंने सेवा का मार्ग चुना है शक्ति प्राप्त करने का नहीं ।

मुझे प्रसन्नता है कि सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय किये गये अशिष्ट व्यवहार की निन्दा की है। हिन्दी को समय समय पर ऐसे मतान्ध व्यक्तियों के व्यवहार से हानि पहुंचती है। वह दक्षिण भारत के लोगों की भावना को नहीं समझते। वह लोग शनै : २ यह समझने लगे है कि उन्हें हिन्दी सीखनी चाहिये। वहां हिन्दी की प्रगति काफी अच्छी हो रही है।

जल विवाद इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का यथाशक्य शीघ्र निबटारा कर दिया जाना चाहिये ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिये कि केन्द्र कुछ राज्यों को दूसरों से अच्छा समझता है।

कुछ दिनों पूर्व आंध्र से भारी विद्युत संयंत्र को हटाया जाने वाला था किन्तु प्रधान मंत्री और भारी उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया कि वहां अधिक शक्ति शालि संयंत्र को स्थापना की जायेगी। तिलंगाना की पोचाम्पद परियोजना के कार्य में यदि प्रगति होती रही तो देश में चावल की कमी दूर हो जायेगी।

स्वर्ण नियंत्रण के संबंध में कई सदस्यों ने अपने मत व्यक्त किये हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार सुनारों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था कर रही है। राज्यों को भी इसमें योगदान देना चाहिये।

कुछ दिनों पूर्व प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि सब लड़कों को राष्ट्रीय छात्र सेना दान का प्रशिक्षण दिया जायेगा यह प्रशिक्षण लड़कियों को भी दिया जाना चाहिये।

वह समाचार पत्र जो देश के लिये हानिकारक साहित्य का प्रचार कर ररें है उनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाना चाहिये।

कुछ मित्रों ने आपात काल को समाप्त करने का अनुरोध किया है। किन्तु ऐसे समय जबकि आक्रमण का संकट सामने है और चीन ने कोलम्बो प्रस्ताव नहीं माने है आपातकाल को समाप्त करने की बात नहीं की जानी चाहिये। उनका ध्येय यह है कि देश पूरी तरह पश्चिमी गुट में मिल जाये। उनका तर्क यह है कि आपात काल से जनता को बहुत कष्ट पहुंच रहा है और कांग्रेस सरकार इन शक्तियों का अनुचित उपयोग कर रही है। यह तर्क सरकार को बदनाम करने के लिये दिये जा रहे है।

इस देश में कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि आपात काल को आवश्यकता से एक दिन भी अधिक बनाया रखा जाय। साथ ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि हम अपने प्रयत्नों को शिथिल कर दें। हमें अपने सींमांत को सफल बनाने के निश्चय को बनाये रखना है। बिना यह जाने हुए कि चीन निकट अथवा सुदूर भविष्य में क्या करने जा रहा है आपात काल को समाप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

विरोधी दल के दोनों सदस्यों गोपालन और श्री रंगा ने यह कहा है कि आपातकालीन शक्तियों का दुरूपयोग किया जा रहा है। किन्तु इनके लिये वह कोई उदाहरण नहीं दे सकते। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जो कम्यूनिस्टों का गढ़ है, लोगों को धमकाया गया है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष को चन्दा न दें। सरकार ने इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की। स्वतंत्र दल और दूसरे आलोचक जनता के नाम पर आपात काल को समाप्त करने की मांग रखने के स्थान पर यदि प्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी गुट में मिल जाने की मांग रखते तो अधिक अच्छा था।

तटस्थता की नीति को तुलना में पश्चिमी गुट में शामिल होने के प्रश्न पर पृथकतया, इसके गुण-वगुणों के आधार पर विचार किया जाना चाहिये। विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि हमने अपने

[श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा]

मित्र देशों से सहायता नहीं मांगी। किन्तु यह सच नहीं है। स्वतंत्र दल इसलिये कुपित है कि हमने एक ही गुट से सहायता नहीं मांगी। किन्तु दोनों गुटों से एक ही आधार पर सहायता लेने का महत्त्व कुछ कम नहीं। दूसरे देशों से सहायता मांगना और हर कठिनाई के लिये अपने को तैयार रखना कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमारा विश्व शांति में योगदान का निश्चय समाप्त हो जाये। दोनों गुट भी यह बात मानते है कि केवल भारत ही ऐसा करने में समर्थ है।

मेरे माननीय मित्र श्री रंगा को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि शक्ति के गुट भंग होते जा रहे हैं। राजनैतिक विचार पद्धतियां नम्य होती जा रही हैं और दोनों गुट यह समझते जा रहे हैं कि सैद्धांतिक युद्ध को बनाये रखने के पहले यह आवश्यक है कि संसार के अस्तित्व को कायम रखा जाय। दुनियां में आज सहअस्तित्व ही एक ऐसा मार्ग है जो इसके अस्तित्व को कायम रख सके। जब कि साम्य-वादी गुट में एक से अधिक बार फूट पड़ चुकी है। यूरोपीय साझा बाजार के प्रश्न पर अटलांटिक राष्ट्रों में मतभेद होना भी कम महत्व की बात नहीं है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले कुछ ऐसे संकेत मिलते है कि दुनियां युद्ध को अनिवार्य मानने के सिद्धांत को अस्वीकार करती जा रही है और इसके स्थान पर सहअस्तित्व के सिद्धांत को मानने लगी है जिसमें दुनियां के लोगों की जीवन निर्वाह की पद्धति में प्रचुर परिवर्तन की गुंजाइश है।

कुछ चीन जैसे राष्ट्र भी हैं जो इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते। चूंकि पुरानी आदतें मुश्किल से छूटी है इस नवीन और प्राचीन के संघर्ष में प्रारम्भिक विजय पुराने की हो सकती है। हम नहीं जानते कि अगले २० वर्षों में क्या होगा। किन्तु हाल के परिवर्तनों से शक्ति के गुटों के प्रश्न पर मूल रूप से पुनर्विचार करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है? जब दो विश्व युद्धों के पश्चात भी फ्रांस और जर्मनी में परस्पर मैत्री स्थापित हो सकती है तो यह स्पष्ट है कि गुट बनाने के इस पुराने सिद्धांत में अब कोई सार नहीं।

ऐसी उलझी हुई परिस्थितियों में भारत को अपने सीमा को सशक्त बनाना है। भारत की प्रतिरक्षा अधिक आसान और प्रभावी हो जायेगी यदि इसे विस्तृत प्रतिरक्षा के ही एक भाग के रूप में देखा जाय। इसके लिये यह जानना आवश्यक है कि यह विस्तृत प्रतिरक्षा क्या है और किसके विरूद्ध प्रतिरक्षा की जा रही है।

साधारणतया यह विश्वास किया जाता है कि अमरीका एशिया के कुछ राष्ट्रों को सहायता इसलिये दे रहा है कि एशिया में साम्यवाद के विस्तार को रोका जाय। यदि ऐसा है तो अमरीका से बड़े पैमाने पर सहायता लेने के पूर्व हमें कुछ प्रश्नों का समाधान कर लेना चाहिये। क्या हम भारतीय एकमत से इस उद्देश्य को स्वीकार करते हैं और क्या यह हमारे संभावित आक्रमण से प्रतिरक्षा के सीमित उद्देश्य से मेल खाता है? क्या यह उस सीमा तक जिस तक अमरीका का उद्देश्य हमारे उद्देश्य से पृथक है, राजनैतिक तनाव उत्पन्न करता है और यदि हां,तो इसको स्वीकार किया जाना भारत की तटस्थता की नीति से किस प्रकार संगत होगा? इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के पश्चा ही हमारे लिये अमरीका से कोई बड़ी सहायता प्राप्त करना संभव होगा। भारत में अमरीका से आने वाले सैनिक मिशन और स्थायी आधार पर किसी दृढ़ समझौते पर पहुंचने में विलम्ब इन प्रश्नों के उत्तर की अनिश्चितता की ओर संकेत करते हैं। भारत को बड़े पैमाने पर सहायता देने पर पाकिस्तान का विरोध भी कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है।

इन जटिलताओं को दूर करने का एक मात्र उपाय यही है कि सहअस्तित्व और साम्यवाद रोकने की एक मिली जुली विचार पद्धति अपनाई जाये। सह अस्तित्व के बारे में दुनिया के देशों कुछ भी मत हो किन्तु आज जो दुनिया में हो रहा है उसे सहविस्तार ही कहा जा सकता है।इसलिये

साम्यवाद को रोकने के सिद्धान्त को पूंजीवाद का विस्तार न कह कर सहअस्तित्व के सिद्धान्त की ही एक धारा कहा जाना उचित है ।

यदि यह मार्ग अमरीका और अन्य राष्ट्रों द्वारा जो भारत को सैनिक सहायता दे रहे हैं स्वीकार कर लिया गया तो उद्देश्य की समानता स्थापित हो जायेगी । यही बात साम्यवादी गुट के लिये भी जो सहअस्तित्व में विश्वास करते हैं लागू होगी । केवल एक चीन ही अकेला रह जायेगा क्योंकि वह सह-अस्तित्व में विश्वास नहीं करता । कोई भी सिद्धान्त अपने आप में सम्पूर्ण नहीं हो सकता । यह किसी ध्येय का मार्ग मात्र हो सकता है । आज मानवजाति अपने सिद्धान्तों की सत्यता पर विश्वास दिलाने के लिये इतनी उत्सुक नहीं । यह सिद्धान्तों के दृढ़ता को दूर करने के पक्ष में हैं जिससे दुनियां को विनाश से बचाया जा सके ।

ऐसा समय आ रहा है जब साधारण व्यक्ति के लिये दो सिद्धान्तों में अन्तर समझना मुश्किल हो जायेगा । मुझे आशा है कि अपने प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में हम अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करने में तो सफल होंगे ही साथ ही दुनियां में शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की रक्षा में भी सफल हो सकेंगे ।

†**डा० ब० ना० सिंह** (हजारीबाग) : श्रीमान्, मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिग्दर्शित कांग्रेस सरकार की नीति में कोई भी ऐसी बात दिखाई नहीं दी जो आज गांवों में फैले हुए तनाव को दूर करने में समर्थ हो ।

मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथापि मुझे खेद है कि उसमें न तो कहीं उत्साहजनक बात कही गयी है और न ही कोई ऐसी बात का संकेत मिलता है जिससे सामान्य जनता के कष्टों में कमी हो । वस्तुतः राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई नयी बात नहीं कही गयी है । कुछ इधर उधर से बदली हुई आवाज ही है । मैं राष्ट्रपति के प्रति इसके लिए आभार प्रकट करता हूं, परन्तु मैं इस बड़े निबन्ध का समर्थन नहीं कर सकता । कांग्रेस सरकार की नीतियों में अब जनता को कोई आकर्षण नहीं रह गया है, विशेषकर उन लोगों को जो गांवों में रहते हैं । कांग्रेस की सरकार का विचार है कि भारत की स्वतन्त्रता के बाद ग्रामीण-लोगों को रोटी कपड़ा चाहिए था, और उसकी व्यवस्था कर दी गयी है ; कांग्रेस के समाजवादी समाज की विचार धारा पर नित्य नये करों की कायी चढ़ रही है । अब हमारे वित्त मंत्री और भी कर लगाने जा रहे हैं ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह किया जाये । सोना नियन्त्रण आदेश जारी करके उन्होंने देहाती लोगों को काफी तबाह किया है । अब तो हमारी सरकार भी १४ कैरट की हो गयी है ।

सरकार अपनी योजनाओं द्वारा ग्रामीण लोगों की हालत को सुधारने में असफल रही है । इसके विपरीत गरीबी तथा बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है । आज सर्वत्र एक व्यापक असन्तोष है । पंचवर्षीय योजनायें, सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज्य की योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिये गये हैं । परन्तु इस अनुपात से देखा जाय तो आम जनता को लाभ बहुत ही कम हुआ है । भारत को स्वतन्त्र हुए १५ वर्ष हो गये हैं, परन्तु आम आदमी की समस्या अभी हल नहीं हुई । शब्दों से उसका पेट नहीं भरता । लोगों को जीवन की मूल आवश्यकताओं को उपलब्ध करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है । सरकार यह सब व्यवस्था करने में असफल रही है ।

यही एक क्षेत्र ही नहीं, जहां सरकार असफल रही है, प्रत्युत अन्य क्षेत्रों में भी इसकी असफलतायें बहुत हैं । देश की राष्ट्रीय अखण्डता की रक्षा करने में वह नितान्त असफल रही है । हम हवा में उड़ने का यत्न करते हैं और वास्तविकता बहुत कम देखते हैं । तटस्थता की नीति पर जोर दिया जा

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० ब० ना० सिंह]

रहा है। बात स्पष्ट है, जब हमारे देश पर चीनियों ने आक्रमण किया है, तो तटस्थता की बातें करते रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो देश भी हमें सहायता दे उस समस्त प्रकार की सैनिक सहायता को हमें स्वीकार करना चाहिए।

आज देश में सभी प्रकार के विरोधी दलों को दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार सभी विरोधी दलों को समाप्त कर देना चाहती है। और इसके लिए आपातकालीन स्थिति से लाभ उठाया जा रहा है। मेरा विचार है, अब आपातकालीन स्थिति को चालू रखने की कोई जरूरत नहीं रही। केवल सरकार का यह इरादा लगता है कि इसका लाभ उठा कर अपनी शक्ति को जमाये रखा जाय। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि चीन से भारत को एक बड़ा भयंकर स्थायी प्रकार का खतरा हो गया है। और इससे बचाव के लिए सभी साधन अपनाये जाने चाहिएं। परन्तु इसका यह अर्थ कभी भी नहीं कि हमारे लोगों को अनिश्चित काल तक उनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाय। मेरा निवेदन यह है कि यदि आपातकालीन अवस्था को जारी ही रखना है, तो इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि सेना को सुदृढ़ करने में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाय। और इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि देश का कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन आशातीत ढंग से बढ़ाया जा सके।

हमारे प्रधान मन्त्री के हाथ में बहुत भारी अधिकार दे दिये गये हैं। ४० करोड़ लोगों का भाग्य इस एक आदमी के हाथ में है। इस तरह की व्यवस्था तो केवल तानाशाही देशों में होती है। कांग्रेस ने तो अपने सदस्यों को यह आदेश दिया है कि उन्हें अन्य दलों के सदस्यों से मिलना जुलना भी नहीं चाहिए। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस का जादू उतर रहा है। मेरा निवेदन है कि वर्तमान नेतृत्व के अधीन हमने जिस राष्ट्रीय अपमान को सहन किया है, उसका बदला इस प्रकार से ही लिया जा सकता है कि अपनी सेना को दृढ़ किया जाय तथा आक्रमणकारियों को देशसे खदेड़ दिया जाय। मेरा अन्त में यही कहना है कि हमें अपने राष्ट्रीय जोश को सम्भाल कर रखना चाहिए, ऐसा न हो कि जब समय आये तो कुछ भी प्राप्त न हो सके।

†**श्री म० प० स्वामी** (टंकासी) : राष्ट्रपति ने संक्षेप से देश की स्थिति को बताने का यत्न किया है। अतः मैं उनको धन्यवाद दिये जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज चीनी हमले के कारण देश में संकट की स्थिति है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चीनी आक्रमण का उल्लेख किया है सचमुच यह संतोष का विषय है कि वर्तमान आपात का सामना करने के लिए हमारी सीमाओं पर विद्यमान खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी सम्भव उपाय अपना रही है। हमारे देश के सभी साधनों तथा प्रत्येक सरकारी व्यवस्था की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर दिया गया है। सारा देश संगठित होकर एक आवाज के साथ उठ खड़ा हुआ है। हम अपनी सारी शक्ति से देश की सीमाओं की रक्षा करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह कर्तव्य है कि तीसरी योजना में कृषि उत्पादन सम्बन्धी समस्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जाय। इसके लिए सभी दिशाओं में प्रयत्नों को तीव्र किया जाय। इस बात का भी सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किसानों को अपने उत्पादन की वस्तुओं के लाभप्रद दाम प्राप्त हो। सरकार को इसके लिए आश्वासन देना चाहिए। जिन राज्यों में अनाज के मूल्य गिर रहे हैं वहां किसानों से सारा अनाज सरकार द्वारा खरीद लिया जाना चाहिए। अधिक से अधिक साधनों द्वारा सिंचाई योग्य भूमि प्राप्त की जानी चाहिए। देश की सिंचाई क्षमता का पूर्ण प्रयोग होना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार

†मूल अंग्रेज़ी में

को केरल सरकार पर प्रभाव डालना चाहिए कि वह अपने अतिरिक्त जल को मद्रास की नदियों की ओर मोड़ दे । इससे तामिलनाड में अधिक भूमि की खेती की जा सके ।

हथकरघा उद्योग भी आजकल भारी संकट में से निकल रहा है। हथकरघा वस्तुओं की खपत बहुत कम है । इसका कारण यह है कि सूत की कीमत बहुत अधिक होने से वस्तुएं बहुत महंगी हैं । सूत के सम्भरण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । सूत उचित दामों पर उपलब्ध हो इसके लिए अधिक सहकारी मिलें चलाई जायं, तथा हथकरघा बुनकरों को सहायता देने के लिए विभिन्न उपाय किए जायं । हथकरघा वस्तुओं की बिक्री पर अधिक से अधिक छूट दी जाय । यह बात गलत है कि आपातकालीन स्थिति में धन एकत्रित करने के लिए जबरदस्ती की गयी है । यह तो लोगों ने स्वयं ही राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर किया है ।

सोना नियन्त्रण आदेश लागू किया गया है । इसका उद्देश्य अधिक से अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त करना है । ऐसा करने के कारण जो स्वर्णकार बेकार हो गये हैं उन्हें काम दिया जाना चाहिए । उन्हें लाइसेंस खुले तौर पर दिये जाने चाहिए ।

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने राष्ट्रपति सरीखे प्रकांड और महा विद्वान द्वारा दिये गए अभिभाषण में कुछ कमी निकालना या उसमें कोई खामी निकालना मुझ जैसे सदृश व्यक्ति के बाहर की बात है । फिर भी सरल बुद्धि से और साधारण बुद्ध के आधार पर मैं यह कहने की धृष्टता करूंगा कि राष्ट्रपति का भाषण केवल एक परम्परागत, कनवेंशनल भाषण होना पर्याप्त नहीं है । उससे अधिक महत्व उस भाषण का होता है । मैं समझता हूं कि इसका महत्व केवल लोक-सभा और राज्य सभा के सदस्यों के लिए ही नहीं वरन् सम्पूर्ण और समस्त देश के लिये यह एक आधारभूत संदेश के रूप में आना चाहिए जिससे जनता का मनोबल बढ़े, मानसिक शक्ति बढ़े और धैर्य बढ़े । केवल इतना ही नहीं अपितु मैं तो यह कहूंगा कि समस्त संसार के लिए वह एक संदेश के रूप में आना चाहिए ताकि दुनिया जान सके कि हम क्या हैं, क्या चाहते हैं और किसके लिए हम खड़े हैं ? परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति के पूरे भाषण को पढ़ने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि वह सरकार के कारनामों और सरकार के ऐलानों की समीक्षा मात्र है, एक सिनौपसिस ऐसा है ।

उदाहरण के तौर पर चीन के आक्रमण का मसला जो आज सारे देश के लिये सबसे महत्वपूर्ण मसला है उसके बारे में राष्ट्रपति ने थोड़े से शब्द कहे हैं । मैं उन्हें आपके सामने पढ़ देना उचित समझता हूं :—

> "कुछ वर्ष हुए चीन ने अपना आक्रमण शुरू किया था । परन्तु ८ सितम्बर को उसने बहुत बड़ा हमला किया"

उसके बाद कहा है :—

> "कोई भी हमला हम पर होता—परन्तु यह हमला हमारे उस मित्र की ओर से हुआ जिसको हमेशा हम अन्तराष्ट्रीय परिषदों में अपना सहयोग देते रहे हैं"

मैं निवेदन करूंगा कि चीन ने ८ सितम्बर को हम पर हमला किया । केवल इतना ही नहीं, उससे ५,६ वर्ष पहले से चीन धीरे-धीरे आक्रमण करता चला आ रहा है और हमारे एक बहुत बड़े भूभाग पर उसने अपना क़ब्ज़ा कर लिया । राष्ट्रपति से जनता यह आशा करती थी कि वह कम से कम बतलाते कि इस ८ सितम्बर से पहले चीन एग्रेसर था या नहीं था और यदि वह एग्रेसर था तो क्या यह आशा की जा सकती थी जैसाकि आज की जा रही कि हम शांतिपूर्ण उपायों से उसके एग्रेशन को खाली करा लेंगे । इतना बड़ा हमला हुआ । हम ने उसे हमला शायद माना

[श्री बृजराज सिंह]

नहीं और राष्ट्रपति ने इसका कोई उल्लेख भी नहीं किया। इससे तो केवल एक ही बात स्पष्ट होती है कि ८ सितम्बर से पहले के हमले को हमने हमला नहीं माना। उसे कुछ पीसफुल एग्रेशन की संज्ञा दी गई। उसके बाद ८ सितम्बर वाला जो एग्रेशन हुआ उसको एग्रेशन कहा जाता है। लेकिन फिर भी हम कुछ न कर सके। केवल यही किया कि हमने यह नौन एलाइनमेंट का जो इतना नारा पीटा था, इतना ढोल पीटा था उसे आंशिक रूप में तोड़ देना पड़ा और हमारी सरकार को वैस्टर्न कंट्रीज़ से सहायता लेनी ही पड़ी। भारत सरकार ने उनसे सहायता ली। फिर अन्त में क्या हुआ चीन ने अपने आप हमें माफ़ कर दिया, हमें छोड़ दिया, जाओ हम और अधिक तुम्हारे ऊपर एग्रैशन नहीं करते। उतना एग्रैशन और हमारा अपमान करके छोड दिया।

एक माननीय सदस्य : बलात्कार करके छोड़ दिया।

श्री ब्रजराज सिंह: आज हम आशा करते थे और देश इस बात की राष्ट्रपति से अपेक्षा करता था कि गत नवम्बर मास में इस सदन में चीनी आक्रमणकारियों को भारत भूमि से बाहर खदेड़ने का जो संकल्प लिया गया था उस प्रतिज्ञा के बारे में वे राष्ट्र को कुछ आश्वासन देते कि हम उस पर दृढ़ हैं परन्तु ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है जिससे कि आज मन में बड़ा क्षोभ और परेशानी है। हम समझ नहीं पाते कि सरकार अब क्या करने जा रही ह और उसका क्या इरादा है ? चीन से हमें बराबर धोखा हुआ है। यह बार बार कहा गया है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा ह और प्रैसीडेंट के इस भाषण में भी आया है परन्तु अंत में फिर भी कहा गया है :—

"हमारा देश शांतिप्रिय साधन अपनाने के लिये बचनबद्ध है।"

एग्रैसन जो ८ सितम्बर से पहले हमारे ऊपर हुआ उसे हम पीसफुली सौल्व करने की कोशिश करते रहे। दुबारा चीन ने ८ सितम्बर को फिर हम पर हमला किया और दुबारा हमें धोखा हुआ और इसके बाद भी वह ८ सितम्बर की लाइन के लिये हमारी सरकार ने कोलम्बो प्रपोजल्स के रूप में फिर से मान लिया और आज भी हम यह दावा करते हैं कि अब भी हम चीन को पीसफुली पीछे हटा देंगे। कहां तक यह हो सकेगा मेरी समझ में नहीं आता है ?

†उपाध्यक्ष महोदय: अब हम गैर सरकारी कार्य लेंगे। माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को आरम्भ करेंगे।

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक

(धारा १३ का संशोधन)

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) :

हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक

(धारा २ का संशोधन)

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (संशोधन) विधेयक

(नई धारा ७-क का रखा जाना)

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबंध अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक

(धारा ४ और ६ का संशोधन)

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ निम्नलिखित ३० सदस्यों, अर्थात, श्री जोकीम आल्वा, श्री भागवत झा आजाद, श्री भक्त दर्शन, श्री प्र० के० देव, श्री धर्मलिंगम्, श्री जो० ना० हजारिका, श्री हरिश्चन्द्र हेडा, श्री हरि विष्णु कामत, श्री नित्यानन्द कानूनगो, श्री ललित सेन, श्री हरिश्चन्द्र माथुर, श्री गोपाल दत्त मेंगी, श्री डेविड मुंजनी, श्री परमशिवन, श्री मानसिंह पृ० पटेल, श्री राजेश्वर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

पटेल, श्री रघुनाथ सिंह, श्री कृष्णमूर्ति राव, श्रीमती रेणुका राय, श्री बिशन चन्द्र सेठ, श्री शंकरय्या, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री सिद्धनंजप्पा, श्री सिद्दय्या, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री स्वैल, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री रवीन्द्र वर्मा, श्रीमती विमला देवी और श्री श्यामलाल सर्राफ की प्रवर समिति को सौंपा जाये ।"

श्रीमान्, वैसे तो मैं अधिनियम की दो या तीन धाराओं का संशोधन करने के लिये विधेयक प्रस्तुत करना चाहता था परन्तु गत जून में इस माननीय सदन द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड का सदस्य निर्वाचित हो जाने के बाद मैं ने महसूस किया कि १९४८ के बाद, जब यह बोर्ड केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया था, इसने बहुत ही अच्छा काम किया है और अब काम के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण इसकी रचना को बदलना आवश्यक है । मैं चाहता था कि इस उद्योग के तेजी से होते हुए विकास को देखते हुये बोर्ड की बैठकें वर्ष में दो से अधिक होनी चाहियें, सदस्यों की संख्या कम की जाये तथा इसकी रचना को अधिक लोकतंत्रात्मक बनाया जाए । गत अगस्त में विधेयक के पुरस्थापित किए जाने के बाद अनेक सदस्यों ने इस उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बहुत रुचि दिखाई है ।

पहली बात यह है कि १९४८ में जब यह अधिनियम पारित हुआ और १९४९ में जब यह बोर्ड बनाया गया ; उस समय यह सारा उद्योग अव्यवस्थित दशा में था । दूसरी बात यह कि इस उद्योग में लगे लोगों के सोचने और काम करने में कोई समन्वय और पारस्परिकता नहीं थी । इस बोर्ड ने इसके अनुकूल वातावरण सारे देश में पैदा कर दिया है जिससे कि इस उद्योग और इसके कर्मचारियों को लाभ होगा । इसके लिए सरकार तथा बोर्ड के विशेषज्ञ बधाई के पात्र हैं । परन्तु इन १५ वर्षों में काम इतना बढ़ गया है कि बोर्ड के कार्यकरण और विभिन्न राज्यों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को समन्वित करने में काफी सुधार की गुंजायश है ।

इस उद्योग में दो श्रेणियां हैं—तूत (मलबरी) रेशम और अतूत (नॉन-मलबरी) रेशम । इस समय तूत रेशम उद्योग ग्यारह राज्यों और हिमाचल प्रदेश, मनीपुर तथा त्रिपुरा में अच्छी तरह से चल रहा है । अतूत रेशम उद्योग आन्ध्र, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मनीपुर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चिरकाल से चलता आ रहा है परन्तु इसकी ओर पूरा ध्यान तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि बोर्ड को पुनर्गठित न किया जाये । मेरे इस कथन का यह अभिप्राय न लिया जाये कि मैं अन्य राज्यों का प्रतिनिधित्व कम करना चाहता हूं और अपने राज्य का प्रतिनिधित्व अधिक करवाना चाहता हूं । विधेयक को पुरस्थापित करने के वास्तविक कारण मैं पहले ही बता चुका हूं ।

एक समय इस उद्योग ने जम्मू तथा काश्मीर में इतनी प्रगति कर ली थी कि १९२०–२५ के बीच यहां के रेशम बनाने वाले एकक संसार में सबसे बड़े माने जाते थे । परन्तु बाद में अवहेलना और केन्द्रीय सरकार की सुस्ती के कारण इसमें गिरावट ही आती गई है । काश्मीर के बाद पंजाब का स्थान है । यदि मैं बताऊं कि इस उद्योग की ओर ध्यान देने से आर्थिक साधनों तथा रोजगार को कहां तक बढ़ाया जा सकता है तो सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि सरकार के लिये इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करना तत्काल आवश्यक है ।

सर्वोत्कृष्ट तूत रेशम काश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मद्रास के कुछ भाग में तैयार किया जाता है । अतूत रेशम तीन प्रकार का होता है : टस्सर, एरी और म्यूगा । इनका उत्पादन

अधिकतर आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मनीपुर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में होता है। पहले तो किसान इनका उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए करते थे परन्तु अब केन्द्रीय सरकार तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के प्रयासों के कारण विदेशों में भी टस्सर और अन्य शुद्ध तूत रेशम की मांग बढ़ गई है जिसके कारण इस ओर ध्यान देना आवश्यक हो गया है। हम ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड बनाया है परन्तु वह बम्बई में है और अतूत रेशम के मुख्य उत्पादन केन्द्रों से बहुत दूर है। मेरे विचार में अब समय आ गया है जब कि इस बोर्ड को एक स्वतंत्र निकाय बना देना चाहिये ताकि उसकी अपनी स्वतंत्र नीति हो और वह सभी राज्यों के प्रयत्नों को समन्वित कर सके। इस समय ज्यादा शक्ति राज्यों के पास है तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड या कोई भी अन्य केन्द्रीय प्राधिकार उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। अपने नौ-दस वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं सरकार से कहूंगा कि वह कोई उच्च शक्ति प्राप्त केन्द्रीय एजेंसी बनाये जो इस उद्योग का सुचारु संचालन कर सके। यह उद्योग अन्य देशों से स्पर्धा कर सके, इसके लिये बहुत से उपाय करने की आवश्यकता है।

जापान ने हमारे बहुत बाद में शुरू किया परन्तु आज वह सबसे आगे है। इसका कारण यह है कि उन्होंने कुछ आधारभूत बातों की ओर ध्यान दिया। सबसे पहले तो उन्होंने इस उद्योग को सभी स्तरों पर अच्छी तरह से संगठित किया। बाह्य स्पर्धा से अपने उद्योग को बचाने के लिये उन्होंने आरंभ से ही रक्षण-प्रशुल्क पर दृष्टि रखी। तीसरे यह कि उन्होंने इस उद्योग के सभी क्षेत्रों में अनुसन्धान की ओर बड़ा ध्यान दिया है। परन्तु हम ने इस संबंध में क्या किया है? हम ने जो बोर्ड बनाया है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हम जापान का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। अतः मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके सरकार देश भर के विशेषज्ञों की मंत्रणा ले। ऐसे विशेषज्ञ बहुत थोड़े हैं और उन पर भी काम का बोझ बहुत अधिक है। सरकार को बोर्ड की विविध शाखाओं तथा सभी राज्यों में सभी स्तरों पर विशेषज्ञ उपलब्ध करने चाहिये ताकि केन्द्रीय एजेंसी द्वारा सभी राज्यों का उचित मार्ग-दर्शन किया जा सके।

हमारे देश में कृषि और हथकरघा उद्योग के बाद कुटीर उद्योगों में रेशम कीट पालन का स्थान है। इस उद्योग में बहुत से विभाग हैं। उनमें बहुत बड़ी सख्या में लोगों को, विशेषतः आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को, रोजगार दिया जा सकता है। शहतूत के पेड़ उगाने, बीज तैयार करने, रेशम के कीड़े पालने, रेशम उतारने, बुनने तथा अन्य ऐसे ही कई कामों में उन्हें लगाया जा सकता है।

यदि इस उद्योग की पूरी देखभाल की जाये और इसे उचित रूप दे दिया जाये तो इससे न केवल हमारे अपने लोगों की मांग पूरी हो सकेगी अपितु रेशमी कपड़े में हमारे विदेशी व्यापार का भी विकास होगा। इसका निर्यात वर्ष प्रति वर्ष मात्रा तथा मूल्य दोनों में ही निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इसीलिये मैंने यह विधेयक पुरस्थापित किया है और इतनी बातें बताई हैं ताकि सरकार इस सारे उद्योग को पुनर्गठित करने की तत्काल आवश्यकता को समझे। आज हम ने अपने इस उद्योग को जापान, चीन और अन्य देशों से आयातित अच्छी प्रकार के रेशमी वस्त्र पर भारी प्रशुल्क लगा कर बचा रखा है। परन्तु यह कब तक चल सकता है? कब तक हम विदेशी मार्केटों में अन्य देशों के सामने खड़े हो सकते हैं? इन सभी बातों को देखते हुये सरकार को तुरन्त इस उद्योग की ओर ध्यान देना चाहिए।

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

जम्मू तथा काश्मीर जैसे विविध प्रकार की जलवायु वाले और पर्वतीय राज्य को आधुनिक अर्थों में औद्योगीकृत नहीं किया जा सकता है परन्तु फिर भी वहां पर रेशम कीट पालन उद्योग को चलाया गया है जिससे कि बहुत से लोगों को रोजगार मिला है । यह प्रयोग देश में अन्यत्र भी सफल हो सकता है । जरूरत इस बात की है कि इस उद्योग के जितने संभाव्य संसाधन हैं उन्हें व्यवस्थित किया जाए । रेशम उद्योग की रक्षा के लिए ऐसा शीघ्र से शीघ्र किया जाना चाहिये । उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाने और माननीय सदस्यों को यह बताने के लिये कि उनके सदस्य केन्द्रीय रेशम बोर्ड जैसे बोर्ड में क्या-क्या कुछ कर सकते हैं, मैंने यह विधेयक सदन के सामने रखा है । मैं आशा करता हूं कि सरकार और सदन जो कुछ मैंने कहा है उस पर विचार करेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं इस विधेयक की भावना का स्वागत करता हूं । परन्तु इसे प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस में तीन ही तो खंड हैं । इसमें कोई आमल परिवर्तनों का सुझाव नहीं, केवल बोर्ड की रचना में परिवर्तन करना लक्षित है ।

मैं १९३९ में जापान गया था । वहां मुझे बताया गया कि किसी देश की सभ्यता को आंकने का माप दंड यह है कि वहां प्रति व्यक्ति कितने गज रेशमी कपड़ा पहना जाता है मुझे इस में कुछ तथ्य दिखाई पड़ता है । यह पुराने जमाने से रईसों और बड़े लोगों तथा सन्यासियों का वस्त्र रहा है । संस्कारों में भी इसका प्रयोग हिन्दुओं में होता है । भारत के लोगों को रेशम से प्रेम है ।

अपने देश में तथा विदेशों में रेशमी कपड़े पर चित्रकारी और छपाई आदि का बड़ा रिवाज है । इसके अनेक प्रयोग होते हैं । अत इस उद्योग की ओर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है ।

माननीय प्रस्तावक ने बोर्ड की रचना को अधिक सुचारू बनाने का प्रयत्न किया बताया गया है । किन्तु कुछ राज्यों का उल्लेख विधेयक में नहीं किया गया । मेरे राज्य तथा कुछ संघ राज्य क्षेत्रों का भी उल्लेख नहीं । मेरा सुझाव है कि इस बोर्ड में विविध राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों ताकि उन सब के अनुभव से देश को लाभ पहुंचे ।

चाय तथा काफी बोर्डों की तरह, इस बोर्ड को केवल मात्र सलाहकार बोर्ड न रहकर, रेशम की विदेश तथा देश के अन्दर बिक्री और विपणन के काम की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । चाय और काफी का प्रचार विदेशों में बड़े जोरों पर किया जाता है । ऐसा ही रेशम के संबंध में करने की आवश्यकता है ।

जापान निस्संदेह रेशम बाजार पर छाया है । परन्तु हम भी प्रयत्न करके तथा इस उद्योग का प्रशिक्षण तथा कला को बढ़ा कर बाजार में चमक सकते हैं । इस बोर्ड को रेशम बनाने की कला का प्रशिक्षण लोगों को देना चाहिये ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रेशम के कीड़े पालने की अनुसंधान संस्था है परन्तु वहां उत्तम ढंग से रेशम बनाने, रेशम के कीड़े पालने और उत्तम शहतूत वृक्ष उगाने का काम नहीं होता । अतः बोर्ड को इन कामों को करना चाहिये ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में दस्तकारी के अध्ययन पर जोर दिया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि जहां रेशम उद्योग ने कुछ प्रगति कर रखी है वहां इस दस्तकारी को शिक्षा का अंग बनाया जाए और विद्यार्थियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाए। केन्द्रीय रेशम बोर्ड यह कर सकता है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड प्रचार का भी बड़ा प्रभावशाली साधन हो सकता है, प्रदर्शनियों में भाग ले सकता है। इसे ऐसी चीजें आयोजित करनी चाहियें।

जिस प्रकार प्रत्येक राज्य में योजना बोर्ड बनने वाले हैं, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में रेशम बोर्ड होने चाहियें ताकि समस्त अनुभव का उपयोग उठाया जा सके।

खण्ड २(१) के द्वारा रेशम उद्योग के प्रविधिक लोगों को प्रतिनिधान देने का उपबन्ध उत्तम है।

माननीय मन्त्री को आश्वासन देना चाहिये कि वह इन सब सुझावों को कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न करेंगे। इसे प्रवर समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं।

†**श्रीमती रेणुका राय :** मैं विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य तथा बोर्ड की रचना में परिवर्तनों से सहमत हूं। किन्तु समझ में नहीं आता कि उस वक्तव्य में दी गई बातें विधेयक के खण्डों में कहां हैं? केवल संसद् का और पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधान घटा कर जम्मू व काश्मीर का प्रतिनिधान बढ़ाया गया है। (**अन्तर्बाधाएं**) इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति उपसभापति हो सकता है चाहे वह बोर्ड का सदस्य हो या न हो। ठीक है कि बोर्ड ने अच्छा काम किया है परन्तु रेशम उद्योग के विकास की आवश्यकताओं को यह विधेयक कैसे पूरा करता है? वर्तमान स्थिति में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। माननीय मन्त्री इसे प्रवर समिति को न भेज कर इसमें दी गई बातों पर ध्यान दें। बोर्ड के प्रतिनिधान में अवश्य परिवर्तन की जरूरत है। चाय तथा कहवा बोर्ड के समान रेशम बोर्ड के निर्यात सम्बन्धी प्रयत्न पर्याप्त नहीं हैं। माननीय मन्त्री को चाहिये कि वह अधिक व्यापक विधेयक लायें जिसमें बोर्ड के प्रतिनिधान के साथ रेशम बोर्ड उत्पादन क्षेत्रों तथा उद्योग सम्बन्धी समस्याओं के लिये उपबन्ध किया जाए। क्योंकि इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है और बहुत से लोगों के लिये रोजगार प्राप्त होगा।

श्री बड़े (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री श्यामलाल सर्राफ, ने जो बिल इस सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उसका समर्थन इसलिए करता हूं कि उन्होंने एक बड़े महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन और शासन का ध्यान आकर्षित किया है।

मैं देखता हूं कि इस बिल को सदन के सामने रखते हुए माननीय सदस्य ने अपने भाषण में इस बिल के जो उद्देश्य प्रकट किये, उनमें और इस बिल के स्टेटमेंट आफ़ आब्जैक्ट्स एण्ड रीज़न्ज़ में बहुत फ़र्क है। स्टेटमेंट आफ़ आबजैक्ट्स एण्ड रीज़न्स में उन उद्देश्यों और इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है, जो कि उन्होंने अपने भाषण में कही हैं। उनके भाषण से ऐसा मालूम होता है कि एक अलग सिल्क बोर्ड बनाने की ज़रूरत है। शासन को तो पहले ही ऐसे बोर्ड का निर्माण करना चाहिए था, लेकिन मैं देखता हूं कि इस बिल में उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में एक बड़ा सेरीकल्टर फार्म है, जहां पर सिल्क उद्योग की तरफ काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोशा सिल्क की इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से चल रही है और बहुत से लोगों की रोज़ी-रोटी उस पर निर्भर है।

जैसा कि मैंने अभी कहा है, माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जिन उद्देश्यों की चर्चा की है, उन की पूर्ति इस बिल के द्वारा नहीं हो सकती है। शासन को इस सम्बन्ध में एक काम्प्रिहेंसिव बिल

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

लाना चाहिए। अगर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और वहां पर एक पूर्ण और काम्प्रि-हैंसिव बिल तैयार किया जाये, तो मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जायगी।

इस बिल में सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक्ट, १६४८ के जो एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं, उनको पढ़ने से तो इतना ही मालूम पड़ता है और साथ ही साथ जो उन्होंने एमेंडमेंट दिये हैं, उनको पढ़ने से इतना ही मालूम पड़ता है कि वह मैम्बरशिप में थोड़ी सी घटा बढ़ी करना चाहते हैं। थोड़ी सी इसमें प्राविन्शि-लिज्म दिखाई देती है। शायद उनका उद्देश्य वैसा नहीं होगा। लेकिन जम्मू और काश्मीर के एक के बजाय दो मैम्बर रखने की तजवीज़ उन्होंने पेश की है। इस तरह की आशंका तब होना स्वाभाविक है। उन्होंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा है कि वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक के बजाय दो मैम्बर जम्मू और काश्मीर के होने चाहियें, ऐसा उन्होंने कहा है।

तीस मैम्बर उन्होंने क्यों लिये हैं, इसके बारे में उन्होंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कुछ नहीं कहा है। तीस मैम्बरों की कोई जरूरत महसूस नहीं देती है।

मैं केवल इतनी ही अपील करना चाहता हूं कि शासन को एक बिल लाना चाहिये। अपने प्रार-म्भिक भाषण में उन्होंने कहा है कि एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड अलग होना चाहिये। साथ ही साथ जापान से जो कम्पीटीशन का हमको सामना करना पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखना है और विक्रय करने की कोशिश करनी है। हमारे माल के एक्सपोर्ट को उत्तेजन मिलनी चाहिये। ये जो बातें उन्होंने कही हैं, इनकी पूर्ति तो इस बिल से नहीं होती है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए। यदि ऐसा किया गया तो इसमें इतनी एमेंडमेंट करनी पड़ेंगी कि एमेंडमेंट जो होंगी वे बिल के बजाय अधिक होंगी। जो बिल के प्रस्तुतकर्ता का उद्देश्य है, वह इस बिल से पूरा नहीं होने वाला है। मेम्बरों की घटबढ़ करने से ही उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। इस वास्ते मेरी शासन से प्रार्थना है कि एक कम्प्रीहैंसिव बिल वह लायें और आश्वासन दें कि ऐसा बिल वे लायेंगे और यदि ऐसा होता है तो इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है और अगर ऐसा आश्वासन नहीं मिलता है तो जरूर इसको सिलैक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाना चाहिये।

†**श्री शंकरय्या** : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैसूर इस उद्योग में आगे बढ़ा हुआ है परन्तु इस उद्योग में उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समूचे उद्योग के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है।

हालांकि उद्योग पुराना है, और बोर्ड भी १६४८ से अच्छा काम कर रहा है, परन्तु हम उद्योगों को स्थायी तौर पर सबल नहीं बना सके हैं। बोर्ड ने ३-४ वर्षों से ही पर्याप्त वित्तीय सहायता देना, योजनाएं बनाना आदि शुरू किया है। समन्वय और ढंग से काम तीन चार वर्षों में ही हुआ है—फिर भी प्रगति कम है।

वित्त का अभाव और समन्वय की कमी—ये दो कठिनाइयां उद्योग की प्रगति मार्ग में बाधक है। मैसूर में ७०-८० प्रतिशत शहतूती रेशम होता है और शेष काश्मीर में—अन्य राज्यों में कुल मिलाकर ५ प्रतिशत औद्योगिक तथा प्रतिरक्षा कार्यों के लिये अपेक्षित रेशम आटेरन द्वारा ही तैयार हो सकता है। ये केन्द्र केवल मैसूर में हैं, काश्मीर में केवल एक ऐसा केन्द्र है। मैसूर में आटेरन केन्द्र बन्द होने वाले हैं क्योंकि उनको हानि होती है, उत्पादन लागत अधिक है। यह उद्योग संकट में हैं। ये समिति ने कुछ सुझाव इसे सुधारने के लिये दिये थे। परन्तु धनाभावके कारण, समन्वय और स्फूर्ति के अभाव में वे कार्यान्वित नहीं किये गये। यदि बोर्ड को कार्यपालिका की शक्तियां होतीं तो कार्रवाई

की जा सकती थी। मैसूर सरकार ने भी इस उद्योग के लिये सहायता के लिये प्रार्थना की है। जब तक सहायता नहीं मिलती सामान नहीं मिलता, उद्योग प्रगति नहीं कर सकता। चर्खा का रेशम घटिया किस्म का होता है। इसलिए अटेरन उद्योग को जीवित रखना जरूर है। अतः मैसूर सरकार की प्रार्थना पर तुरन्त ध्यान दिया जाए और उचित बोर्ड की स्थापना की जाए जो उद्योग को मजबूत आधार पर कायम कर सके।

चर्खा उद्योग की कठिनाइयां हैं—एक नई थाला पद्धति जारी की गई है जो लोकप्रिय नहीं—धन का अभाव भी है। इतने राज्यों के लिये बोर्ड को बहुत थोड़ा धन मिलता है और वह लाचार है।

अध्ययन दल ने भी रेशम के धागे की कताई के बारे में कई सुझाव दिये हैं। पिछले तीन वर्षों से उसका प्रतिवेदन सरकार तथा बोर्ड के पास है, किन्तु ५ प्रतिशत सिफारिशें भी कार्यान्वित नहीं की गई हैं। जब तक कुछ ठोस काम नहीं किया जाता वित्त नहीं दिया जाता, यह उद्योग प्रगति नहीं कर सकता। मैं आशा करता हूं कि सरकार बोर्ड का गठन उचित ढंग से करेगी और उसे योजनाओं को चलाने के लिये पर्याप्त शक्ति प्रदान करेगी।

रेशम बोर्ड का दफ्तर बम्बई में है, जो रेशम के कीड़े पालने के उद्योग का केन्द्र नहीं है। यह वहां नहीं होना चाहिये। या तो जम्मू काश्मीर में हो या मैसूर में। यदि बंगलौर में हो, तो इस उद्योग के लोग लाभ उठा सकते हैं। और योजनाओं की कार्यान्विति भी सरल हो सकती है। काश्मीर और मैसूर राज्य बम्बई में दफ्तर ले जाने का विरोध करते रहे हैं।

कपड़ा आयुक्त इस बोर्ड का सभापति होता है। उसके पास पहले ही बहुत काम है, अतः वह रेशम उद्योग की ओर उचित ध्यान नहीं दे सकता। अतः मैं सुझाव दूंगा कि चाय, कहवा बोर्डों के समान इसका सभापति भी गैर-सरकारी व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पास पर्याप्त कार्यपालिका शक्तियां हों। यदि इस प्रकार का बोर्ड स्थापित किया जाए तो रेशम उद्योग सबल तथा स्थायी हो सकता है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री कानूनगो जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं, और उनके कारण हमारे क्षेत्र की सिल्क की बहुत सी समस्याएं हल हुई हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में करीब १३ लाख किलोग्राम सिल्क का धागा बनता है, उसमें से बनारस सिर्फ साढ़े तीन लाख पाउंड सिल्क के धागे का प्रयोग कर सकता है। बाकी करीब दो करोड़ रुपए का सिल्क बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है जो कि जापान से आता है।

१३ लाख किलोग्राम सिल्क का धागा जो कि देश में होता है उसमें से ९ लाख पाउंड मैसूर में तैयार होता है और ढाई लाख पाउंड काश्मीर में तैयार होता है। मैसूर के शिल्क में से काशी केवल डेढ लाख पाउंड सिल्क का प्रयोग कर सकता है। जो साढ़े तीन लाख पाउंड से ज्यादा सिल्क आवश्यक होता है वह बाहर से आता है। हमें यह कोशिश करनी है कि यह जो बाहर से सिल्क का इम्पोर्ट होता है यह अब बन्द होना चाहिये कारण इससे हिन्दुस्तान का दो करोड़ रुपया फारिन एक्सचेंज के रूप में बाहर जाता है। इस वक्त हम करीब ६४ हजार किलोग्राम सिल्क बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है हिन्दुस्तान से ८६ लाख रुपये का सिल्क का सामान हर साल बाहर जाता है। लेकिन एक्सपोर्ट की इतनी ज्यादा डिमांड है कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते। जब कि बाहर हमारे माल के लिये मारकेट है तो उसको हमें कैप्चर करना चाहिये।

हमारे वेदों और शास्त्रों में सिल्क का जिक्र आता है। उसको हमारे यहां चिनांशुक कहते थे। हमारे चीनी भाई कहते हैं कि हमने सिल्क को यह नाम दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत में

[श्री रघुनाथ सिंह]
चिनांशुक सिल्क को कहते हैं और चूंकि वह पहले चीन से आता था इस लिये उस देश का नाम चीन पड़ गया। तो चीन को यह नाम हिन्दुस्तान का दिया हुआ है।

श्री बड़े : इसी तरह दाल चीनी को भी नाम दिया गया है ?

श्री रघुनाथ सिंह : रामचन्द्र जी के विवाह में काशी का सिल्क गया था। यह बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन यह सब होते हुये भी हम एक छटांक सिल्क काशी में पैदा नहीं करते। हम जो सिल्क काम में लाते हैं वह या तो बंगलौर से आता है, या काश्मीर से आता है या जापान से आता है। पांच करोड़ रुपये का सिल्क हम बनारस में खरीदते हैं और देश में ही यह काम में नहीं आता बल्कि इसका अमरीका आदि को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे मित्र ने इस विधेयक को पेश करके सरकार का ध्यान इस उद्योग की ओर आकर्षित किया है। यह उद्योग जो कि रामायण काल से काशी में चला आ रहा है इसकी उन्नति होनी चाहिये। इस विधेयक का केवल यही उद्देश्य है कि जो हमारा सिल्क बोर्ड के गठन में संशोधन किया जाय।

कानूनगो साहब का जहां तक सम्बन्ध है, वह टैक्सटाइल एनक्वायरी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और उनको इस का ज्ञान है। हिन्दुस्तान के सिल्क के धागे का काम प्रोटेक्शन के कारण चल रहा है। अगर यह प्रोटेक्शन हटा लिया जाये तो हिन्दुस्तान का यह उद्योग फेल हो सकता है फारिन सिल्क उद्योग के सामने। हमारी ये बड़ी विचित्र समस्यायें हैं। इनका हल अवश्य होना चाहिये। मैं कानूनगो साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वे बनारस में ज्यादा से ज्यादा सिल्क दें। बनारस से कम से कम १५ करोड़ रुपये के सिल्क का माल तैयार कर सकता है और इस प्रकार आज १५ करोड़ रुपये का माल बाहर भेजा जा सकता है। हमें मैसूर का डेढ़ लाख पाउंड में से कुछ सिल्क मिलता है। काश्मीर का ढाई लाख पाउंड सिल्क होता है। वह बनारस के टेंडर देने पर भी जितना हम चाहते हैं नहीं मिलता। होता यह है कि हम को जापान के सिल्क पर निर्भर होना पड़ता है। इस लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि सिल्क बोर्ड को सुसंगठित किया जाय ताकि इस उद्योग की उन्नति हो सके।

हम दो करोड़ रुपये का सिल्क इम्पोर्ट करते हैं। उस सिल्क का भाव ३८ रुपये पाउंड है पर वह बम्बई के ब्लैक मारकेट में ६० रुपये पाउंड पर बिकता है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां सिल्क की कमी है इस कमी को दूर करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र हमें ठोस कदम उठाना चाहिये। हमारे देश में सिल्क का उत्पादन इतना बढ़ाया जाय कि हमको जापान से सिल्क न मंगाना पड़। और हम बनारस में १५ करोड़ का सिल्क का सामान बनाकर बाहर भेज सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के इस अंश का स्वागत करता हूं कि सिल्क बोर्ड सुसंगठित किया जाये और बढ़ाया जाये।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** । उपाध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा कही गई अनेक बातों ने तथा प्रस्तावक सदस्य के ज्ञान वर्धक भाषण ने मेरे कार्य को अति सरल कर दिया है। मैं वाद-विवाद के अन्त में कही गई बातों से प्रारम्भ करूंगा तथा मेरे माननीय मित्र श्री रघुनाथ सिंह, द्वारा कही गई बातों पर बोलूंगा। यह सच है कि केवल अनेक शताब्दियों से ही नहीं अपितु अनेक सहस्त्रों वर्षों से बनारस रेशमी वस्त्रों के लिये विख्यात रहा है तथा उसकी यह ख्याति अभी तक चल रही है। अब भी उत्तम श्रेणी के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। बनारस के कारीगर उत्कृष्ट कोटि के हैं। उनको भारत से बाहर जाने के लिये प्रलोभन देने के

†मूल अंग्रेजी में

प्रयत्न किये गये थे। परन्तु उनकी देशभक्ति की भावनाओं का धन्यवाद है कि वे उन प्रलोभनों के सम्मुख नहीं झुके। परिणाम यह है कि कारीगरी की दीर्घकालीन परम्परा वहां अभी चल रही है।

श्री रघुनाथ सिंह ने जो मेरी प्रशंसा की है उसके लिये मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं यह भली भांति जानता हूं कि बनारस का कारीगर केवल सर्वोत्तम सामग्री से ही निर्माण कार्य कर सकता है। यदि हम उसे सर्वोत्तम सामग्री प्रदान नहीं करते तो वह अपना उत्तम श्रेणी का कार्य बनाये नहीं रख सकता। यह एक जटिल समस्या है। हम एक निश्चित मात्रा में रेशम उत्पन्न करते हैं जो कि हमारी मांगों के लिये पर्याप्त नहीं है। रेशम के उत्पादन की लागत बहुत अधिक है तथा इसकी श्रेणी अधिकतर निकृष्ट है। स्वभावतः, रेशम बोर्ड ने प्रारम्भ से हीं अपना ध्यान भारत में रेशम की श्रेणी में सुधार करने तथा उसकी लागत को यथासम्भव कम करने की ओर केन्द्रित किया है। यह इतना सरल कार्य नहीं है।

जैसा कि मेरे मित्र माननीय श्री सर्राफ ने पहिले ही बताया है, रेशम के उत्पादन की प्रणाली बहुत ही जटिल है। यह कृषि पर आधारित है। जब तक हमारे पास सर्वोत्तम तथा पर्याप्त संख्या में शहतूत के पेड़ नहीं होते, हम रेशम के कीड़े नहीं पाल सकते। इसके पश्चात् हमारे अन्दर रेशम के कोये में से रेशम निकाल कर उसको चरखी पर लपेटने की कार्य-कुशलता भी चाहिये। अन्यथा कीड़े द्वारा उगला हुआ रेशम व्यर्थ नष्ट हो जाता है और यही भारत में हो भी रहा है। यदि सर्वोत्तम श्रेणी का रेशम सूत उपलब्ध होता है, तभी सर्वोत्तम बुनाई की दक्षता दिखाई जा सकती है।

श्री सर्राफ भारत के प्रमुख राज्यों में से एक —जम्मू तथा काश्मीर राज्य— के रेशम उद्योग के भारसाधक रहे हैं, जहां कि सर्वोत्तम प्रकार के रेशम के कीड़ों के अण्डों के प्रजनन के लिये प्रकृति तथा जलवायु अनुकूल है। भारत वर्ष जम्मू तथा काश्मीर राज्य व उसकी सरकार का कृतज्ञ है, विशेष रूप से श्री सर्राफ का जिनकी भारसाधक रहने की अवधि में सुधरी हुई किस्म की नस्लों के रेशम के कीड़ों के अण्डे वहां की जलवायु से अभ्यस्त बना दिया गए तथा पाले गये, जिसके कि बहुत सुन्दर परिणाम रहे हैं।

परन्तु यह सब बहुत अल्प मात्रा में हुआ। वास्तव में, यद्यपि हम स्वयं यह चाहते हैं कि वहां रेशम के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो और जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकार भी इसके लिये उत्सुक है, परन्तु हम सर्वोत्तम सामग्री का अपेक्षित नस्लों के अण्डों का आयात नहीं कर सकते। अतएव, कुछ विलम्ब होना आवश्यक ही है।

जैसा कि वाद-विवाद में भाग लेने वाले अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है, मूल समस्या अधिक मात्रा में उत्तम श्रेणी के रेशम का उत्पादन करने की है। मैसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक उपसमिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को लागू न किये जाने की शिकायत ठीक ही की है। जो युक्ति मैं दे सकता हूं वह यह है कि रेशम बोर्ड इस विषय में पूर्ण स्वाधीन नहीं है। सरकार को यह ज्ञात करना होता है कि कितनी लागत पर राष्ट्रीय राज्यकोष को, न कि केवल उसके किसी भाग को, कितना लाभ होगा।

जैसा कि मैंने बताने का प्रयत्न किया है, यहां अब दो एक दूसरे से पूर्णतः विरुद्ध हित हैं। एक तो रेशम का उत्पादक है। उत्पादन की मात्रा के विषय में मैसूर का स्थान सबसे पहला है। दूसरा स्थान बंगाल का तथा फिर काश्मीर का है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** बंगाल में (रेशम के कोये में से रेशम निकाल कर उसको) चरखी पर लपेटने का १० हजार पौंड रेशम होता है।

†**श्री कानूनगो :** यहां मेरे पास आंकड़ नहीं हैं ; वे वार्षिक प्रतिवेदनों में दिये हुये हैं। काश्मीर का रेशम अधिक अच्छी किस्म का है। परन्तु सब प्रकार के रेशम के मूल्य अधिक हैं। इसका यह अर्थ

है कि आयात किये जाने वाले रेशम के मूल्य की तुलना में उत्पादन की लागत अधिक है। जैसा कि मैंने पहिले बताया है, यदि मुझ पर केवल मेरी ही पसंद चलती, तो मैं समस्त संसार से सर्वोत्तम श्रेणी का इतना रेशम मंगवाता जितना कि सम्भव होता, बनारस में अथवा अन्य उसके वस्त्र बनवाता और उनका विक्रय करवाता। परन्तु मैं इस देश के रेशम उत्पादकों के हित में ऐसा नहीं करूंगा। आखिरकार, कोई भी उद्योग आयात किये गये कच्चे माल के आधार पर नहीं चल सकता।

†श्री रंगा (चित्तूर) : क्या यह आवश्यक है कि आप हमारे रेशम उत्पादकों के मार्ग में अवश्य ही बाधक हों ?

†श्री कानूनगो : मैं भी तो यही बता रहा हूं। मैंने कहा था "यदि केवल मेरी ही पसन्द होती"। मुझे स्वयं अपनी भावनाओं को बदलना पड़ा है क्योंकि, आखिरकार, राष्ट्रीय हित के लिये यह आवश्यक है कि हमारे स्वयं के संभरण के साधनों में वृद्धि हो तथा हमारे रेशम की किस्म इतनी अच्छी हो कि हमें रेशम को आयात करने की आवश्यकता ही न हो।

मुझे फिर से अपने प्रिय मित्र, श्री दीवान चन्द्र शर्मा की याद आती है, जबकि वह १९३९ में जापान में थे। यह वे पुराने दिन थे जब कि एक देश की समृद्धि का अनुमान सम्भवत: वहां के रेशम के उपभोग से लगाया जाता था। संसार तब से अब बहुत बदल गया है। अब अन्य माप-स्तर हैं। परन्तु जहां तक रेशम का सम्बन्ध है आज से मानव-निर्मित रेशों, जिसे कृत्रिम रेशम कहते हैं, की प्रतियोगिता से भय है। प्रतियोगिता इतनी कड़ी रही है, विशेषकर मूल्यों के स्तर में, कि जापान के समृद्धिशाली चर्खाघरों को भी हअपना रेशम विक्रय करने में कठिनाइयां हुईं।

जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि समस्या वास्तव में अत्यन्त जटिल है तथा समस्या का समाधान, जैसाकि श्री सर्राफ ने स्वयं ही कहा है, केवल समिति के गठन में परिवर्तन करने से ही नहीं होगा। श्री सर्राफ रेशम बोर्ड के सदस्य हैं, तथा सभा ने जो अपनी रुचि रेशम उद्योग में प्रदर्शित की है मैंने उसे देखा है। निश्चय ही, बोर्ड तथा सरकार के मध्य हमें ऐसे मार्गोपाय ढूंढ़ने चाहिये जिससे कि अब तक की गई प्रगति में वृद्धि हो सके।

श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि बोर्ड ने थोड़े से साधनों से ही बहुत अच्छा कार्य किया है जिसके लिये वह बधाई का पात्र है—जब बोर्ड का वार्षिकप्रतिवेदन उपलब्ध होगा तो माननीय सदस्य यह निर्णय कर सकेंगे। एक गवेषणा संगठन स्थापित करदिया गया है यद्यपि अभी तक सके पास पूर्ण साधन नहीं है। फिर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि रेशम की गवेषणा संस्थायें अकेली ही कार्य भी नहीं करतीं। वे कृषिविद्या, रसायन शास्त्र, प्राणिविज्ञान जीव विज्ञान, तथा अन्य अनेक विज्ञानों की आधारभूत गवेषणाओं से सम्बन्धित हैं। रेशम उद्योग की गवेषणा संस्था को उन पर निर्भर रहना होता है। आधारभूत गवेषणा की विभिन्न शाखाओं में हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय गवेषणाओं के परिणाम भी हमें उपलब्ध होते हैं, और मेरा विश्वास है कि हाल ही में स्थापित की गई गवेषणा संस्थाओं में जो वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं वे अपने कार्य में रुचि लेंगे और गवेषणा के परिणामों से भारत में तथा संसार में अपना महत्व सिद्ध कर देंगे। यह सब परिणाम उद्योग को उपलब्ध किये जायेंगे। किन्तु मैं यह कहता हूं कि यह इस प्रकार का कार्य नहीं है कि जिसके सुपरिणामों की आशा आप तीन अथवा चार वर्षों में ही करें। इसमें दसियों वर्ष लगेंगे क्यों कि सैकड़ों वर्षों स इस कार्य में हमारी रुचि नहीं रही है और हमारा जो अनुभूत ज्ञान था उसे हमने खो दिया है अब हमें विज्ञान से वह ज्ञान पुन: प्राप्त करना है तथा यही हम करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सर्राफ ने संसार की वर्तमान मांगों की स्थिति में शहतूत के पेड़ पर उत्पन्न किए जाने वाले रेशम के अतिरिक्त रेशम में सुधार के लिए एक दूसरी महत्वपूर्ण बात बताई थी। वह यह ठीक ही कहते हैं कि शहतूत के पेड़ पर उत्पन्न किए जाने वाले रेशम के अतिरिक्त रेशम के सम्बन्ध में हमें पर्याप्त मूलभूत ज्ञान नहीं है। मुझे इस समस्या का ज्ञान है क्योंकि मैं एक ऐसे राज्य—उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश—से आता हूं जहाँ कि रेशम के पेड़ पर उत्पन्न किए जाने वाले रेशम के अतिरिक्त अन्य रेशम प्रचुर मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। किन्तु रेशम के कीड़ों को पालने की विधि, उनकी भरण-पोषण की विधि तथा उनकी प्रजनन विधि के सम्बन्ध में हमारा मूल ज्ञान बहुत प्रारम्भिक है। मैं श्री सर्राफ से सहमत हूं कि इन समस्त कमियों को दूर करना चाहिए। किन्तु मैं सभा से, विशेषतः, श्री सर्राफ से, यह नम्र निवेदन करूंगा कि वे यह याद रखें कि इस सम्बन्ध में वास्तविक कार्य केवल राज्य सरकारों द्वारा ही किया जा सकता है। इस समय आप संविधान की परिसीमाओं, अनुसूचियों तथा अन्य सब बातों को और वैधानिक पहलुओं को भूल जायें। यह मानते हुए भी कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड इस सम्बन्ध में केवल थोड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। यह केवल राज्यों द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए अभी तक केन्द्रीय सरकार की तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड की राज्य सरकारों की रुचि में वृद्धि करने की नीति रही है। वे राज्य योजनाओं को सहायक-अनुदान देते हैं क्योंकि योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा ही चलाई जानी हैं। कार्यकारी संगठन भी राज्य का ही होगा। इसलिए मैं इस सुझाव से सहमत नहीं होऊँगा कि रेशम बोर्ड एक ऐसी संस्था हो जिसका उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य राज्य सरकारों की कार्यवाहीं को रद्द करना हो। यह हमारे जैसे बड़े देश में नहीं चलेगा। इसलिए, यद्यपि माननीय सदस्य द्वारा बताये गए उद्देश्यों से जिनका कि अन्य सदस्यों ने समर्थन किया है मैं पूर्ण सहानुभूति रखता हूं, मैं उनके सुझाव से सहमत नहीं हो सकता।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): क्या रेशम गवेषणा संस्थायें राज्यों के नियंत्रण के अधीन हैं?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं; गवेषणा प्रयोजनों के लिए वे बोर्ड के प्रबन्धकों के अधीन हैं।

इन उद्देश्यों को केवल बोर्ड के उस गठन में परिवर्तन करके प्राप्त नहीं किया जा सकता जिसमें कि विभिन्न हितों तथा विभिन्न राज्यों का बहुत विचारपूर्वक सन्तुलन किया गया है। शहतूत के पेड़ पर उत्पन्न किए जाने वाले रेशम के अतिरिक्त रेशम के सम्बन्ध में वर्तमान अवस्थाओं की दृष्टि में यदि कोई कार्य आवश्यक है, तो उसे पृथक् रूप से किया जा सकता है। वास्तव में, मैं प्रस्तावक सदस्य तथा अन्य उन सदस्यों से चर्चा करने का स्वागत करता हूँ जो कि समस्या में ऐसी रुचि रखते हैं कि किस प्रकार बोर्ड के गठन को पुनः नया रूप दिया जाय जिसके कि सभा में व्यक्त किए गए अधिकांश विचारों को कार्यरूप दिया जा सके। मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने प्रस्ताव पर दबाव न डालें क्योंकि यह बर्रों के छत्ते में हाथ डालना होगा। हम पश्चिम बंगाल को, जो कि शहतूत के पेड़ पर उत्पन्न किए जाने वाले रेशम के सबसे बड़ उत्पादकों में से एक है, बोर्ड से हटाने के लिए किस प्रकार सहमत हो सकते है? हम यह नहीं कर सकते। बोर्ड में पंजाब के प्रतिनिधि के रूप में रेशम उद्योग के संयुक्त निदेशकों में से एक वर्तमान है। इस प्रकार बोर्ड

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

का गठन बहुत विचारपूर्वक किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले आठ स्थानों का प्रयोग विभिन्न हितों के केवल सन्तुलन भर के लिए किया जाता है।

फिर मेरा विचार है कि बोर्ड के मुख्यालय का बम्बई में रहना काफी न्यायोचित है। बम्बई मुख्य रूप से भारत की वाणिज्यिक राजधानी है। इसके बाद रेशम का बड़ा उपभोक्ता गुजरात है। अनेक वस्त्रों के रेशों के साथ साथ रेशम का भी एक रेशा है जिनकी एक दूसरे से प्रतियोगिता होती है। इसलिए, मेरी राय में, केवल यही उचित है कि वस्त्र आयुक्त ही वह केन्द्र बिन्दु रहे जहां कि विभिन्न रेशों के विभिन्न तथा विरोधात्मक दावों का समन्वय किया जा सके। यह मेरा निजी दृष्टिकोण है। मैं माननीय सदस्य के सम्मुख फिर यह सुझाव रखता हूं कि मैं इस विषय पर उनसे चर्चा करूंगा। अतः मेरी उनसे प्रार्थना है कि वह प्रस्ताव पर दबाव न डालें।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : मैंने माननीय मंत्री द्वारा दिया गया विस्तृत भाषण बहुत लवलीन होकर सुना है। किन्तु विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करने से पहिले मैं एक या दो बातें कहूंगा।

मैंने उद्योग की सहायता करने के लिए अपना सुझाव केवल इस कारण से नहीं दिया था कि रेशमी वस्त्रों का निर्माण बनारस में या अन्य कहीं होता है किन्तु इसलिए दिया था कि यह रेशम उद्योग के विकास के लिए आवश्यक है।

मेरा निवेदन है कि सब स्तरों पर इस उद्योग के कार्यकलापों का समन्वय किया जाय। मेरा विचार था कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड एक आरक्षीगण (पुलिसमैन) की भांति कार्य करे ताकि वह प्रत्येक राज्य पर सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बल दे सके। भारत म केन्द्रीय सहायता के बिना किसी राज्य का रेशम उद्योग नहीं पनप सकता। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था को इतने पर्याप्त अधिकार दिए जायें कि वह राज्यों के कार्यकलापों में वृद्धि कर सके। मेरा मन्तव्य है कि रेशम उद्योग को सफल बनाने के लिए प्रत्येक समन्वित प्रयत्न किये जायें।

मैं माननीय मंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि वह रेशम उद्योग वाले राज्यों के कुछ सदस्यों को विश्वास में लेकर बारीकी से चर्चा करने के लिए सहमत हैं। इन शब्दों के साथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त है?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां :

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया

सिनेमा फिल्मों की अधिकतम लम्बाई विधेयक

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

> "देश में बनने वाली सिनेमा फिल्मों की लम्बाई की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में देशी भाषाओं में जो फिल्में तैयार होती हैं, वे बहुत लम्बी होती हैं और उनकी लम्बाई आम तौर पर चौदह पंद्रह हजार फीट होती है। वे फिल्में और तत्सम्बन्धी अन्य सामान—फिल्म धोने के मसाले, कैमरे और दूसरी चीजें—विदेशों से आते हैं। एक तरफ तो हमें बहुत जरूरी चीजों के लिए भी फारेन एक्सचेंज नहीं मिलता है और दूसरी तरफ हम फिल्मों के लिए इतनी ज्यादा फारेन एक्सचेंज जाया करते हैं। अगर लम्बी फिल्में देश के लिए जरूरी हों, अगर उनसे देखने वालों और इस देश का कुछ फायदा हो, तो यह बात समझ में आ सकती है कि हम उनके लिए फारेन एक्सचेंज खर्च करें, परन्तु जहां तक मेरा अनुभव है—मैं बहुत फिल्में तो नहीं देखता, महीने में एक दो बार जाता हूं—फिल्मों को लम्बा बनाने के लिए उनमें ऊल-जलूल दृश्य फिल्म-निर्माताओं को रखने पड़ते हैं, जिससे देखने वालों को सिर-दर्द हो जाता है और वे यह नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि क्या वह सिर-दर्द के लिए महीने में एक दो दफा फिल्में देखने जाते हैं?

श्री रामेश्वर टांटिया: मुझे कहना पड़ता है कि मैं हिन्दी फिल्में नहीं देखता या कम देखता हूं, क्योंकि उनमें घूम-फिर कर वही दृश्य, वही बातें और "चल चल रे नौजवान" जैसे वही गाने होते हैं। मैं अंग्रेजी या बंगला फिल्में देखता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन फिल्मों को प्रैजिडेंट्स एवार्ड मिला है और जो हिन्दुस्तान की अच्छी फिल्में साबित हुई हैं, वे छोटी फिल्में ही हैं, लम्बी फिल्में नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि पाथर पांचाली, बिन्दूर छेले, छोटी बहन जैसी फिल्में हैं जिनको इनाम मिले हैं। जहां तक छोटी फिल्मों का सम्बन्ध है, देशी भाषाओं में बंगला भाषा ही एसी है जिसमें छोटी फिल्मों का निर्माण होता है। बंगला हम से बहुत आगे है। उसमें छोटी फिल्में बनने लगी हैं। जहां तक अन्य भाषाओं का सम्बन्ध है, लम्बी लम्बी फिल्में बनाने की होड़ सी लगी हुई है। लेखकों से कहा जाता है कि तुम दो सौ पेज का स्क्रिप्ट दो। जब ऐसा वे कर देते हैं तो इन दो सौ पेजों को फिल्म में भरने के लिए इरेलेवेंट जो बातें होती है, जो मैटीरियल होता है, उसको उनमें उन्हें देना पड़ता है, नाच गाने देने पड़ते हैं, चाह उनके लिए समय उपयुक्त हो या न हो। इन बातों की कोई परवाह ही नहीं की जाती है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर फिल्में छोटी होंगी, अगर फिल्मों की लम्बाई दस हजार फीट से अधिक नहीं होगी तो फारेन एक्सचेंज बचाने की आज जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सकेगी तथा और कई तरह की बचतें हो सकेंगी। जहां तक अंग्रेजी फिल्मों का सम्बन्ध है, व दो घंट में ही खत्म हो जाती हैं और बीस मिनट की न्यूज रील होती है, इस तरह से कुल मिला कर सवा दो घंटे में वे खत्म हो जाती है। लेकिन हिन्दी फिल्में तीन घंटे साढ़े तीन घंटे तक चलती हैं। इस वास्ते कई लोग अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए जात हैं और अगर वे न जायें और वह तभी हो सकता है जब देशी भाषाओं की फिल्मों की लम्बाई कम हो तो जो पैसा विदेशों को जाता है, उसकी बचत हो सकती है। साथ ही साथ इससे हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की बड़ी सेवा भी हो सकती है। आज चाहते हुए भी लोग दशी फिल्में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनकी लम्बाई अधिक होती है। जब अच्छी सुरुचिपूर्ण चीज नहीं मिल पाती है तो चीप मैटीरियल देना पड़ता है। वहां जो दर्शक जाते हैं, वे इसी तरह के जाते हैं। उनकी इस रुचि को हमें मोड़ना होगा। हो सकता है कि इसमें कठिनाई पड़

[श्री रामेश्वर टांटिया]

परन्तु इस रुचि को मोड़ना होगा। यह देश के लिए तथा लोगों के लिए अच्छा होगा। सरकार को भी इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत झंझट उठाना पड़े। दस हजार फुट लम्बाई मैक्सिमम आप कर दें। अगर कोई माइथोलोजिकल फिल्म बनाना चाहे और चाहे कि उसकी लम्बाई अधिक होनी चाहिये तो जैसा कि मैंने बिल में कहा है, वह सरकार को एप्लाई करके उसकी मंजूरी ले सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और फिल्मों की लम्बाई अधिक से अधिक दस हजार फीट कर दे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री यु० सिं० चौधरी (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल टांटिया जी ने उपस्थित किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस में कोई सन्देह नहीं है कि जो हमारी फिल्में होती हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है, उससे कहीं अधिक लम्बी होती है। लेकिन फिल्मों की लम्बाई को कम करने का प्रश्न अकेला ही प्रश्न नहीं है, इसके साथ और भी बहुत से प्रश्न जुड़े हुए हैं, और भी बहुत ही बातें जुड़ी हुई हैं।

हमें खुद का अनुभव है कि फिल्मों की लम्बाई दो घंटे से ले कर तीन साढ़े तीन घण्टे तक की होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि डायरेक्टर्ज़ की यह राय रहती है कि फिल्मों को लम्बा किया जाये। फिल्मों का प्रचलन बहुत पहले से होता आ रहा है। आप जानते ही होंगे कि पहले पहल, दस बीस साल पहले इससे भी अधिक लम्बी फिल्में होती थीं, शायद हफ्ते हफ्ते भर तक वे फिल्में चलती थीं, तीन घंटे एक दिन, तीन घंटे दूसरे दिन और तीन घंटे तीसरे दिन। व्यर्थ की जासूसी बातें उन में रख दी जाती थीं।

जैसा मैंने पहले कहा है फिल्मों की लम्बाई कम करने के प्रश्न के साथ और भी बहुत से प्रश्न सम्बन्धित हैं। जब फिल्मों को गैर जरूरी तौर पर डायरेक्टर लोग लम्बा करने की कोशिश करते हैं तो जिस उद्देश्य से चलचित्र का निर्माण हो रहा होता है, जिस भावना को ले कर उसका निर्माण हो रहा होता है, वह तो वहीं समाप्त हो जाती है और उसकी वजह बीच में ऊलजलूल बातें, अननिसैसरी बातें, इरेलेवेंट बातें भर दी जाती हैं। हिन्दी फिल्मों को देखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि रेपीटीशंज़, पुनरावृत्तियों, अप्राकृतिक दृश्यों इत्यादि से ये फिल्में भरी रहती हैं और ऐसी बातें उनमें होती हैं, जिन का समाज से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। इसलिए . . . .

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : अप्राकृतिक दृश्य तो काट दिये जाते हैं।

श्री यु० सिं० चौधरी : जब लम्बी फिल्म बनाने की प्रवृत्ति बनती है, ढाई तीन घंटे की फिल्म बनाने की प्रवृत्ति बनती है तो घुमा फिरा कर एक ही बात को बार बार दिखाया जाता है, भद्दे ढंग से उसको दिखाया जाता है और समय पूरा किया जाता है। ऐसा मालूम देता है कि समय की आज कोई बड़ी कद्र नहीं है। एक स्वतंत्र देश को समय की कद्र करना सीखना चाहिये। हम ऐसा सीखते दिखाई नहीं देते हैं। जो दर्शक हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उन को ढाई तीन घण्टे वहां सिनेमा हाल में बैठना पड़ता है, उसी समय को या जो समय उनका बचे, उसको अगर व अच्छे काम में लगायें, तो क्या ही सुन्दर हो। मेरा कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि लोग मनोरंजन के लिए न जायें। मनोरंजन के लिए वे अवश्य जायें। लेकिन अंग्रेजी फिल्मों की तरह से उनका

†मूल अंग्रेजी में

डेढ़ दो घंटों में भी मनोरंजन हो सकता है। तीन साढ़े तीन घंटे की फिल्मों की कोई जरूरत नहीं है। इससे किसी उद्देश्य की सिद्धि होती है, ऐसा दिखाई नहीं देता है।

आजकल इमरजेंसी का समय है। एक दो महीने पहले जब वास्तव में देश में एमरजेंसी थी उस समय भी रीगल के सामने अगर आप खड़े हो जाते थे तो क्या पाते थे? एक तरफ तो इस तरह की बातें हो रही थीं सारे देश में कि वह इतना आगे बढ़ गया और उतना आगे बढ़ गया लेकिन वहां पर, रीगल बिल्डिंग पर इसके बिल्कुल ही विपरीत वातावरण आपको मिलता था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिनेमा साहित्य और कला का अंग है और विचारों तथा भावनाओं को बनाने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। जो कुछ लोग वहां पर देख कर आते हैं, वैसी ही प्रवृत्ति उनकी बनती है और वही बातें वे समाज के अन्दर रह कर सीखने का प्रयत्न करते हैं। जो लोगों का समय बचे, उसका ठीक इस्तेमाल हो सके, इसके लिए यह निहायत आवश्यक है कि फिल्मों की लम्बाई छोटी हो। अगर लम्बाई छोटी बनाने का निर्णय किया जाता है तो डायरेक्टर्ज़ पर इसकी जिम्मेवारी होगी कि जिस प्रकार की फिल्में वे बनाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को सामने रख कर वे फिल्मों की रचना करना चाहते हैं, जो तत्व है, जो सार है, जिस को सामने रख कर वे फिल्में बनाना चाहते हैं, वे डेढ़ या पौने दो घंटे में ही बन जायें और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अच्छे और सही दृश्य उन में लाये जायें। इस में लोगों का तथा देश का दोनों का हित है।

इन शब्दों के साथ टांटिया जी ने जो बिल रखा है कि फिल्मों की लम्बाई को कम किया जाये, उसका मैं समर्थन करता हूं।

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : श्रीमन्, इससे पहिले कि आप अगले वक्ता से बोलने के लिए कहें, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं कि यहां हम इस विधेयक पर चर्चा भी कर सकते हैं या नहीं। संघ तथा राज्यों के वैधानिक सम्बन्धों की परिभाषा संविधान के अध्याय १ के भाग ११ में दी गई है। 'विधायिनी शक्तियों का विवरण' शीर्षक के अन्तर्गत अनुच्छेद २४६ में यह उपबन्ध किया गया है कि संसद् में, राज्य विधान सभाओं में तथा इन दोनों में किन किन विषयों पर चर्चा की जायेगी। सातवीं अनुसूची की सूची १ में केवल संसद् में ही चर्चा किये जा सकने वाले विषय दिये गये हैं; तथा सूची २ में वह विषय दिये गये हैं जिन पर राज्य विधान सभाओं में चर्चा की जा सकती है। सूची २ (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि ३३ में कहा गया है :—

> "नाट्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए चलचित्र;"

सूची १ की प्रविष्टि ६० में कहा गया है :—

> "प्रदर्शन के लिए चलचित्रों की मंजूरी।"

जहां तक संघ सरकार का सम्बन्ध है, इसे केवल प्रदर्शकों द्वारा तैयार किये गये चलचित्रों को मंजूर करने का अधिकार है। इसकी अनुमति सूची २ (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि ३३ के अन्तर्गत दी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि इसकी केवल राज्य विधान सभाओं में ही चर्चा की जा सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर विचार करने के लिए यह सभा सक्षम नहीं है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : यह केवल सिनेमाओं के लिए ही नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। यह इस सभा की रीति रही है कि हम संवैधानिक प्रश्नों पर विचार नहीं करते। यह निश्चय करना न्यायालयों का कार्य है कि कोई विशेष विधान शक्ति-परस्तात् है अथवा शक्तिगत। श्री रा० शि० पाण्डेय।

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल श्री टांटिया जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

जहां तक फिल्म की लम्बाई कम करने का सम्बन्ध है इससे केवल हमारा फारिन एक्सचेंज ही नहीं बचेगा वरन् इसका यह परिणाम भी होगा कि अच्छे फिल्म बनाने के लिए कांसेंट्रेटेड एफर्ट होगा और ज्यादा अच्छे प्रोड्यूसर और डाइरेक्टर सामने आयेंगे।

हमारे फिल्मों के पांच एस्पेक्ट हैं, एक टैकनिकल, दूसरा सोशल, तीसरा कला सम्बन्धी, चौथा अर्थ सम्बन्धी और पांचवां मनोरंजन। हमें पिक्चर में इन पांचों चीजों को देखना चाहिए कि कहां पर किस चीज की कमी है और पिक्चर किस दृष्टि से कमजोर है। जो फिल्म न्यूयार्क और हालीवुड में बनते हैं या जो फिल्म इंगलैंड में बनते हैं उनको मनुष्य की साइकलाजी को सामने रख कर बनाया जाता है। एक आदमी जो फिल्म देखने जाता है, वह अपने आप को एंटरटेन करना चाहता है। विदेशों में लोग दो सवा दो घंटे के लिए आठ नौ हजार फीट लम्बा फिल्म उनके लिए बनाते हैं और उसको प्रदर्शित करते हैं। चूंकि फिल्म की लम्बाई सीमित होती है इसलिए उसको बनाने में वे लोग कांसेंट्रेटेड एफर्ट करते हैं, उसको स्टोरी के लिहाज से, डिस्प्ले के लिहाज से हर लिहाज से अच्छा बनाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन यहां पर सब कुछ चलता है। स्टोरी, अभिनय आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता। फिल्म फ्लूक से चल गया तो चल गया। बड़ा सस्ता मैटीरियल उसमें दिया जाता है। यह समझ में नहीं आता कि इनको बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है या नहीं कि ये हमारे देश के मनोरंजन का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं, हमारे मनोरंजन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते हैं या नहीं।

अभी टांटिया जी ने कहा कि फिल्मों में इस तरह के गाने होते हैं कि :

चल चल रे नौजवान

यह तो बहुत अच्छा गाना है। लेकिन उनमें इस तरह के भी गाने होते हैं कि :

इस दिल के टुकड़े हजार हुए एक यहां गिरा एक वहां गिरा

आप देखें कि जब जरा पैलपिटेशन होता है तो आदमी बैठ जाता है, अगर दिल के हजार टुकड़े किये जायें और फेंक दिये जायें तो क्या अवस्था होगी। इस गाने के पीछे यह डिस्प्ले होता है कि हीरोइन आती है और डिस्प्ले करती है और एक अजीबो गरीब वातावरण पैदा करने की कोशिश की जाती है जो हमें सूट नहीं करता।

हमारे यहां की फिल्मों में एक खास पैटर्न आप पायेंगे। या तो एक लड़की है, और दो लड़के हैं, या दो लड़के हैं और एक लड़की है और उनको लेकर स्टोरी चलती है। बीच में बर्थ डे सेलीब्रेशन आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि लड़की बड़ी हो गयी है और माता पिता जिस लड़के से विवाह करना चाहते हैं उससे नहीं करती और इस सिलसिले में मां या बाप के एक चांटा अवश्य पड़ जाता है। बहुत बार तो लड़की घर से भाग जाती है। आप देखेंगे कि अक्सर लड़के और लड़की में सड़क पर लव हो जाता है, जिसको लव एफेयर आन रोड कहते हैं। कभी बगीचे में लव हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कभी बस स्टैंड पर लव हो जाता है ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : ठीक है, ऐसा भी होता है । यह शर्मा जी का अपना अनुभव है, इस से मैं स्वीकार करता हूं ।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन फिल्मों में हमारी परम्परा का प्रदर्शन नहीं होता । यह चीज हमारे समाज को सूट नहीं करती । हमारा समाज एक बंधा हुआ समाज है जिसमें लड़की के प्रति माता पिता अपना कर्तव्य समझते हैं । ऐसे दृश्य जो दिखाये जाते हैं ये हमारे समाज की पराम्परा के प्रतीक नहीं हैं ।

इन फिल्मों के लम्बी होने के कारण हम देखते हैं कि कुछ हीरो और हीरोइन्स दस-दस लाख और आठ-आठ लाख रुपया प्रोड्यूसर्स से ब्लैक में लेती हैं । अगर आप फिल्म की लम्बाई कम कर दें तो आप को अच्छे हीरो हीरोइन दो दो लाख में मिलने लगेंगे । और इस प्रकार छोटे कलाकारों को भी अवसर मिलेगा । आज कुछ खूबसूरत हीरोज और हीरोइन्स ने मानापली बना रखी है और आठ-आठ और दस दस लाख रुपया लेते हैं । फिल्म छोटी होने से यह चीज भी समाप्त हो जायेगी, छोटे कलाकारों को भी अवसर मिलेगा और फारिन एक्सचेंज की भी बचत होगी ।

मैं चाहता हूं कि पिक्चर की लम्बाई कम की जाए, साथ ही पहले स्टोरी की जांच की जाए और कला के प्रदर्शन में सौष्ठव हो ताकि वह हमारी अनुभूतियों और भावनाओं का सही प्रदर्शन कर सके ।

हम रेड्डी साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बारे में कड़ा स्टेप लिया है और सख्त सेंसर बोर्ड स्थापित किया है । मैं बम्बई में रहने के कारण जानता हूं कि फिल्म सेंसर बोर्ड फिल्मों में काफी काट-छांट कर देता है । किन्तु फिर भी हम देखते हैं कि सेंसर बोर्ड के मेम्बरों पर दबाव डाला जाता है कि इसको पास कर दो । उसमें लोगों को कभी-कभी सफलता मिलती है कभी नहीं मिलती ।

जिस पब्लिक के लिए पिक्चर बनायी जाए यह भी देखा जाए कि उसकी साइकालाजी क्या है । उसके लिए मनोरंजन का अच्छा वातावरण बनाया जाए । ऐसा प्रदर्शन न किया जाए कि लाश पड़ी है और हीरोइन गाना गा रही है । आपने कई पिक्चर्स में ऐसा सीन देखा होगा । यह कितना अस्वाभाविक है । हम समझते हैं कि अगर फिल्मों की लंबाई कम कर दी जाएगी तो इस प्रकार की उल-जलूल चीजें उसमें स्थान न पा सकेंगी । मेरा ख्याल है कि अगर आप दस हजार फीट से ज्यादा लम्बी फिल्में एलाऊ न करें तो अच्छी-अच्छी पिक्चर्स बनेंगी और ऐसा करने से फारिन एक्सचेंज की भी बचत होगी ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे देश का सिनेमा जगत अच्छा नहीं है । सिनेमा का क्या उद्देश्य है । हम समझते हैं कि सिनेमा का यह उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे समाज में अच्छे-अच्छे विचार उत्पन्न हों । सिनेमा का प्रदर्शन लोगों में अच्छे विचार उत्पन्न करने में सहायक होना चाहिए । लेकिन होता इसके विपरीत है । हमारे देश में अपराध करने वालों में अधिकतर सिनेमा देखने वाले या सिनेमाओं में काम करने वाले पाए जाते हैं। इसलिए हमको इस पर सोचना चाहिए । समाज हमारे यहां एक सैद्धान्तिक झगड़ा है कि कला समाज के लिए है या कला, कला के लिए है । हम कहते हैं कि कला समाज के लिए है । और मैं समझता हूं कि अन्य माननीय सदस्य भी यही समझते होंगे । इनमें दूषित गाने काफी गाये जाते हैं और दूषित दृश्य दिखाए जाते हैं । ऐसे गाने केवल सिनेमा में ही नहीं होते, हमारे आल इण्डिया रेडियो से भी इस प्रकार के गाने प्रसारित किए जाते हैं । हाल में पटना से चीन के सिलसिले में एक लोहा सिंह नाम का प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है । उसमें यह होता है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सरजू पांडेय]

घर में जितने चीनी मिट्टी के बरतन हैं उनको फोड़ा जाता है । लोग इस पर हंसते हैं कि इस प्रकार घर के बरतन फोड़ कर चीन से कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी । तो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा का स्तर बहुत नीचा है । इसको ऊंचा करना चाहिए । मेरा विचार है कि फिल्मों में जो फिजूल की चीजें दिखायी जाती हैं उनको समाप्त करना चाहिए कि और यह काम लम्बाई कम करने से हो सकता है । हमारे सिनेमाओं का उद्देश्य जनता को ऊंचा उठाना होना चाहिए । तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा । सिनेमा को लोगों में अच्छे विचार उत्पन्न करने का माध्यम बनाना चाहिए और उनमें अस्वाभाविक दृश्य न दिखाए जाने चाहिए ।

अभी मैंने हाल में एक फिल्म देखी ग्यारह हजार लड़कियां । उसमें जो अदालत का सीन दिखाया गया है वैसा इस देश में कहीं देखने में नहीं आता ।

एक माननीय सदस्य : उसकी लम्बाई कितनी है ?

श्री सरजू पाण्डेय : यह तो मुझे नहीं मालूम कि उसकी लम्बाई कितनी है । मगर उसमें जज साहब हाथ में हथौड़ा लिए दिखाए जाते हैं जैसाकि हिन्दुस्तान में कहीं नहीं होता । और न जाने क्या-क्या तमाशे ला लाकर उसमें रखे गए हैं । यह बिल्कुल स्वाभाविक नहीं मालूम होता ।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि टांटिया साहब इसको वापस न लेंगे । मुझे भय है कि मिनिस्टर सहब उनको आश्वासन दे देंगे और वे इसको वापस ले लेंगे । मैं चाहता हूं कि वे डटे रहें और इसे वापस न लें । मन्त्री महोदय से मैं अपील करता हूं कि अगर वे दरअसल देश को उठाना चाहते हैं तो सिनेमा जगत में सुधार करें ताकि जनता को अच्छे चित्र दिखाए जाएं । न सिर्फ फिल्मों की लम्बाई कम करने की जरूरत है वरन् उनके नाटक और कहानी में भी ज्यादा से ज्यादा सुधार करने की कोशिश होनी चाहिए ताकि. . . . .

श्री डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : यह इस बिल से हो जाएगा ।

श्री सरजू पाण्डेय : इस बिल से नहीं होगा ।

मैं समझता हूं कि केवल फिल्मों की लम्बाई घटाने का ही प्रश्न नहीं है बल्कि इसके लिए एक बिल्कुल कम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए जिनमें कि अच्छे तरीके से इन बातों की जांच हो औरदेखा जाय कि किस तरीके से अपने देश के लोगों का उत्थान कर सकते हैं । इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। सिर्फ इस चीज के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि माननीय मंत्री इसको विचार करें और सिर्फ अपील करके अपने इस बिल को वापस लेने की बात न करें । वे सदन को यह विश्वास भी दिलायें कि इस पर हम विचार करेंगे और इसके लिए कोशिश करेंगे कि देश में इस तरह की फिल्में बनें जिससे हमारे देश का उत्थान हो । हमारे देशवासी सही मानों में शिक्षाप्रद फिल्में देख कर लाभ प्राप्त कर सकें ।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मम) : इस विधेयक में एक खण्ड है जिसमें यह व्यवस्था है कि फिल्म १०००० फीट से ज्यादा लम्बी नहीं होनी चाहिए मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि सामाजिक फिल्म १२,००० फीट तथा धार्मिक तथा पौराणिक फिल्म १५,००० फीट से अधिक लम्बी न बनाने की व्यवस्था की जाये।

मैं इस बात को मानती हूं कि हमें अपनी जनता का स्तर ऊंचा करना है । परन्तु साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखना है कि हमारी जनता जो सारे दिन परिश्रम करके अपना मनोरंजन करने इनको

---

†मूल अंग्रेजी में

देखने जाती हैं उनका मनोरंजन बहुत थोड़ी देर का रह जाता है। इसके अतिरिक्त अनुभव बताता है कि जो भी फिल्में ऊंचे स्तर की बनीं वह लोकप्रिय नहीं हुईं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं केवल ऊंचे स्तर की फिल्में बनाने को ही प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सरकार को फिल्म निर्माताओं की कच्ची फिल्में आदि की कठिनाइयों को भी दूर करना चाहिए और देश में इनका निर्माण कराना चाहिए।

हमारे फिल्म निर्माताओं को फिल्म बनाने में ही कहानियों को दोहराना नहीं चाहिए तथा देशभक्ति की कुछ फिल्में बनानी चाहिए।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्य श्री रामेश्वर टांटिया को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने सारे देश के हित के लिए यह बिल सदन के सामने रखखा है उनके हम बहुत आभारी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं उनसे यह भी अपील करता हूं कि उनका नाम "राम" से शुरू होता है और भगवान् राम की नेचर यह है :

"रामो द्विर्नविभाषते"। राम जिस चीज़ को कहते हैं उस को वह वापिस नहीं लेते हैं इस लिये मिनिस्टर साहब के असर में आकर यह बिल वापिस न लिया जाय। आजकल की गंदी और आसामाजिक फिल्मों के कारण जहां देशवाशियों के चरित्र को हो रही हानि बचेगी वहां फारेन एक्सचेंज पर जो करोड़ों रुपया इस देश का खर्च हो रहा है वह भी बचेगा।

दूसरे मुल्कों में हम ऐसी फिल्में देखते हैं कि उनमें अगर एक शब्द भी काट दिया जाय तो उसका सारा मंतव्य खत्म हो जाता है लेकिन यहां भारतीय फिल्मों के बारे में देखने में आता है कि ६-६ महीने बाद इजाँजत दी जाती है कि हिले बनी फिल्म में पन्द्रह मिनट की स्टोरी और बढ़ा दी जाय। दुनिया में सब से बड़ा कायदा तो यही है कि **ब्रेविटि इज दी सोल आफ विट**। अर्थात् जितना संक्षेप में कहा जायगा उतना ही सुन्दर कहा जायगा। इस तरह से हमारी फिल्मों में श्रृंगार रस और प्रेमालाप को बढ़ाना जब कि दुश्मन हमारी छाती के ऊपर सवार हो कहां तक वांछनीय है? ऐसे नाजुक समय में हजारों, लाखों रुपये खर्च करके देश के सामने इशकिया नज्जारे रखना देश की कुसेवा करना है। आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से रूस में मिलेट्री ट्रेनिंग, राइफल ट्रेनिंग और **ट्रेक्टर और** एग्रीगल्चर ट्रेनिंग सिनेमा के जरिये दी जाती है उसी तरह से हिन्दुस्तान में भी यह ट्रेनिंग फिल्मों द्वारा दी जाय। हिन्दुस्तान में भी इस चीज़ की बड़ी जरूरत है।

कुछ दिन हुये मैं पाकिस्तान गया था। कुछ वहां के मुसलमान भाई जो कि सिंसियर थे उन्होंने मेरे से यह सवाल किया कि क्या मुसलामान लोग आपके हिन्दुस्तान में बाजारों में जा सकते हैं? क्या वे रेलगाड़ियों में सफर कर सकते हैं, घोड़े पर सवार हो सकते हैं? अगर हमरा प्रोपोगेंडा यहां ठीक होता, सिनेमा और ब्रोडकास्टिंग के जरिये ठीक से प्रचार किया गया होता तो उन लोगों में यह गलत फहमी पैदा न हुई होती और उन्होंने मुझ से यह सवाल न किया होते। बात यह है कि साम्प्रदायिकता को बढ़ाना बहुत आसान है। लोगों के दिलों के अन्दर भय पैदा कर देना बहुत आसान है लेकिन भारतीयता की दृष्टि से नेशनलिज्म की दृष्टि से एक जगह बैठ कर देश की रक्षा के लिये उपाय सोचना और देश की रक्षा के कमर कस कर तैयार होना मुश्किल है। जनता में इसकी जानकारी देने के लिये सब से बड़ी जिम्मेदारी हमारी ब्रोडकास्टिंग और एनफोर्मेशन मिनिस्ट्री के ऊपर है। आज की नाजुक घड़ी में इस देश की जनता को तैयार करना है। हमें उसे चीनी आक्रमणि कारियों से युद्ध करने के लिये और उनका मुकाबिला करने के लिये तैयार करना है। जरूरत इस बात की है कि देशवासियों का चरित्र ऊंचा हो। जिन फिल्मों में शराब के गंदे गीत गाये जाते थे, अश्लील इशकिया और गंदे गीत

[श्री यशपाल सिंह]

गाये जाते हैं उन फिल्मों के ऊपर पाबन्दी होनी चाहिये। छोटी और अच्छी से अच्छी फिल्में हमारे देश में बननी चाहिये। देश को चरित्रहीन और श्रृंगारी बना देना बहुत आसान है लेकिन देश को शत्रु के मुकाबिले में युद्ध पर ले जाना और देश के चरित्र को ऊंचा उठाना मुश्किल काम है।

"नशा पिला के गिराना तो सब को आता है,
मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी।"

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

सबसे बड़ी चीज़ यह है कि देशवासियों का चरित्र ऊंचा किया जाय। हमारे संस्कृत साहित्य में एक कहावत चलो आती है :—

"एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते बैयाकरणा :"

अगर एक मात्रा की कमी हो जाय तो जो लिटरेरी पर्सन्स हैं उनको उतनी ही खुशी होती है जितनी खुशी कि अपने घर में पुत्र के पैदा होने से होती है।

अन्त में मैं और अधिक न कहते हुये सिर्फ यही कहूंगा कि जहां मैं श्री रामेश्वरा टांटिया को यह बिल लाने के लिये धन्यवाद देता हूं वहां उनसे यह भी अपील करता हूं कि वह इसको हरगिज़ वापिस न लें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं समझती हूं कि माननीय मंत्री को इस सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिये कि फिल्में ९००० अथवा १०,००० फीट की बने क्यों कि तीन घंटे तक बैठकर फिल्म देखने से व्यक्ति बोर हो जाता है। एक सदस्य ने कहा कि ऊंचे स्तर को फिल्में लोकप्रिय नहीं होती हैं। मैं उनके इस कथन को ठीक नहीं मानती हूं। किसी-किसी फिल्म के बारे में ऐसा कहा जा सकता है हर एक के बारे में नहीं। मैं श्री टांटिया का समर्थन करती हूं कि फिल्मों को १०,००० फीट से अधिक लम्बी नहीं बनाया जाना चाहिये और आशा करती हूं कि सरकार इसको स्वीकार कर लेगी।

श्री प्रियगुप्त (कटिहार) : मैं श्री टांटिया का समर्थन विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से करता हूं परन्तु इस आधार पर नहीं करता हूं कि इससे फिल्मों का स्तर उंचा हो जायेगा। मैं तो यह समझता हूं कि फिल्मों का स्तर ऊंचा करने के लिये समाज के आचार-विचार बदलने होंगें। विधान अथवा कानून बना देने से समाज के विचार नहीं बदलते हैं। इस लिये ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे समाज में सुधार आये और जनता ऐसी फिल्मों को स्वयं देखना बन्द करदे।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : सभापति महोदया मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि जिसे भी देखो गरीब आदमी को उपदेश देना शुरू कर देता है। यह करो। यह मत करो। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि हम उसकी रुचि का भी ध्यान रखें हमारे फिल्म निर्माता इस बात का ध्यान रखते हैं और उनके मनोरंजन के लिये फिल्में बनाते हैं इस लिये मैं समझता हूं कि हमें उन फिल्मों की लम्बाई कम नहीं करनी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि फिल्म की लम्बाई कम न करें, मेरा उनसे यह भी सुझाव है कि फिल्मों में प्रचार करने वाला एक विस्तृत विधेयक सभा में प्रस्तुत करे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है तथा हमें इस पर विचार करना है कि फिल्मों की लम्बाई पर प्रतिबन्ध

लगाने से क्या वह उद्देश्य पूरा हो जाता है। मैं यह बात मानता हूं कि हमारी कुछ फिल्में ठीक नहीं होती हैं और उनको नहीं बनाया जाना चाहिये जिससे कच्ची फिल्मों को बनाया जा सके। परन्तु हमें इस सम्बन्ध में दो बातों पर विचार करना है। एक तो यह है कि फिल्म निर्माण उद्योग संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्टि २४ है। इस समय केन्द्र सरकार उनके निर्माण के बाद प्रतिबन्ध लगा सकती है।

कच्ची फिल्मों के आयात के बारे में सरकार जानती है कि इनका आयात वर्तमान उपबन्धों के अधीन होता है तथा इनका वितरण क्षेत्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से होता है। ऐसा मालूम होता है कि ऐसी भावना फैली हुई है कि कच्ची फिल्मों की खपत बढ़ रही है। मैं गत चार वर्षों के आंकड़े आपके सामने रखता हूं कि इन वर्षों में इनकी खपत कितनी कम हो गई है। उदाहरणतः १९५९ में २७७ लाख रुपये का आयात हुआ। १९६० में १९४ लाख रुपये का आयात हुआ। १९६१ में १६५ लाख रुपये का तथा १९६२ में १५८ लाख रुपये का आयात हुआ। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि १९५९ से १९६२ में २७७ लाख रुपये के स्थान पर १५८ लाख रुपये का आयात हुआ। इसके विपरीत फिल्मों के निर्यात में बहुत विदेशी मुद्रा की आय हुई है।

फिल्म उद्योग ने स्वयं कुछ प्रतिबन्ध लगा लिये हैं जिनसे लम्बाई कम हो जाये। इस समस्या पर फिल्म जांच समिति ने भी विचार किया है और इस समिति ने कहा है कि फिल्म की लम्बाई पर प्रतिबन्ध लगा देने से फिल्मों की कलात्मकता तथा कल्पना समाप्त हो जायेगी"।

सभा जानती है कि सरकार ने हाल में ही फिल्म सलाहकार समिति बनाई है तथा फिल्मों से संबंधित सभी मामलों पर यह विचार करेगी। गत दिसम्बर में समिति की एक बैठक हुई थी। उसमें मंत्री महोदय ने फिल्म उद्योग से अपील की थी कि जितना संभव हो सके उतना कच्ची फिल्म बनायें। उस समय बताया गया था कि उद्योग मंत्री महोदय के परामर्श पर विचार करेगा। इस लिये हमारा विचार है कि सरकार को इस समय इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये और उद्योग के सम्बन्ध में प्रयत्नों के परिणाम देखने चाहिये।

आप जानते हैं कि हमने ऊटी में कच्ची फिल्मों के निर्माण के लिये एक कारखाना बनाया है जिसमें १९६४ में उत्पादन होने लगेगा। इन कारणों से मैं समझता हूं कि विधेयक पर बल नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : सभापति महोदय, जो बिल मैं ने रखा उस में बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया और उस का मंत्री महोदय ने जवाब दिया। मैं कह सकता हूं कि इस से मेरा आधा काम तो हो गया।

जिन सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया उन्होंने यह तो प्रायः स्वीकार किया कि फिल्मों की लम्बाई कम होनी चाहिये, एक दो को छोड़ कर। श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा ने भी मुझे सपोर्ट किया कि सोशल फिल्मों की लम्बाई १२००० फीट तक होनी चाहिये। कुछ लोगों ने यह भी कह कि लम्बाई कम होने से फिल्मों में जो रिपोटीशन्स होते हैं वे भी कम हो जायेंगे और फिल्म का खर्च भी बचेगा।

जहां तक फारिन एक्सचेंज का सवाल है मेरे इस बिल का केवल मात्र उद्देश्य फारिन एक्सचेंज तक ही सीमित नहीं है। फिल्मों की लम्बाई कम होने से उन में ऊल-जलूल चीजें भी स्थान नहीं पायेंगी।

अब रही समय की बात तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि २५ मिनट तो हमारी सरकारी न्यूज रील में लग जाते हैं और उस में हम को अच्छी जानकारी मिल जाती है। उस के बाद

[रामेश्वर टांटिया]

दस मिनट का इन्टरवैल होता है। उस के बाद दो घंटे का मनोरंजन १०००० फीट की फिल्म से हो सकता है। इस तरह से ढ़ाई घंटे का मनोरंजन हो जाएगा जो कि काफी है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने हम को इस बारे में काफी जानकारी दी।

लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि १९४९ की कमेटी को बने १३ साल हो गए और उस की सिफारिशें पुरानी हो गयीं। मेरा सुझाव है कि अब एक कमेटी फिर से बनाई जाए जो कि लोगों के टेस्ट को ध्यान में रख कर ज्यादा अच्छी सिफारिशें दे सके।

फिल्म की लम्बाई कम होने में दस लाख या एक लाख का सवाल नहीं है। आज-कल के समय में तो अगर पांच हजार का भी फारिन एक्सचेंज बच सके तो वह हमारे लिए पचास लाख के बराबर है।

मैं मंत्री महोदय को एक बार फिर धन्यवाद दे कर अपने इस बिल को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं और आशा करता हूं कि जो विचार मैं ने तथा अन्य सदस्यों ने व्यक्त किए हैं उन को ध्यान में रखते हुए वे इस तरफ ध्यान देंगे और जो भी उचित कार्यवाही हो सकेगी करेंगे।

†**सभापति महोदय** : क्या विधेयक को वापस लेने के लिए सभा अनुमति देती है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

विधेयक, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक

(धारा २ और ३ का संशोधन)

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बाल विवाह रोक (संशोधन) अधिनियम, १९२९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिए उसे ३१ अक्तूबर, १९६३ तक परिचालित किया जाये"

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुल्डाना) : श्रीमान् मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा २५ फरवरी, १९६३/६ फाल्गुन, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २२ फरवरी, १९६३

३ फाल्गुन, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३२१—५२
तारांकित प्रश्न संख्या		
८३	इस्पात उत्पादन की लागत	३२१—२३
८४	मध्यम आकार के इस्पात संयंत्र	३२३—२५
८५	उप-चुनाव	३२५—२६
८६	अखबारी कागज	३२६—२९
८७	एण्टीबायोटिक्स का उत्पादन	३२९—३१
८८	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	३३१—३३
८९	शक्तिचालित करघा उद्योग	३३३—३६
९०	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	३३६—३७
९१	बोकारो इस्पात संयंत्र .	३३७—३८
९२	भारत-इण्डोनीशिया व्यापार करार	३३८—३९
९३	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	३३९—४१
९४	मोटर गाड़ियों के मूल्य	३४१—४४
९६	इस्पात की बिक्री पर समानीकरण अधिभार	३४४—४५
९७	पाक-नेपाल व्यापार करार	३४५—४६
९८	खादी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति .	३४७
९९	पंजाब में कच्चे लोहे का कारखाना	३४७—४८
१०१	मोटर ट्रकों का उत्पादन	३४८—५०
१०२	चांदी का वायदा व्यापार	३५०
१०३	लोहे का कारखाना	३५१
१०४	औजारी तथा धातु मिश्रित इस्पात कारखाना	३५१—५२

2844(Ai)LSD—7

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३५२—६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
९५	पटसन की वस्तुओं के लिए समिति	३५२
१००	उर्वरक संयंत्र	३५३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२५	इलायची .	३५३
१२६	हाथ की घड़ियां	३५३
१२७	निर्वाचन याचिकायें .	३५४
१२८	हिन्दुस्तान केबल फैक्टरी, रूपनारायणपुर .	३५४–५५
१२९	उद्योगों पर कर लगाया जाना	३५५
१३१	बिजली के डिनोटेटर .	३५५
१३३	जापान से इस्पात की खरीद	३५५–५६
१३४	लघु उद्योग निगम . .	३५६
१३५	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में आग लगना .	३५६–५७
१३६	भारत रूस व्यापार करार . .	३५७
१३७	लघु उद्योग. . . .	३५७–५८
१३८	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात तथा निर्यात .	३५८
१३९	इंजीनियरिंग उद्योग . . .	३५८
१४०	राज्यों को आवंटित सीमेंट का कोटा .	३५८–५९
१४१	अखिल भारतीय विधि जीवी परिषद .	३५९–६०
१४२	बिहार में औद्योगिक बस्तियां . . .	३६०
१४३	विदेशों में निर्माण कारखानों की स्थापना .	३६०
१४४	छोटे पैमाने से उद्योग निगम .	३६०
१४५	पुनर्वास उद्योग निगम. . .	३६१
१४६	हंगरी से ट्रक के टायरों का आयात . . .	३६१–६२
१४७	पंजाब के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग	३६२
१४८	पंजाब में उद्योग	३६२—६४
१५०	पंजाब में छोटे पैमाने के और कुटीर उद्योग . .	३६४

विषय पृष्ठ

३. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३६४–६५

श्री हरि विष्णु कामत ने प्रस्तावित मलयेशिया संघ और उसके बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६५—६७

(१) विभिन्न सत्रों में, जो प्रत्येक के सामने बताये गए हैं, मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आवश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या २ . तीसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ७ पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १८ . तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ९ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २५५ में प्रकाशित नारियल-जटा उद्योग (पंजीयन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम, १९६३।

(दो) नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९६२ तक की अवधि के लिये नारियल-जटा बोर्ड की गतिविधियों और नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ के संचालन के बारे में छमाही रिपोर्ट।

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) कांच की चादरों के उचित बिक्री मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट (१९६२)।

(ख) दिनांक ८ फरवरी, १९६३ का सरकारी संकल्प संख्या १३ (७)/६२—केम० २ (हिन्दी रूपान्तर सहित)।

विषय

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित दस्तावेज उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके। इसके कारण बताने वाला विवरण।

(४) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा ७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(क) बाइसिकिल, सिलाई की मशीन और उपकरणों सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) मशीन निर्माण उद्योग संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ग) भेषज तथा औषधियों संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(घ) चीनी संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ङ) अकार्बनिक रसायन उद्योगों संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(च) अलौह धातुओं तथा मिश्रित धातुओं संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(छ) कागज, लुगदी तथा संबंधित उद्योगों संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ज) मशीनी औजारों संबंधी विकास परिषद का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(झ) हल्के बिजली के सामान के उद्योगों संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ञ) चमड़ा, चमड़े के सामान तथा पिक्करों संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ट) मोटर गाड़ी, मोटर गाड़ियों के पुर्जे और परिवहन, गाड़ी उद्योगों संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

( ) ऊनी उद्योग संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन

(ड) कृत्रिम रेशम उद्योग संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ढ) तेल, साबुन और रंग रोगनों संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

विषय पृष्ठ

(ण) खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उद्योगों संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(त) बिजली के भारी सामान के उद्योगों संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(थ) जीव रसायन उद्योगों संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(द) कांच और चीनी मिट्टी संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ध) अन्तर्दाह इंजन, विद्युत् चालित पम्प, एयर कम्प्रेसर तथा ब्लोअर संबंधी विकास परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

विधेयक पर राय ३६८

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर रायें सभा के पटल पर रखी गईं ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन--उपस्थापित . . . ३६८

बारहवां तथा सत्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ३६९—८६

२० फरवरी, १९६३ को प्रस्तुत किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव और तत्संबंधी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक--पुरस्थापित . . . ३८६–८७

(१) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक **(धारा १३ का संशोधन)** [श्री दी० चं० शर्मा का]

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक **(धारा २ का संशोधन)** [श्री च० का० भट्टाचार्य का]

(३) श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध **(संशोधन)** विधेयक **(नई धारा ७-क का रखा जाना)** [श्री च० का० भट्टाचार्य का]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—वापस लिये गये . . . ३८७—४०८

(१) श्री श्याम लाल सर्राफ ने प्रस्ताव किया कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६२ **(धारा ४ और ६ का संशोधन विधेयक)** को प्रवर समिति को सौंपा जाये । चर्चा के पश्चात् विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

विषय	पृष्ठ
(२) श्री रामेश्वर टांटिया ने प्रस्ताव किया कि सिनेमा फिल्मों की (अधिकतम) लम्बाई, विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये। चर्चा के पश्चात् विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।	
गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—विचाराधीन है	४०८
श्री दी० चं० शर्मा ने प्रस्ताव किया कि बाल-विवाह रोक (संशोधन) विधेयक, १९६२ को उस पर राय जानने के लिये, परिचालित किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४०८
तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।	

सोमवार, २५ फरवरी, १९६३/६ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव और तत्संबंधी संशोधनों पर अंतर चर्चा।

GIPND—LS III—2844(Ai)LSD—28-3-63—160.